अधिसूचना

भारतीय वायु सेना

जुलाई 2023 में शुरू हो रहे कोर्स के लिए उड़ान शाखा और ग्राउंड ड्यूटी (तकनीकी और गैर तकनीकी) शाखाओं/ एन सी सी विशेष प्रवेश/ मौसमविज्ञान शाखा प्रवेश

के लिए वायु सेना सामान्य प्रवेश परीक्षा (एएफकैट-02/2022)

ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तारीख : 01 जून 2022 से 30 जून 2022

(भारतीय वायु सेना करियर वेबसाइट https://careerindianairforce.cdac.in अथवा https:// afcat.cdac.in)

1. भारतीय वायु सेना भारतीय नागरिकों (पुरुष और महिलाएं) को उड़ान और ग्राउंड ड्यूटी (तकनीकी और गैर तकनीकी) शाखाओं में समूह क राजपत्रित अधिकारी के रूप में इस प्रतिष्ठित सेना का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करती है। ऑनलाइन एएफकैट परीक्षा **26 अगस्त 22, 27 अगस्त 22** और **28 अगस्त 22** को आयोजित की जाएगी।

2. अभ्यर्थी सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा के लिए उनकी पात्रता निम्नलिखित रूप में है :-

(क) इस परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्रता शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों नामतः लिखित परीक्षा और एस एस बी परीक्षा में उनका प्रवेश निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने की शर्त के साथ पूर्णतया अंतिम होगा। लिखित परीक्षा या ए एफ एस बी परीक्षण के पहले या बाद किसी भी समय

सत्यापन पर यदि पाया जाता है कि वे पात्रता शर्तों में से कोई शर्त पूरी नहीं करते तो भा.वा.से. द्वारा उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(ख) अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र/ बुलावा पत्र जारी कर दिए जाने मात्र का अर्थ यह नहीं होगा कि भारतीय वायु सेना द्वारा अंतिम रूप से उसकी अभ्यर्थिता स्वीकार कर ली गई है।

3. <u>प्रवेश, शाखा, कोर्स संख्या और रिक्तियां</u>

प्रवेश	**शाखा**	**पी सी/एस एस सी**	**कोर्स संख्या**	**रिक्तियां***	
				पुरुष	**महिला**
ए एफ कैट प्रवेश	उड़ान	पुरुषों और महिलाओं के लिए एस एस सी	214/23एफ/एसएससी/(पुरुष और महिला)	एसएससी-02	एसएससी-10
	ग्राउंड ड्यूटी (तकनीकी)	पुरुषों के लिए स्थायी कमीशन और पुरुषों तथा महिलाओं के लिए अल्प सेवा कमीशन	213/23टी/पीसी/103एईसी(पुरुष) 213/23टी/एसएससी/103एईसी (पुरुष और महिला)	**एई(एल)**: पीसी-23,एसएससी-80 **एई(एम):** पीसी-07,एसएससी-26	**एई(एल):** एसएससी-11 **एई(एम):** एसएससी-04
	ग्राउंड ड्यूटी (गैर तकनीकी)	पुरुषों के लिए स्थायी कमीशन और पुरुषों तथा महिलाओं के लिए अल्प सेवा कमीशन	213/23जी/पीसी(पुरुष) 213/23जी/एसएससी/एईसी/(पुरुष और महिला)	**प्रशा.:** पीसी-11,एसएससी-43 **लेखा**: पीसी-03,एसएससी-11 **संभारिकी:** पीसी-05,एसएससी-16 **शिक्षा:** पीसी-02,एसएससी-08	**प्रशा.:** एसएससी-02 **लेखा**: एसएससी-02 **संभारिकी:** एसएससी-02 **शिक्षा:** एसएससी-02
मौसमविज्ञान शाखा प्रवेश	मौसमविज्ञान शाखा	पुरुषों के लिए स्थायी कमीशन और पुरुषों तथा महिलाओं के लिए अल्प सेवा कमीशन	213/23एफ/पीसी(पुरुष) 213/23एफ/एसएससी/(पुरुष और महिला)	**मौसमविज्ञान :** पीसी-03,एसएससी-08	**मौसमविज्ञान :** एसएससी-02
एनसीसी विशेष प्रवेश	उड़ान	पुरुषों के लिए स्थायी कमीशन और पुरुषों तथा महिलाओं के लिए अल्प सेवा कमीशन	214/23एफ/पीसी/(पुरुष) 214/23एफ/एसएससी(पुरुष और महिला)	सीडीएसई रिक्तियों में से 10 प्रतिशत सीटें पीसी के लिए तथा एएफसीएटी रिक्तियों में से 10 प्रतिशत सीटें एसएससी के लिए	
<u>दावात्याग</u>. दिखाई गई रिक्तियां अनंतिम हैं और नोटिस के बगैर परिवर्तित हो सकती हैं। वास्तविक इनटेक संगठन की आवश्यकताओं, विभिन्न काडर नियंत्रण क्रियाविधियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की उपलब्धता और जुलाई 2023 में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों की वास्तविक संख्या पर निर्भर करेगी। इस संबंध में किसी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।					

4. **<u>कमीशन की किस्मः</u>**

(क) **<u>पुरुषों के लिए स्थायी कमीशन (पी सी)</u>** पी सी अफसरों के रूप में कार्य ग्रहण करने वाले अभ्यार्थी अपनी रैंक के अनुसार अपनी संबंधित शाखाओं में अधिवर्षिता की आयु तक कार्य करते रहेंगे।

(ख) **<u>पुरुषों और महिलाओं के लिए अल्प सेवा कमीशन (एस एस सी)</u>**

(i) **<u>उड़ान शाखा</u>** के (पुरुष और महिला) एस एस सी अफसरों के लिए नियुक्ति अवधि कमीशन प्रदान किए जाने की तारीख से चौदह वर्ष है(**विस्तार किए जाने के योग्य नहीं**)।

(ii) **<u>ग्राउंड ड्यूटी (तकनीकी और गैर तकनीकी)</u>** एस एस सी अफसरों के लिए आरंभिक कार्यकाल **दस वर्ष** की अवधि का होगा। **सेवा आवश्यकताओं, रिक्तियों की उपलब्धता, इच्छुकता, उपयुक्तता और योग्यता की शर्तों** के साथ **चार वर्ष** का विस्तार दिया जा सकता है।

(iii) स्थायी कमीशन (पीसी) प्रदान करने पर विचार सेवा आवश्यकताओं, रिक्तियों की उपलब्धता, स्वेच्छा, उपयुक्तता, योग्यता और इस विषय पर प्रचलन में मौजूद नीतियों के अनुसार किया जाएगा।

(iv) वर्तमान में एस एस सी अफसर पेंशन के लाभ प्रदान करने के पात्र नहीं है।

5. **<u>पात्रता</u> <u>शर्तें</u>**

(क) **<u>राष्ट्रीयता</u>** अभ्यर्थी का भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार भारत का एक नागरिक होना अनिवार्य है।

(ख) **<u>आयु</u>**

(i) **<u>ए एफ कैट और एन सी सी विशेष प्रवेश के माध्यम से उड़ान शाखाः</u>**

01 जुलाई 2023 को **20 से 24 वर्ष** अर्थात 02 **जुलाई** से 1999 से 01 **जुलाई** 2003 के बीच जन्म हुआ हो (दोनों तारीखें शामिल हैं।) **डी जी सी ए** (भारत) द्वारा जारी वैध और प्रचलित वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस धारक अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट देकर इसे 26 वर्ष किया जा सकता है अर्थात **02 जुलाई 1997 से 01 जुलाई 2003** के बीच जन्म हुआ हो (दोनों तारीखें शामिल हैं)।

(ii) <u>ग्राउंड ड्यूटी (तकनीकी और गैर तकनीकी) शाखाः</u>

01 जुलाई 2023 को **20 से 26 वर्ष** अर्थात **02 जुलाई 1997 से 01 जुलाई 2003 के** बीच जन्म हुआ हो (दोनों तारीखें शामिल हैं)।

(iii) <u>वैवाहिक स्थिति</u>

25 वर्ष से कम आयु के अभ्यर्थी को कोर्स आरंभ होने के समय अविवाहित होना अनिवार्य है। 25 वर्ष से कम आयु की/के विधवाएं/ विधुर और तलाकशुदा (आश्रित संतान के साथ या बगैर) भी पात्र नहीं हैं। अपना आवेदन करने की तारीख के बाद जिस अभ्यर्थी ने शादी कर ली हो, वह भले ही एस एस बी या मेडिकल परीक्षा में सफल रहा हो, प्रशिक्षण के लिए पात्र नहीं होगा। प्रशिक्षण की अवधि के दौरान शादी करने वाले अभ्यर्थी को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा और वह सरकार द्वारा उस पर किए गए सभी खर्च को लौटाने का भागी होगा। 25 वर्ष से अधिक आयु के विवाहित अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र हैं

लेकिन प्रशिक्षण अवधि के दौरान न तो उन्हें विवाहितों का आवास मुहैया कराया जाएगा और न ही वे परिवार के साथ बाहर रह सकते हैं।

(iv) भा वा से द्वारा स्वीकार्य जन्म तिथि वह है जो मैट्रिक या माध्यमिक स्कूल परित्याग प्रमाणपत्र अथवा मैट्रिक के समकक्ष और किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा रखे गए मैट्रिकुलेट रजिस्टर के उद्धरण सार जो विश्वविद्यालय के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अनिवार्यतः प्रमाणित हो या उच्चतर माध्यमिक अथवा किसी समकक्ष परीक्षा प्रमाणपत्र में दर्ज होती है। जन्मपत्री, शपथपत्र, नगर निगम के जन्म उद्धरण सार, सेवा रिकॉर्ड और इस तरह के दस्तावेज जैसे आयु से संबंधित कोई भी दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

(v) यदि मैट्रिक/ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र में जन्म तिथि नहीं दिखाई गई है या केवल पूरे वर्ष अथवा पूरे वर्ष और महीने द्वारा आयु दिखाई गई है तो ऐसे मामलों में ऐसा अभ्यर्थी उस संस्थान के प्राध्यापक/ प्राधानाचार्य से प्रमाणपत्र की एक प्रमाणित/ स्व सत्यापित प्रति अवश्य रखेगा, जहां से उसने मैट्रिक/ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा पास की हो, और जिसमें संस्थान के प्रवेश रजिस्टर में दर्ज रूप में उसकी जन्म तिथि अथवा ठीक-ठीक आयु दिखाई गई हो।

(vi) अभ्यर्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिक/ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र अथवा किसी समकक्ष प्रमाणपत्र में दर्ज जन्मतिथि ही भा वा से द्वारा

स्वीकार की जाएगी और बाद में इसमें किसी भी परिवर्तन पर न तो विचार किया जाएगा और न ही मंजूर किया जाएगा।

(vii) **अभ्यर्थियों को अपनी जन्मतिथि दर्ज करते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। यदि बाद में किसी भी चरण में सत्यापन के क्रम में उनके मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा प्रमाणपत्र में दर्ज जन्मतिथि से भिन्नता पाई जाती है तो इससे उन्हें अयोग्य करार कर दिया जाएगा।**

(ग) **<u>शैक्षणिक योग्यता</u>**

(i) उड़ान शाखा अभ्यर्थी ने 10+2 स्तर पर गणित और भैतिकी विषयों में प्रत्येक में कम से कम से 50% अंकों के साथ अवश्य परीक्षा पास की हुई हो, और

(कक) किसी मान्यताप्राप्त विशिवविद्यालय से किसी भी संकाय में कम से कम 60% अंकों के साथ कम से कम तीन वर्ष के डिग्री कोर्स के साथ स्नातक या समकक्ष

अथवा

(कख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 60% अंकों के साथ बी ई/ बी टेक डिग्री (चार वर्षीय कोर्स) या समकक्ष

अथवा

(कग) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 60% अंको के साथ एसोशिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) या समकक्ष पास कर चुके अभ्यर्थी।

(ii) **ग्राउंड ड्यूटी (तकनीकी) शाखा**

(कक) **<u>वैमानिक इंजीनियर(इलेक्ट्रॉनिक्स) ए ई (एल)</u>**

10+2 स्तर पर गणित और भौतिकी में प्रत्येक में कम से कम 50% अंक प्राप्त कर चुके और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी/ प्रौद्योगिकी में कम से कम चार वर्षीय डिग्री स्नातक/ एकीकृत स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त कर चुके अथवा कम से कम 60% अंक के साथ एसोशिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टिट्यूशन इंजीनियर्स (इंडिया) या एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की खंड ए और बी परीक्षा अथवा निम्नलिखित विषयों में वास्तविक अध्ययन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियर संस्थान की स्नातक सदस्यता परीक्षा या समकक्ष पास कर चुके अभ्यर्थीः-

(ककक) अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स & इंस्ट्रुमेंटशन
(ककख) कम्युनिकेशन (संचार) इंजीनियरी
(ककग) कम्प्यूटर इंजीनियरी/ प्रौद्योगिकी
(ककघ) कम्प्यूटर इंजीनियरी और एप्लीकेशन
(ककच) कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी/ प्रौद्योगिकी
(ककछ) इलेक्ट्रिकल और कम्प्यूटर इंजीनियरी
(ककज) इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी
(ककझ) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी
(ककट) इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी/ प्रौद्योगिकी
(ककठ) इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान और इंजीनियरी
(ककड) इलेक्ट्रॉनिक्स

(ककढ) इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन (संचार) इंजीनियरी

(ककत) इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्प्यूटर विज्ञान

(ककथ) इलेक्ट्रॉनिक्स और/ या दूरसंचार इंजीनियरी (सूक्ष्म तरंग)

(ककद) इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्प्यूटर इंजीनियरी

(ककध) इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन (संचार) और यंत्रीकरण इंजीनियरी

(ककप) इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और नियंत्रण

(ककफ) इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और नियंत्रण इंजीनियरी

(ककब) उपकरण और नियंत्रण इंजीनियरी

(ककभ) सूचना प्रौद्योगिकी

(ककम) अंतरिक्ष यान प्रौद्योदगिकी

(ककय) इंजीनियरी भौतिकी

(ककर) इलेक्ट्रिक शक्ति और यंत्रावली इंजीनियरी

(कखक) सूचना प्रौद्योगिकी (इन्फोटेक) इंजीनियरी

(कखख) साइबर सुरक्षा

(कख) **<u>वैमानिकी इंजीनियरी (यांत्रिक) {ए ई (एम)}</u>** 10+2 स्तर पर भौतिकी और गणित में प्रत्येक में कम से कम 50% अंक प्राप्त कर चुके और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी/ प्रौद्योगिकी में कम से कम चार वर्षीय डिग्री स्नातक/ एकीकृत स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त कर चुके अथवा कम से कम 60% अंक के साथ एसोशिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) अथवा एरोनॉटिकल

सोसाइटी ऑफ इंडिया की खंड ए और बी परीक्षा निम्नलिखित विषयों में वास्तविक अध्ययन द्वारा पास कर चुके अभ्यर्थीः-

(ककक) वांतरिक्ष इंजीनियरी

(ककख) वैमानिक इंजीनियरी

(ककग) वायुयान अनुरक्षण इंजीनियरी

(ककघ) यांत्रिक इंजीनियरी

(ककच) यांत्रिक इंजीनियरी और स्वचालन

(ककछ) यांत्रिक इंजीनियरी (उत्पादन)

(ककज) यांत्रिक इंजीनियरी (मरम्मत और अनुरक्षण)

(ककझ) मेकाट्रॉनिक्स

(ककट) औद्योगिक इंजीनियरी

(ककठ) विनिर्माण इंजीनियरी

(ककड) उत्पादन और औद्योगिक इंजीनियरी

(ककढ) सामग्री विज्ञान और इंजीनियरी

(ककत) धातुकर्मीय और सामग्री इंजीनियरी

(ककथ) वांतरिक्ष और अनुप्रयुक्त यांत्रिकी

(ककद) स्वचलित इंजीनियरी

(ककध) रोबोटिक्स

(ककन) नैनोटेक्नॉलोजी

(ककप) रबर प्रौद्योगिकी और रबर इंजीनियरी

(iii) **<u>ग्राउंड ड्यूटी (गैर-तकनीकी) शाखाएं</u>**

(कक) **<u>प्रशासनिक और संभारिकी</u>**

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 60% अंको के साथ किसी भी संकाय में 10+2 और स्नातक डिग्री (कम से कम तीन वर्षीय डिग्री कोर्स) या समकक्ष प्राप्त की हो या कम

से कम 60% अंकों के साथ एसोशिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) अथवा एयरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की खंड ए और बी परीक्षा या समकक्ष पास की हो।

(कख) **<u>लेखा शाखा</u>** अभ्यर्थी ने किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से निम्नलिखित में से किसी भी शाखा में 60% अंकों के साथ स्नातक या समकक्ष किया हो:

(ककक) बी कॉम डिग्री (कम से कम तीन वर्षीय कोर्स)

(ककख) व्यवसाय प्रशासन स्नातक (वित्त में विशेषज्ञता के साथ) प्रबंधन अध्ययन स्नातक (वित्त में विशेषज्ञता के साथ)/व्यवसाय अध्ययन स्नातक (वित्त में विशेषज्ञता के साथ)

(ककग) सीए/सीएमए/सीएस/सीएफए योग्यता प्राप्त की हो।

(ककघ) वित्त में विशेषज्ञता के साथ विज्ञान स्नातक

(कग) **<u>शिक्षा शाखा:-</u>** 10+2 पास तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले किसी भी एकीकृत कोर्स (निकास और पार्श्विक प्रविष्टि अनुमति के बगैर एकल डिग्री) सहित किसी भी संकाय में 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर तथा किसी भी संकाय में 60% अंकों के साथ स्नातक।

(iv) **<u>मौसमविज्ञान शाखा में भर्ती:-</u>** 10+2 पास तथा विज्ञान की किसी भी शाखा/ गणित/ सांख्यिकी/ भूगोल/ कंप्यूटर एप्लिकेशन्स/ पर्यावरण विज्ञान/ अनुप्रयुक्त भौतिकी/ समुद्र विज्ञान/ मौसम विज्ञान/ कृषि

मौसम विज्ञान/ पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण/ भू-भौतिकी/ पर्यावरण जीव विज्ञान विषयों में सभी पेपर में कुल योग कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री (बशर्ते गणित तथा भौतिकी विषय स्नातक स्तर पर पढ़े हों तथा प्रत्येक में कम से कम 55% अंक प्राप्त किए हों)।

(v) <u>नोट</u>

(कक) इन कोर्सों में आवेदन के लिए केवल 10+2 पैटर्न में 12वीं पास करने वाले अभ्यर्थी ही पात्र हैं।

(कख) **दो सीटें विधि योग्यताप्राप्त अभ्यर्थियों के लिए ग्राउंड ड्यूटी (गैर-तकनीकी) शाखाओं में आरक्षित हैं और इन अभ्यर्थियों को (कमीशन प्रदान किए जाने के बाद) भावासे की विधि संबंधी ड्यूटी में लगाया जा सकता है।**

(कग) यदि अभ्यर्थियों को अंकों के बजाय ग्रेड/सीजीपीए प्रदान किया गया है तो ग्रेड/सीजीपीए अंकों में परिवर्तन उस विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रक्रिया पर आधारित होगी जहां से उन्होंने डिग्री प्राप्त की है। यदि विश्वविद्यालय के पास सीजीपीए को प्रतिशत परिवर्तन प्रमाणपत्र में परिवर्तित करने की कोई योजना नहीं है तो सीजीपीए को 10 अंकों के स्केल में रूपांतरित किया जाएगा और समतुल्य प्रतिशत प्राप्त करने के लिए 10 से गुणा किया जाएगा।

(कघ) जो अभ्यर्थी अंतिम वर्ष/सत्रक डिग्री कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें अभी अंतिम वर्ष की डिग्री परीक्षा पास करनी है, वे भी आवेदन कर सकते हैं बशर्ते उनका अभी कोई पिछला बकाया न हो और उन्होंने अंतिम सत्रक/वर्ष तक कम से कम 60% अंक प्राप्त किए हों जिसके लिए परिणाम आवेदन पत्र

प्रस्तुत करने के समय तक घोषित किए जा चुके हैं। उन्हें 30 मई 2023 तक डिग्री परीक्षा पास करने का प्रमाण प्रस्तुत करना अपेक्षित है और मूल अर्हक विश्वविद्यालय परीक्षा के देर से संचालन, परिणामों की घोषणा में विलंब या किसी भी अन्य आधार पर इस तारीख को आगे बढ़ाने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

(कच) पहले के किसी प्रयास में कम्प्यूटरीकृत पायलट चयन प्रक्रिया (सीपीएसएस) में असफल रहे अभ्यर्थी या वायु सेना अकादमी में उड़ान प्रशिक्षण से निलंबित किए गए फ्लाइट कैडेट उड़ान शाखा में आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

(घ) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय सैन्य अकादमी, वायु सेना अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, अफसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई और अफसर प्रशिक्षण अकादमी, गया में पहले किसी कोर्स में प्रवेश दिए गए किंतु अनुशासनहीनता के आधार पर निकाल दिए गए अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

(च) रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा सेवाओं में किसी भी किस्म का कमीशन धारण करने से विवर्जित अभ्यर्थी एएफकैट के लिए पात्र नहीं होंगे और यदि उन्हें प्रवेश दिया भी गया हो तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(छ) आपराधिक आरोपों में दोषसिद्ध अभ्यर्थी और किसी आपराधिक मुकदमे में अब भी फंसे अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

6. **<u>शारीरिक और चिकित्सा स्तर</u>** अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक और चिकित्सा स्तरों से संबंधित दिशानिर्देश इस अधिसूचना के परिशिष्ट 'क' में दिए गए रूप में होंगे।

7. **<u>आवेदन करने का तरीका</u>** भावासे में शामिल होने के इच्छुक युवाओं को https://careerindianairforce.cdac.in या https://afcat.cdac.in लिंक का प्रयोग

करते हुए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए विस्तृत अनुदेश नीचे दिए गए हैं:

(क) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय आवेदकों को पूरी सावधानी बरतने की जरुरत है। यदि कोई भी सूचना गलत पाई जाती है तो चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी । "भुगतान करें" (make payment) विकल्प के साथ आगे बढ़ने से पहले सभी फील्ड में दर्ज की गई सूचना की सत्यता कृपया सत्यापित कर लें। आवेदक "कोर्स पसंद" (course preferences) चरण का चयन करने के बाद और "भुगतान करें" (make payment) चरण के बाद पहले दर्ज किए गए ब्यौरे को संपादित नहीं कर पाएंगे।

(ख) यदि किसी आवेदक ने एक से अधिक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए हैं तो किसी आधार संख्या विशेष के साथ प्रस्तुत नवीनतम आवेदन-पत्र पर ही प्रवेश पत्र जारी करने के लिए विचार किया जाएगा। तथापि अतिरिक्त आवेदन-पत्र भरते समय जमा किया गया शुल्क प्रतिदेय नहीं होगा।

(ग) आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करना अपेक्षित होगा जिसके लिए निम्नलिखित अनुक्रम होगा: सारणी रूप में ब्यौरा नीचे पैरा 7 (झ) में दिया गया है :-

(i) होम पेज पर "CANDIDATE LOGIN" क्लिक करें - यह एएफकैट साइन-इन पर ले जाता है।

(ii) अगले पेज में आवेदक NOT YET REGISTERED? REGISTER HERE" पर क्लिक करें।

(iii) साइन अप : लॉग-इन आईडी तैयार करें। अब आवेदक को उसके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर एक पासवर्ड प्राप्त होगा।

(iv) पंजीकरण सफल होने के बाद पंजीकृत ई-मेल आईडी और सिस्टम द्वारा बनाए गए पासवर्ड के साथ साइन-इन करें।

(v) रिसेट पासवर्ड-लॉग-आउट (अभ्यर्थी परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान भविष्य में प्रयोग के लिए अपनी लॉग-इन आईडी और पासवर्ड जरूर याद रखें।

(vi) नया लॉग-इन

(vii) प्रवेश का चयन : "एएफकैट (एएफकैट)," "उड़ान शाखा के लिए एनसीसी विशेष प्रवेश" (NCC SPECIAL ENTRY FOR FLYING BRANCH)"

(viii) "अनुदेश (INSTRUCTIONS)" पर क्लिक करें। अनुदेशों को ध्यान से पढ़ें।

(ix) अनुदेशों को पढ़ और समझ लेने संबंधी स्वीकृति - अगले चरण में जाने के लिए बॉक्स चेक करें।

(x) "आवेदन-पत्र फॉर्म भरना (APPLICATION FORM FILLING)" पर क्लिक करें।

(कक) **<u>व्यक्तिगत सूचना</u>** विवरण भरें।

"सेव एंड कंटिन्यू" को क्लिक करें।

अब निम्नलिखित विवरण के पुनः सत्यापन के लिए एक पुष्टि (Confirmation) बॉक्स दिखाई देगाः-

- नाम
- पिता का नाम
- माता का नाम
- जन्म-तिथि
- लिंग
- आधार संख्या

कृपया इन विवरणों की पुनः जांच करें, सत्यता की पुष्टि करें और आगे बढ़ें। <u>इस पुष्टि के बाद किसी भी परिस्थिति में बाद में किसी भी स्तर पर जन्मतिथि और लिंग बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी</u> और कहीं पर भी गलत जानकारी पाए जाने पर आपकी अभ्यर्थिता अस्वीकृत कर दी जाएगी।

(कख) **<u>योग्यता विवरण</u>** विवरण भरें।

अगले चरण में जाने के लिए "सेव एण्ड कंटिन्यू (SAVE AND CONTINUE)" पर क्लिक करें।

(कग) **<u>कोर्स की पसंद</u>** विवरण भरें।

अगले चरण में जाने के लिए "सेव एण्ड कंटिन्यू (SAVE AND CONTINUE)" पर क्लिक करें।

(कघ) **<u>पत्र व्यवहार विवरण</u>** विवरण भरें।

अगले चरण में जाने के लिए "सेव एण्ड कंटिन्यू (SAVE AND CONTINUE)" पर क्लिक करें।

(कच) **<u>दस्तावेज अपलोड करें</u>** - अपनी हाल की फोटो, हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान (प्रत्येक जेपीजी/जेपीईजी फाइल का आकार 10 से 50 केबी के बीच होना चाहिए)। प्रत्येक जेपीजी/जेपीईजी फाइल का नाम अपलोड किए गए दस्तावेज के नाम से संगत होना चाहिए अर्थात्

हस्ताक्षर (Signsture) फाइल का नाम **<u>Signsture.jpg अथवा Signature.jpeg</u>** होना चाहिए।

- फोटो फाइल का नाम **<u>Photo.jpg अथवा Photo.jpeg</u>** होना चाहिए।

- अंगूठे के निशान वाली फाइल का नाम **Thumb Impression.jpg अथवा Thumb Impression.jpeg** होना चाहिए। अनुपयुक्त इमेज वाले आवेदन को अमान्य माना जाएगा और चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर, जब भी पता चले, कहीं भी अन्य गलत प्रविष्टियां होने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(कछ) **परीक्षा के शहर का चयन** ड्रॉप-डाउन मेनू चयन करें।

(कज) **घोषणा** अगले चरण में जाने के लिए "सेव एण्ड कंटिन्यू" (SAVE AND CONTINUE) पर क्लिक करें।

(xi) ऑनलाइन (केवल एएफकैट के लिए लागू)

(xii) भुगतान हुआ है या नहीं - यह देखने के लिए "भुगतान स्थिति" (PAYMENT STATUS) क्लिक करें। यदि पंजीकरण संख्या प्रदर्शित होती है तो इसका अर्थ है कि भुगतान सफल है।

(xiii) **केवल एएफकैट अभ्यर्थियों के लिए** 10 **अगस्त** 2022 के बाद वेबसाइट https://afcat.cdac.in से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए "प्रवेश पत्र डाउनलोड करें (DOWNLOAD ADMIT CARD)" पर क्लिक करें और आपको अपनी पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भी प्रवेश पत्र प्राप्त होगा। यदि अभ्यर्थी को अपने पंजीकृत ई-मेल आईडी पर उसका प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होता या यदि वह इसे उल्लिखित वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर पा रहा/रही हो, तो उसे सी-डैक, पुणे स्थित एएफकैट सेल से पूछताछ करनी चाहिए। (फोन नंबर- 020-25503105 या 020-25503106)। ई-मेल पर प्रश्न afcatcell@cdac.in को संबोधित किए जा सकते हैं।

(घ) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय आवेदक अवश्य सुनिश्चित करे कि वह शैक्षणिक योग्यता, जो समय-समय पर समीक्षा और अद्यतन किए गए रूप में संगत शिक्षा बोर्ड/यूजीसी के दिशानिर्देशों/प्रतिमानकों के अनुरूप अवश्य हो, समेत सभी पात्रता शर्तें पूरी करता/करती है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वह संगत दस्तावेज तैयार करें क्योंकि विवरण मैट्रिक और अन्य शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के अनुसार भरे जाते हैं। आवेदक द्वारा भरी गई प्रवेश स्तर योग्यता इस अधिसूचना के पैरा 5 (ग) में दी गई प्रवेश स्तर योग्यता (ई एल क्यू) के समरूप होनी चाहिए। यदि कोई भी पात्रता शर्त पूरी नहीं होती तो चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी चरण में अभ्यर्थिता अस्वीकार कर दिए जाने की भागी होगी और इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। एकीकृत डिग्री प्रोग्राम के संबंध में प्रचलित यूजीसी दिशानिर्देश निम्नलिखित हैं :

(i) **<u>एकीकृत/दोहरी डिग्री</u>** यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धातों के अनुसार यदि एकीकृत/दोहरी डिग्री प्रोग्राम अंतरिम निर्गम या पार्श्विक प्रवेश के लिए किसी विकल्प के साथ दो अलग-अलग डिग्री का ऑफर देता है तो एकीकृत/दोहरी डिग्री प्रोग्राम की अवधि प्रोग्राम में जोड़ी जा रही दो डिग्री की निर्धारित अवधि के कुल योग के बराबर अवधि से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे सभी प्रोग्राम में एकीकृत/दोहरी डिग्री (पहली डिग्री का नाम) - (अंतिम डिग्री का नाम) की नामावली शामिल होनी चाहिए; प्रोग्राम के अंतगर्त प्रदान की गई दोनों डिग्री निजी और अलग-अलग रूप से संगत डिग्री के समतुल्य रूप में मान्यताप्राप्त होनी चाहिए न कि एक अकेली एकीकृत डिग्री के रूप में)।

(ii) **<u>एकीकृत एकल डिग्री</u>** यदि एकीकृत प्रोग्राम में निर्गम और पार्श्विक प्रवेश की अनुमति के बगैर एक अकेली डिग्री ऑफर की जाती

है तो एकल एकीकृत डिग्री बनाने के लिए जोड़ी जा सकने वाली डिग्री की निर्धारित अवधि के कुल योग के अधिकतम 25% से अधिक छूट प्रोग्राम की अवधि में नहीं दी जा सकती।

(च) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पहले आवेदक के पास जेपीजी/जीपीईजी फाइलों (प्रत्येक फाइल का आकार 10 से 50 kb के बीच) के रूप में सेव की गई स्कैन की हुई इमेज होनी चाहिए :

(i) हाल ही की पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो।

(ii) हस्ताक्षर

(iii) अंगूठे की छाप (पुरुष आवेदकों के लिए बायां अंगूठा और महिला आवेदकों के लिए दायां अंगूठा)।

(छ) ऑनलाइन आवेदन-पत्र का फॉर्म भरते समय, आवेदकों को प्रत्येक भाग की प्रक्रिया पूरी करने के लिए "सेव एण्ड कंटिन्यू" (SAVE AND CONTINUE) पर क्लिक करना अपेक्षित है। यदि अनिवार्य फील्ड (एक लाल ऐस्टेरिक (*) द्वारा चिह्नित) नहीं भरे जाते हैं तो आवेदकों को क्लिक करने और आवेदन-पत्र के फॉर्म के अगले भाग पर जाने के लिए "सब्मिट (SUBMIT)" बटन तैयार नहीं होगा।

(ज) एक बार जब कोर्स की पसंद चरण सेव कर लिया जाता है तो आवेदक व्यक्तिगत सूचना और योग्यता विवरण पेज में पिछले आंकड़े संपादित/संशोधित करने में सक्षम नहीं होंगे। यदि कोई आवेदक ऐसा करना चाहता है तो केवल पत्र व्यवहार विवरण पेज संपादित किया जा सकता है। "भुगतान करें" (MAKE PAYMENT) चरण के बाद आवेदक भुगतान स्थिति के साथ प्रीव्यू ऐप्लिकेशन की जांच कर पाने में सक्षम होंगे। तथापि यदि किसी आवेदन-पत्र में संशोधन करना है तो आवेदक के पास एकमात्र विकल्प एक अलग ई-मेल आईडी के साथ पुनः पंजीकरण करके और नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने

का होगा। किसी अतिरिक्त ऑनलाइन आवेदन-पत्र फॉर्म सहित भुगतान किया गया शुल्क प्रतिदेय नहीं होगा।

(झ) **एएफकैट प्रवेश के लिए परीक्षा शुल्क** ऑनलाइन पत्र भरने के बाद एएफकैट प्रवेश के लिए ₹250 के परीक्षा शुल्क (अप्रतिदेय) (एनसीसी विशेष प्रवेश और **मौसमविज्ञान शाखा में भर्ती** के लिए लागू नहीं) का ऑनलाइन आवेदन के मुख्य मेनू पर "भुगतान करें" (MAKE PAYMENT) चरण के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए कोई नकदी या चैक या डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा शुल्क का भुगतान गेटवे के माध्यम से क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि भुगतान गेटवे पर दिए गए अनुदेशों का पालन करें और अपने रिकॉर्ड के लिए लेन-देन विवरण/प्रिंट आउट रखें। बैंक से पुष्टि कर लेने के बाद कि भुगतान प्राप्त हो चुका है "भुगतान स्थिति" में "पंजीकरण संख्या" प्रदर्शित होगी, जिसे अभ्यर्थी भविष्य में पत्राचार के लिए लिख कर रख सकता है। इसी के साथ अभ्यर्थी को एक पुष्टि कारक एसएमएस/ई-मेल प्राप्त होगा। इसके बाद (हॉल टिकट संख्या के साथ) प्रवेश पत्र अभ्यर्थी को उसकी पंजीकृत ई-मेल आईडी पर प्राप्त होगा जो उसकी पंजीकृत ई-मेल आईडी से डाउनलोड भी किया जा सकता है।

(ट) आवेदन फार्म ऑनलाइन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश:

क्र स.	विवरण	
1. साइन अप फार्मेट		
	पूरा नाम	10वीं मैट्रिक परीक्षा पास प्रमाणपत्र के अनुसार - सभी अधिकतम 50 कैरेक्टर के अल्फाबेट में
	पिता का नाम	अधिकतम 50 कैरेक्टर के अल्फाबेट में
	माता का नाम	अधिकतम 50 कैरेक्टर के अल्फाबेट में
	ई-मेल आइ डी	ई-मेल आइ डी (साइन-इन के लिए प्रयोग में लायी जाएगी)
	राष्ट्रीयता	भारतीय
	मोबाइल संख्या	10 अंको में
	सिक्रेट प्रश्न	विकल्पो मे से किसी एक का चयन करें।
	सिक्रेट उत्तर	अधिकतम 50 कैरेक्टर के अल्फाबेट में
	कैप्चा	दर्शाया गया अल्फान्यूमेरिक टेक्स्ट दर्ज करें।
2. व्यक्तिगत सूचना		
(क)	प्रवेश का प्रकार	आवेदक भा वा से में प्रवेश के लिए दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनें (I)ए एफ सी ए टी (ए एफ कैट) (II)एन सी सी विशेष प्रवेश (III) मौसमविज्ञान शाखा में भर्ती
(ख)	अभ्यर्थी का नाम (10वीं मैट्रिक परीक्षा पास सर्टिफिकेट के अनुसार)	ये फील्ड्स (कॉलम)आवेदक द्वारा दर्ज किए गए साइनअप डेटा से स्वयं भरे जाएंगे

(ग)	अभ्यर्थी के पिता का नाम (10वीं/मैट्रिक परीक्षा पास सर्टिफिकेट के अनुसार)	ये फील्ड्स (कॉलम)आवेदक द्वारा दर्ज किए गए साइनअप डेटा से स्वयं भरे जाएंगे
(घ)	अभ्यर्थी की माता का नाम (10वीं/मैट्रिक परीक्षा पास सर्टिफिकेट के अनुसार)	
(च)	ई-मेल पता	
(छ)	दूसरा ई-मेल आइ डी	आवेदक ने जिस ई-मेल आइ डी से साइन अप किया है उसके अलावा कोई अन्य ई-मेल आइ डी
(ज)	राष्ट्रीयता	
(झ)	मोबाइल संख्या	
(ट)	आवेदक का सुस्पष्ट दिख रहा पहचान चिह्न	अधिकतम 50 कैरेक्टर के अल्फाबेट में
(ठ)	सी पी एस एस/पी ए बी टी की स्थिति	आवेदक को चुनना है, पास हुआ/फेल हुआ/नहीं बैठा, यदि पास हुआ तो (i) से (iv) तक का विवरण भरें
(i)	सी पी एस एस/पी ए बी टी बैच संख्या	अंकीय मान
(ii)	सी पी एस एस/पी ए बी टी पास करने की	तारीख/महीना/वर्ष/

	तारीख	
(iii)	सी पी एस एस/पी ए बी टी, चेस्ट संख्या	अंकीय मान
(iv)	सी पी एस एस/पी ए बी टी के लिए किस वायु सेना चयन बोर्ड में उपस्थित हुए?	देहरादून, गांधीनगर, मैसूर और वाराणसी की सूची में से किसी एक का चयन करें।
(ड)	क्या आपके पास डी जी सी ए द्वारा जारी मौजूदा वैध वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस है?	'हां' अथवा 'नहीं' का चयन करें
(ढ़)	क्या आप भा वा से के सेवारत वायुसैनिक हैं ?	हां अथवा नहीं का चयन करें, यदि हां तो (i) से (iv) तक का विवरण दें।
(i)	भा.वा.से. में रैंक का चयन करें	सूची से किसी एक को चुनें
(ii)	सर्विस संख्या	अक्षरांकीय
(iii)	मौजूदा तैनाती यूनिट	अक्षरांकीय
(iv)	कमान का चयन करें	सूची में से किसी एक का चयन करें
(त)	लिंग का चयन करें	पुरूष अथवा महिला
(थ)	वैवाहिक स्थिति	विवाहित अथवा अविवाहित

	का चयन करें	
(द)	जन्मतिथि	तारीख/महीना/वर्ष
(ध)	अपनी जन्म तिथि की पुष्टि करें।	तारीख/महीना/वर्ष
3. **योग्यता विवरण**		
(क)	शैक्षिक स्तर	सूची से एक का चयन करें, 10+2+स्नातक 10+2+स्नातक+स्नातकोत्तर 10+2+एकीकृत स्नातकोत्तर
(ख)	स्नातक स्तर का चयन करें	उपर्युक्त चयन के आधार पर सूची में से एक का चयन करें स्नातक विकल्प क स्नातक विकल्प ख स्नातक विकल्प ग स्नातक विकल्प घ
(ग)	अर्हता(योग्यता)डिग्री का चयन करें	ग्रुप 'ए' 'बी' और 'डी' के लिए निम्नलिखित से चयन करें -ए एम आइ ई /ए एस आइ/आइ ई टी ई -बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग -बैंचलर ऑफ टेक्नोलोजी -विकल्प 'सी' के लिए बी. काम इत्यादि दर्ज करें
(घ)	कोर्स की अवधि(वर्षों में)	ए' 'बी' 'डी' के लिए अंक 04 चार वर्ष 'सी' के लिए अंक (03) तीन वर्ष
(च)	कॉलेज/संस्थान का नाम	अधिकतम 50 कैरेक्टर के अल्फाबेट में
(छ)	विश्वविद्यालय का नाम	अधिकतम 50 कैरेक्टर के अल्फाबेट में

(ज)	स्नातक की तिथि/स्नातक की डिग्री प्राप्त करने की संभावित तिथि	तारीख/माह/वर्ष
(झ)	कुल/सकल प्रतिशत दर्ज करें।	अंकीय 02 अंक का
(ट)	क्या आपकी मौजूदा बैकलॉग है?	'हां' अथवा 'नहीं' का चयन करें।
(ठ) 10+2 हायर सेकेण्डरी स्कूल विवरण		
(i)	10+2 / हायर सेकेण्डरी स्कूल मार्कशीट के अनुसार कुल / सकल प्रतिशत दर्ज करें	अंकीय 02 अंक का
(ii)	10+2 / हायर सेकेण्डरी स्कूल मार्कशीट के अनुसार भौतिकी का प्रतिशत दर्ज करें। यदि लागू न हो तो शून्य(0) दर्ज करें।	अंकीय 02 अंक का
(iii)	10+2 / हायर सेकेण्डरी स्कूल मार्कशीट के	अंकीय 02 अंक का

	अनुसार, गणित का प्रतिशत दर्ज करें यदि लागू न हो तो शून्य(0) भरें।	
4. कोर्स वरीयता		
(क)	कोर्स	आवेदक को कोर्सों की सूची से चयन करना है - फ्लाइंग - ग्राउंड ड्यूटी (तकनीकी) -ग्राउंड ड्यूटी (गैर-तकनीकी) कोर्सों की एक सूची डिस्पले होगी जिसके लिए अभ्यर्थी, शैक्षिक योग्यता और आयु के अनुसार पात्र हैं। अभ्यर्थियों को अपनी स्वयं की वरीयता के अनुसार अनिवार्य रूप से सभी कोर्सों को चुनना है। पंजीकरण प्रक्रिया तब तक आगे प्रोसेस नहीं होगी जब तक अभ्यर्थी ने सभी कोर्सों का चयन नहीं किया है। अपनी वरीयता के अनुसार, तकनीकी ब्रांच के लिए पात्र अभ्यर्थियों को,इनके अतिरिक्त EKT प्रश्नपत्र का चयन करना होगा। **<u>नोट:-</u>** अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किए गए विक्लपों/ पसंद से अनपेक्ष उनकी उपयुक्तता और रक्तियों की उपलब्धता के

		अनुसार भारतीय वायुसेना को शाखाओं के नियतन का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. एन सी सी		
(क)	एन सी सी एयर विंग 'सी' प्रमाणपत्र	यदि आवेदक एन सी सी के माध्यम से ज्वाइन करता है।
(i)	क्रम संख्या	संख्या
(ii)	एन सी सी यूनिट का नाम	अधिकतम 50 कैरेक्टर के अल्फाबेट में।
(iii)	वर्ष	अंकीय 04 अंक (वर्ष)
6. अभ्यर्थी जो ए एफ एस बी / एस एस बी परीक्षा में बैठे ।		आवेदक को, पास की/फेल हुआ/(परीक्षामें)नहीं बैठा, चयन करना है यदि पास हुए है तो (ए) से (ई) तक का विवरण भरें।
(क)	बैच संख्या	नंबर
(ख)	परीक्षा में उपस्थित होने का स्थान दर्ज करें(लिखें)	अल्फाबेट
(ग)	ए एफ एस बी में रूकने के दिनों की संख्या	(तारीख/माह/वर्ष) से (तारीख/माह/वर्ष) तक
7. ए एफ सी ए टी सूचना का स्रोत		
(क)	स्रोत	सूचना समाचार पत्र, रोजगार समाचार पत्र की सूची
8. **गेट**		

(क)	पास करने का वर्ष	अंकीय 04 अंक
(ख)	गेट स्कोर	अंकीय 02 अंक
9. **संचार विवरण**		
(क)	स्थायी पता	
(i)	पूरा पता दर्ज करें।	अधिकतम 100 कैरेक्टर के अल्फाबेट और संख्या में।
(ii)	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का चयन करें।	प्रदर्शित किए गए राज्यों की सूची में से किसी एक का चयन करें
(iii)	शहर का चयन करें।	प्रदर्शित किए गए शहरों की सूची में से किसी एक का चयन करें।
(iv)	पिन कोड	अंकीय 06 अंक
(v)	नजदीकी रेलवे स्टेशन	अल्फाबेट अधिकतम 50 कैरेक्टर के अल्फाबेट में
(vi)	लैंड लाइन नंबर	एस टी डी कोड और लैंड लाइन अंकीय 11 अंको में
(vii)	आधार कार्ड संख्या	यू आइ डी ए आई द्वारा जारी किए गए आधार कार्ड में दिए अनुसार आवेदक की 12 अंको की आधार संख्या
(viii)	जांच करें कि स्थायी पता और पत्राचार पता एक ही है।	यदि टिक किया है तो स्थायी पते का ब्यौरा पत्राचार पते में लिखा जाएगा।
(ख) **पत्राचार का पता**		
(i)	पूरा पता	अधिकतम 250 कैरेक्टर के अल्फाबेट और संख्या में।
(ii)	राज्य	प्रदर्शित होने वाली सूची में से किसी एक का चयन करें।
(iii)	शहर	प्रदर्शित होने वाली सूची में से किसी एक का

		चयन
(iv)	पिन कोड	अंकीय 06 अंक
(v)	नजदीकी रेलवे स्टेशन	अधिकतम 50 कैरेक्टर के अल्फाबेट में
10.अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज	प्रत्येक फाइल का साइज 10 के बी से 50 के बी के बीच होगा ।	
(क)	फोटोग्राफ	बिना सत्यापन किया हाल ही का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ (फ्रंट चित्र, बिना टोपी पहने हुए हो, केवल सिखों को छोड़कर) अपलोड करें।
(ख)	हस्ताक्षर	स्वयं के हस्ताक्षर को स्कैन कर जे पी इ जी/जे पी जी फार्मेट में अपलोड करें।
(ग)	अंगूठे का छाप	अंगूठे की छाप को स्कैन कर जे पी ई जी/जे पी जी फार्मेट में अपलोड करें।
(घ)	अभ्यर्थी द्वारा घोषणा	जांच करें
11. परीक्षा शहर का चयन करें	पैरा 08(छ) में दी गई परीक्षा शहरों की सूची से वरीयता के आधार पर 05 शहरों का चयन करें।	

(ठ) आवेदकों को सख्त हिदायत दी जाती है कि अंतिम समय की भीड़ जिसमें वेबसाइट/सर्वर धीमा पड़ जाता है, से बचने के लिए वे समय से पूर्व ऑनलाइन आवेदन करें।

(ड) **<u>सेवारत वायुसैनिक</u>** - सेवारत वायुसैनिकों को अन्य आवेदकों की तरह आवेदन करना है। इसके अतिरिक्त, उन्हें सैन्य चैनल के माध्यम से वा.से.आ 11/2015 में दिए गए सैन्य फार्मेट के अनुसार आवेदन करना होगा।

(ढ) **<u>सरकारी कर्मचारियों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र</u>** - आवेदक जो पहले से सरकारी सेवा में हैं जिसमें सशस्त्र बलों में सेवारत, सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रम अथवा इसी प्रकार के अन्य संगठन शामिल है, वे अपने संबद्ध विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही आवेदन करेंगे और उन्हें ए एफ एस बी टेस्टिंग के समय अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर उनका टेस्ट लिए बिना उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। यह ध्यान रखे बिना कि अभ्यर्थी स्थायी, अस्थायी या संविदा कर्मचारी है, अनापत्ति प्रमाणपत्र अनिवार्य है।

(त) **<u>नियोक्ता की अनुमति</u>** - अभ्यर्थियों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि यदि अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन किया है/परीक्षा में बैठ रहे हैं, उनके नियोक्ता से अनुमति रोकने की सूचना प्राप्त होती है, उनकी उम्मीदवारी(candidature) निरस्त कर दी जाएगी। यदि नियोक्ता किसी कारण से अनापत्ति प्रमाणपत्र देने से मना कर देता है तो उस इंकार को लिखित में लिया जाएगा और AFSB में प्रस्तुत किया जाएगा।

(थ) आवेदकों को अपने आवेदन के साथ आयु,शैक्षणिक योग्यताओं आदि के दावों के समर्थन में कोई प्रमाणपत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। तथापि परीक्षा केन्द्रों पर निश्चित अनिवार्य मूल दस्तावेज लाने आवश्यक हैं, जिनके ब्यौरे पैरा 8(च)में दिए गए हैं।

(द) **<u>पंजीकरण एवं संचार के दौरान संपर्क/संदर्भ ब्यौरे</u>** - आवेदन फार्म भरते समय, आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपनी वैध और सक्रिय ई-मेल आई डी दें क्योंकि भावासे पूरी चयन प्रक्रिया में,विभिन्न चरणों में उनसे संपर्क करने के लिए संप्रेषण का इलेक्ट्रानिक मोड प्रयोग में लाएगा। ऑनलाइन आवेदन फार्म सफलतापूर्वक प्रस्तुत (भेजने) करने पर अभ्यर्थी अपने पंजीकृत ई-मेल आई डी पर पुष्टि (Confirmity) ई-मेल प्राप्त

करेंगे। इसी प्रकार भा वा से से संप्रेषण (पत्र व्यवहार) करते समय सभी में निम्नलिखित विवरण अनिवार्य रूप से होने चाहिए,जिनके बिना किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

(i) ब्रांच,कोर्स संख्या तथा परीक्षा का वर्ष

(ii) मामला,(ट्रांजेक्शन) संख्या (भुगतान संबंधी पूछताछ के लिए)

(iii) पंजीकरण संख्या (जैसा कि भुगतान स्टेटस एवं प्रवेश पत्र में दिए गया है)।

(iii) हॉल टिकट संख्या (जैसा कि प्रवेश पत्र में दिया गया है)

(iv) आवेदक का नाम (पूरा नाम बड़े अक्षरों में)

8. <u>एएफकैट</u>

(क) **<u>ऑनलाइन परीक्षा कार्यक्रम</u> -** सभी आवेदक जिनके आवेदन फार्म देय तिथि तक जमा हो गए हैं, **26 अगस्त 22** (शुक्रवार), **27 अगस्त 22 (शनिवार)** अथवा **28 अगस्त 22 (रविवार)** को परीक्षा केन्द्रों में से किसी एक परीक्षा केन्द्र पर एएफकैट के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थी जिन्होंने ग्राउंड डयूटी(तकनीकी) ब्रांच चुना है उनके लिए एएफकैट के साथ-साथ इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट (EKT) दोनों में उपस्थित होना अनिवार्य हैं।

(i) **<u>परीक्षा कार्यक्रम</u>** एएफकैट (एवं EKT) का आयोजन तीन दिन में किया जाएगा। कार्यक्रम निम्नलिखित है -

गतिविधि	26 अगस्त 22 (1दिन)		27 अगस्त 22 (02दिन)		28 अगस्त 22 (03दिन)	
	प्रथम पारी	दूसरी पारी	प्रथम पारी	दूसरी पारी	प्रथम पारी	दूसरी पारी
अभ्यर्थी का पहुंचने का समय	07:30 बजे	12:30 बजे	07:30 बजे	12:30 बजे	07:30 बजे	12:30 बजे
प्रवेश पत्र एवं आई डी प्रूफ बायोमैट्रिक्स का सत्यापन, उपस्थिति पत्रक पर फोटो/अंगूठेकीछाप/ हस्ताक्षर और अभ्यर्थी का परीक्षा हाल में बैठना	07:30 बजे - 09:30 बजे	12.30 बजे - 14.30 बजे	07:30 बजे - 9:30 बजे	12.30 बजे - 14.30 बजे	07:30 बजे - 09:30 बजे	12.30 बजे - 14.30 बजे
अभ्यर्थियों द्वारा अनुदेशों को पढ़ना	09:30 - 09:45 बजे	14:00 – 14:45 बजे	09:30- 09:45 बजे	14:00 - 14:45 बजे	09:30 - 09:45 बजे	14:00 – 14:45 बजे
एएफकैट	09:45 - 11:45 बजे	14:45 – 16:45 बजे	09:45- 11:45 बजे	14:45 – 16:45 बजे	09:45 - 11:45 बजे	14:45 – 16:45 बजे
अंतराल	लागू नहीं	16:45- 17:00 बजे	लागू नहीं	16:45- 17:00 बजे	लागू नहीं	16:45- 17:00 बजे
अभ्यर्थियों द्वारा EKT के लिए अनुदेशों को पढ़ना	लागू नहीं	17:00 - 17:15 बजे	लागू नहीं	17:00 - 17:15 बजे	लागू नहीं	17:00 - 17:15 बजे
EKT	लागू नहीं	17:15 – 18:00 बजे	लागू नहीं	17:15 – 18:00 बजे	लागू नहीं	17:15 – 18:00 बजे

<u>नोट</u> :- प्रथम पारी के लिए 07:30 बजे और दूसरी पारी के लिए 12.30 बजे परीक्षा पूर्व सत्यापन प्रक्रिया चालू होने के पश्चात् अभ्यर्थियों को किसी भी हालत में परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) <u>पाठ्यक्रम</u> विषय,अनुमेय समय अवधि और प्रत्येक विषय के लिए आबंटित किए गए अधिकतम अंक निम्नलिखित अनुसार होंगे :-

परीक्षा	विषय	अवधि	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक
एएफकैट	सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी में वर्बल एबिलिटी, संख्यात्मक योग्यता एवं तर्कशक्ति तथा सैन्य अभिरूचि परीक्षा	02 घंटे	100	300
EKT (उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने इसका चयन किया है जैसेकि (तकनीकी ब्रांच)	यांत्रिक,कंम्प्यूटर विज्ञान तथा इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	45 मिनट	50	150

(iii) ऑनलाइन परीक्षा में एएफकैट एवं EKT के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे और केवल अंग्रेजी में होंगे।

(iv) <u>अंक देने की योजना</u> निम्नानुसार है -

(कक) प्रत्येक सही उत्तर के तीन अंक दिए जाएंगे।

(कख) प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक कम कर दिया जाएगा।

(कग) जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जाएंगे उनका कोई अंक नहीं दिया जाएगा।

(v) जहां लागू होगा वहां प्रश्न भार एवं माप की मीट्रिक पद्धति के आधार पर होंगे।

(vi) अभ्यर्थी को ऑनलाइन एएफकैट में स्वयं बैठना होगा। किसी भी परिस्थिति में कोई स्क्राइब अथवा अन्य अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने/सहायता करने की अनुमति नहीं होगी।

(vii) वायुसेना को, परीक्षा के किसी एक अथवा सभी विषयों में अर्हकारी अंक निर्धारित करने का अधिकार है।

(ख) <u>परीक्षा का स्टैंडर्ड और पाठ्यक्रम</u> -

(i) **<u>पाठ्यक्रम</u>**

(कक) **<u>अंग्रेजी</u>** कॉम्प्रिहेंशन (परिज्ञान), वाक्य में गलती ढूंढना, वाक्य पूरा करना/सही शब्द से रिक्त स्थान भरना, पर्यायवाची/विपरीतार्थक शब्द, छूटे शब्द जोड़ना अथवा पैराग्राफ में छोड़ गए स्थानों को भरना, मुहावरे और लोकोक्तियां, सादृश्यवाची, वाक्य को पुनः व्यवस्थित करना, एक वाक्य में प्रतिस्थापन/एक शब्द का प्रतिस्थापन।

(कख) **<u>सामान्य ज्ञान</u>** इतिहास, भूगोल, खेल-कूद, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठन, कला एवं संस्कृति, प्रमुख हस्तियां, पर्यावरण एवं पारिस्थिति विज्ञान, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, मूल विज्ञान पर आधारित ज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामयिक घटनाएं (राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय), रक्षा।

(कग) **<u>संख्यात्मक क्षमता</u>** दशमलव भिन्न, समय एवं कार्य, औसत/प्रतिशत, लाभ एवं हानि, अनुपात एवं समानुपात, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं दूरी और दौड़ (रेल/नाव एवं धारा), क्षेत्रफल एवं परिमाप, प्रायिकता, संख्या प्रणाली एवं संख्या शृंखला, मिश्रण एवं अभिकथन नियम, घड़ियां।

(कघ) **<u>तर्कशक्ति एवं सैन्य अभिरूचि परीक्षा</u>** - मौखिक दक्षता एवं स्थानिक (spatial) योग्यता।

(ii) **<u>स्टैंडर्ड</u>** संख्यात्मक योग्यता के प्रश्नों का स्टैंडर्ड मैट्रिक परीक्षा स्तर का होगा।अन्य विषयों में प्रश्नों का स्टैंडर्ड स्नातक स्तर (भारतीय विश्वविद्यालय)का होगा।

(ग) **<u>प्रैक्टिस टेस्ट</u>** -ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट (एएफकैट एवं EKT) भा वा से वेबसाइट https://careerindianairforce.cdac.in अथवाhttps://afcat.cdac.in पर उपलब्ध है।

(घ) <u>ई-प्रवेश पत्र एवं एएफकैट लिखित परीक्षा के लिए अनुदेश</u> -

(I) पात्र अभ्यर्थियों को,परीक्षा की तिथि से तीन सप्ताह पूर्व,ई-प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने अपना ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक जमा किया है उन्हें प्रवेश पत्र पंजीकृत ई-मेल आई डी से भेजे जाएंगे और वेबसाइट www.careerindianairforce.cdac.in पर भी उपलब्ध होंगे। डाक द्वारा कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी के पास अपना **यूजर नेम** और **पासवर्ड होना** चाहिए। अपना ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का दायित्व पूर्णरूप से अभ्यर्थी का होगा।

(II) यदि अभ्यर्थी को अपनी पंजीकृत ई-मेल आई डी पर अपना प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होता है अथवा इसे उल्लिखित वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर पाता है अथवा ई-मेल प्रवेशपत्र में यदि कोई त्रुटि/विसंगति/असंगति पायी जाती है,वह सी- डैक,पुणे एएफकैट पूछताछ सेल से तत्काल इसकी पूछताछ करें (फोन न.020-25503105 या 020-25503106)। ई-मेल पूछताछ afcatcell@cdac.in को भेजी जाएगी। परीक्षा के लिए डाउनलोड किए हुए प्रवेशपत्र को साथ लाए बिना अभ्यर्थी को परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा।

(iii) कोर्स जिनके लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाता है वे उनकी आयु और शैक्षणिक योग्यताओं की पात्रता के तथा उनके द्वारा दी गई कोर्स वरीयता के अनुसार होंगे। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि परीक्षा में उनका प्रवेश पूर्ण रूप में अंतिम होगा और उनके द्वारा आवेदन फार्म में दी गई सूचना के आधार पर होगा। सत्यापन करने पर यदि भा वा से को पता चलता है कि अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना ठीक नहीं है अथवा गलत है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त समझी जाएगी।

(iv) अभ्यर्थियो को यह सुनिश्चित करना होगा कि ई-प्रवेश पत्र की फ्रंट साइड में दी गई व्यक्तिगत सूचना उनके द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान दी गई सूचना के अनुसार है। उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे ई-प्रवेश पत्र के पीछे दिए गए अनुदेशों को पढ़े।

(v) दी गई सूचना के आधार पर अभ्यर्थी के आवेदन को स्वीकार करने के संबंध में भा वा से का निर्णय अंतिम होगा।

(च) **ऑनलाइन परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को विशेष अनुदेश** -

(i) **परीक्षा हॉल में लायी जाने वाली मदें** - परीक्षा केंद्र में निम्नलिखित मदें ले जायी जाएंगी -

(कक) एएफकैट 02/2022 के लिए ई-प्रवेश पत्र।

(कख) अभ्यर्थी का आधार कार्ड ।

(कग) अन्य वैध फोटो पहचान पत्र जैसे कि पैन कार्ड/ पासपोर्ट /ड्राइविंग लाइसेंस /वोटर पहचान पत्र /कॉलिज पहचान पत्र अथवा कोई अन्य वैध फोटो पहचान प्रूफ जिसमें नाम,पिता का नाम, जन्मतिथि और साफ फोटोग्राफ हो ।

(कघ) दो पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो-ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किए गए फोटो के समान हों (प्रिंटिड फोटो के बराबर में पेस्ट किया जाएगा,स्टेपल नहीं और दूसरा परीक्षा केंद्र में उपस्थिति पत्रक पर)।

(कच) उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर करने और रफ कार्य के लिए, बाल पॉइंट पेन, (नीला अथवा काला)।

(ii) **<u>आइटम (मदें) जिनकी परीक्षा हॉल में अनुमति नहीं है -</u>**

(कक) ब्लूटुथ उपकरण,संचार/ इलेक्ट्रोनिक/ डिजिटल/ तार रहित उपकरण जैसे कैलकुलेटर, डोक्यूपेन, कैलकुलेटर सुविधायुक्त इलेक्ट्रिक घड़ी, सेलुलर फोन, मेमोरी कार्ड/स्टिक, पेजर,ऑर्गनाइज़र, पर्सनल डिजिटल असिस्टैंट(पीडीए),गुप्त माइक्रोफोन अथवा कैमरा, रेडियो, हेडसेट, वाकमैन, रिकॉर्डर, ट्रांस्लेटर आदि।

(कख) पेंसिल बॉक्स / जियोमेट्री बॉक्स पुस्तक,लॉग टेबल, क्लिप बोर्ड, स्लाइड रूल(पारदर्शी नीला अथवा काला बॉल पॉइंट पेन के अतिरिक्त) जैसी पाठ-विषयक सामग्री अथवा स्टेशनरी सामग्री।

(कग) व्यक्तिगत मदें(कलाई घड़ी/ कलाई बैंड, ब्रेसलेट, हैंड बैग, आभूषण, पर्स, हेड गियर,स्कार्फ,गॉगल,जैकेट)खाद्य पदार्थ (चिप्स,चॉकलेट,फूड, ड्रिंक आदि)

(iii) यदि अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त उल्लिखित आइटमों में से कोई आइटम पाया जाता है तो इसे अनुचित साधन का प्रयोग करने का प्रयास माना जाएगा और उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। सामान/आइटम(मद) जब्त कर लिया जाएगा और उसे भावी एएफकैट परीक्षाओं के लिए भी रोक दिया जाएगा।

(iv) अभ्यर्थियों को हिदायत दी जाती है कि वे परीक्षा केन्द्रों में कोई मूल्यवान/कीमती मद न लाएं चूंकि इनके रख-रखाव की गारंटी नहीं दी जा सकती है। इस संबंध में भा वा से किसी हानि के लिए जिम्मेवार नहीं होगी।

(v) <u>अनाचार</u> - यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करता है,उसे परीक्षा से निकाल दिया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

(vi) <u>परीक्षा हॉल में आचरण</u> - अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे परीक्षा देते समय अथवा डयूटी पर तैनात स्टाफ के साथ बातचीत करते समय अपना आचरण गौरवपूर्ण एवं सम्मानित रखें। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र (परीक्षा के दौरान, पहले या बाद में) में अनुशासनहीनता के किसी भी कार्य (कार्यों) में लिप्त पाया जाता है तो उसे परीक्षा से निकाल दिया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

(vii) **<u>परीक्षा के लिए अनुदेश</u>** - अभ्यर्थियों के लिए प्रश्नपत्र केवल ऑनलाइन परीक्षा के दौरान उपलब्ध होंगे । अभ्यर्थियों का प्रश्नपत्र की प्रतियां उपलब्ध कराने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा की तिथि के छह माह पश्चात एएफकैट से संबंधित किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया जाएगा। परीक्षा का समय पूर्ण होने तक अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल छोडने की अनुमति नहीं होगी।

(छ) **<u>एएफकैट 02/2022 के लिए स्थान</u>** - अगरतला, आगरा, अहमदाबाद, आइजोल, अलवर, अजमेर, इलाहाबाद /प्रयागराज, औरंगाबाद, बरेली, बहरामपुर(उड़ीसा), बेलगांव, बंगलुरू, भागलपुर, भिलाई, भोपाल, भुवनेश्वर, बीकानेर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बतूर, दिल्ली एवं एनसीआर, धनबाद, दीव, डिब्रूगढ़ ,दुर्गापुर, फरीदाबाद, गंगानगर, गया, गाजियाबाद, गोरखपुर, गुन्टूर, गुवाहाटी, ग्वालियर, हल्द्वानी, हिसार, हैदराबाद, इम्फाल, इंदौर, इटानगर, जबलपुर, जयपुर, जालंधऱ, जलपाइगुड़ी, जम्मू, जमशेदपुर, झांसी, जोधपुर, जोरहाट, कन्नूर, कानपुर, कोच्ची, कोल्हापुर, कोलकाता,कोटा,कुरूक्षेत्र, लेह, लखनऊ, मंगलोर, मेरठ, मुंबई, मैसूर, नागपुर, नासिक, नोएडा, पणजी, पटना, पोर्ट ब्लेयर, पुदुचेरी, पुणे, राजकोट, रांची, शिलांग, शिमला, सिल्चर, श्रीनगर, थाणे, तिरूवनंतपुरम, त्रिशूर, तिरूनेलवेलि, तिरूपति, उदयपुर, वडोदरा, वाराणसी, वेल्लोर, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, वारंगल, छप्परा, मुज़फ्फरपुर, भुज, अम्बाला, गुरुगाम, सोलापुर, राउरकेला, संबलपुर, भटिंडा, लुधिआना, पटियाला, रुड़की, राजमुंदरी, दीमापुर

(ज) **<u>केंद्रों का आवंटन</u>** - जहां तक संभव होगा अभ्यर्थियों को उनकी पसंद के अनुसार केंद्रों का आबंटन किया जाएगा। **अभ्यर्थी ध्यान रखें कि** केंद्र**/तिथि/स्लॉट में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा**। इसलिए फॉर्म भरने से पूर्व अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र की तिथि/अपनी पसंद के परीक्षा केंद्र के लिए स्लॉट का निर्धारण करने से पूर्व विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी आकस्मिकता की दशा में एएफकैट परीक्षा का केंद्र रद्द किया जा सकता है। ऐसे परिदृश्य में प्रभावित

अभ्यर्थियों को वैकल्पिक केंद्र मुहैया कराया जाएगा। इस संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा भा वा से का निर्णय अंतिम होगा।

9. **<u>वायु सेना चयन बोर्ड (ए एफ एस बी)</u>**

(क) एएफकैट एन्ट्री के लिए भारतीय वायु सेना उन अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगी जो अभ्यर्थी ऑनलाइन एएफकैट में भारतीय वायु सेना के निर्धारण के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करेंगे। ऑनलाइन एएफकैट में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों को किसी एक वायुसेना चयन बोर्ड में बुलाया जाएगा। अभ्यर्थी जिन्होंने एनसीसी विशेष प्रवेश /मौसम विज्ञान के लिए आवेदन किया है, उन्हें सीधे किसी एक ए एफ एस बी केंद्र पर ए एफ एस बी टेस्टिंग (परीक्षण) के लिए बुलाया जाएगा। ए एफ एस बी केंद्र देहरादून (1ए एफ एस बी), मैसूर (2 ए एफ एस बी) गांधीनगर (3 ए एफ एस बी) वाराणसी (4 ए एफ एस बी) एवं गुवाहाटी (5 ए एफ एस बी)हैं। अभ्यर्थी जिन्होंने फ्लाइंग ब्रांच चुनी है वे केवल देहरादून,मैसूर एवं वाराणसी चुन सकते हैं। अभ्यर्थी जिन्होंने लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त की है वे स्वयं वेबसाइट https://careerindianairforce.cdac.in अथवा https://afcat.cdac.in द्वारा ए एफ एस बी की तिथि और स्थान चुनेंगे ताकि ए एफ एस बी साक्षात्कार के लिए बुलावा पत्र (कॉल लेटर) जेनरेट हो सके।

(ख) **<u>शारीरिक फिटनेस</u>** - अभ्यर्थियों को हिदायत दी जाती है कि जब आप एस एस बी के लिए रिपोर्ट करें तब आप ए एफ एस बी में होने वाले विभिन्न परीक्षणों (टेस्ट) के योग्य होने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ हों। आपमें दस मिनट में एक मील (1.6 किमी.) दौड़ने, दस पुश अप और 03 चिन अप करने की क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य होना चाहिए।

(ग) **<u>गोदना (टैटू)</u>** स्थायी शारीरिक गोदना की नीति इस प्रकार है:-

(i) स्थायी शारीरिक गोदना केवल बांह के सामने वाले भाग में अंदर की तरफ अर्थात दोनों हाथों की कोहनियों के अंदर से कलाई तथा हाथ

की हथेली के उल्टे तरफ / पीछे (डोर्सल) भाग पर अनुमति है जिसके लिए अभ्यर्थी को स्वतः घोषणा प्रमाण-पत्र देना अपेक्षित है इनके अलावा दिखाई देना वाला अथवा दिखाई न देने वाला कोई भी स्थायी शारीरिक गोदना शरीर के किसी अन्य भाग पर स्वीकार्य नहीं है। आदर्शवादी एवं सैन्य अनुशासन के लिए प्रतिकूल न होने वाले छोटे अहानिकारक टैटू की अनुमति है अर्थात धार्मिक प्रतीक अथवा अपने करीबी के नाम।

(ii) जनजातियों को उनकी विद्यमान प्रथाओं के अनुसार चेहरा अथवा शरीर पर गोदने के निशान में मामले दर मामले के आधार पर अनुमति दी जाएगी।

(घ) **<u>स्वापक</u>** - स्वापक पदार्थों का प्रयोग करने/साथ में रखने पर प्रतिबंध है। चिकित्सा के दौरान और इसके पश्चात अफसर के रूप में प्रशिक्षण/सैन्य करियर के दौरान अभ्यर्थियों के शरीर में नशीले पदार्थो के होने की जांच की जाएगी। यदि अभ्यर्थी प्रशिक्षण/सैन्य करियर के दौरान किसी स्वापक पदार्थ का प्रयोग करते हुए/उसके पास कोई स्वापक पदार्थ पाया जाता है तो अभ्यर्थी को भारतीय वायु सेना में भर्ती (जॉइन होने) से रोक दिया जाएगा अथवा यदि पहले से जॉइन है तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा।

(च) **<u>मदिरा के अश्रितता संलक्षण (अल्कोहल डिपेन्डेंस सिन्ड्रोम) से ग्रस्त अभ्यर्थी</u>** मदिरा के अश्रितता संलक्षण (अल्कोहल डिपेन्डेंस सिन्ड्रोम) से ग्रस्त अभ्यर्थियों को सेवा से बर्खास्त/अमान्य कर दिया जाएगा।

(छ) ए एफ एस बी में टेस्टिंग नीचे दिए गए अनुसार तीन स्टेज में होगी-

(i) **<u>स्टेज - I</u>** प्रथम दिन अफसर का पिक्चर बोध और परिचर्चा टेस्ट के साथ साथ इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट लिया जाएगा।स्टेज-1टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट है और जो अभ्यर्थी इसमें अर्हता प्राप्त करेंगे केवल वे ही आगामी टेस्टिंग के लिए जाएंगे। सभी स्टेज 1 अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के दस्तावेज़ की जांच की जाएगी ताकि उन्होंने जिस ब्रांच के लिए आवेदन किया है उसके लिए उनकी पात्रता निर्धारित

की जा सके। अभ्यर्थी जो स्टेज 1 में अर्हता प्राप्त नहीं करते अथवा अपेक्षित मानंदड पूरे नहीं करते हैं उन्हें पहले दिन ही वापस भेजा दिया जाएगा।

(ii) **<u>स्टेज -II</u>** प्रथम दिन (अपराह्न) मनोवैज्ञानिक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा और दस्तावेजों की जांच करने के पश्चात ग्रुप टेस्ट तथा साक्षात्कार आरंभ किए जाएंगे जो आगामी 5 दिन तक चलेंगे ।

(iii) **<u>उड़ान शाखा के लिए</u>** केवल सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों के लिए, कंप्यूटरीकृत पायलट चयन पद्धति (सी पी एस एस) की व्यवस्था की जाएगी। यह टेस्ट जीवन काल में एक बार होता है। **अभ्यर्थी जो सी पी एस एस / पी ए बी टी में किसी पूर्व प्रयास में फेल घोषित किए गए हों, अथवा फ्लाइट कैडेट जिसे वायुसेना अकादमी में फ्लाइंग प्रशिक्षण से निलंबित किया गया हो वे इसके लिए पात्र नहीं होंगे ।**

(ज) **<u>साक्षात्कार की तिथियों में परिवर्तन</u> -** ए एफ एस बी साक्षात्कार तिथि में परिवर्तन करने का अनुरोध करने से बचना चाहिए।साक्षात्कार स्थगित करने के अनुरोध पर विचार वास्तविक परिस्थितियों में किया जाएगा और वह भी तब कि यदि यह प्रशासनिक रूप से सुविधाजनक होता है जिसके लिए वा से मु पूर्ण रूप से निर्णायक प्राधिकारी होगा। ऐसा अनुरोध केवल ई-मेल से उन ए एफ एस बी केंद्रों को भेजा जाना चाहिए जहां से ए एफ एस बी साक्षात्कार के लिए बुलावा (कॉल) प्राप्त किया है।

(झ) अभ्यर्थी ए एफ एस बी के समक्ष उपस्थित होंगे और अपने जोखिम पर टेस्ट देंगे, और चयन बोर्ड में दिए गए किसी टेस्ट के दौरान या किसी टेस्ट की वजह से यदि उन्हे कोई इंजरी होती है वे सरकार से किसी क्षतिपूर्ति का दावा करने या अन्य किसी राहत के हकदार नहीं होंगे, भले ही यह इंजरी किसी व्यक्ति की लापरवाही अथवा किसी अन्य कारण से हुई हो। अभ्यर्थियों को इस आशय के लिए आवेदन पत्र के साथ संलग्न बंध पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।

(ञ) **<u>यात्रा भत्ता (टी ए) -</u>** ए एफ एस बी में प्रथम बार उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को न्यूनतम दूरी वाले मार्ग (shortest route) की ए सी थ्री टियर

/ ए सी चेयर कार अथवा वास्तविक सामान्य बस किराए की, आने और जाने के यात्रा किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी। पते में परिवर्तन, यदि कोई हो, की सूचना पहुंचने से ठीक पहले बोर्ड को दी जाएगी। आपको बोर्ड को रेल टिकट / बस टिकट (हार्ड कॉपी) देना होगा, इसके न देने पर कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा।यात्रा के अन्य सभी मोड के लिए, सरकार के प्राधिकृत नियम के अनुसार यात्रा भत्ता स्वीकार्य होगा। **यदि आप इसी प्रकार की भर्ती (प्रवेश) में किसी भी चयन बोर्ड के समक्ष पहले उपस्थित हो चुके हैं तो कोई भत्ता स्वीकार्य नहीं है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन भुगतान के लिए निरस्त चैक लाना होगा ।**

(ट) **<u>ए एफ एस बी के लिए दस्तावेज</u>** **-** अभ्यर्थियों को निम्नलिखित संबद्ध दस्तावेज लाने होंगे, जिनकी ए एफ एस बी टेस्टिंग के दौरान जांच की जाएगी।

(i) ए एफ सी ए टी प्रवेश पत्र

(ii) मूल मैट्रिकुलेशन / सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट और सी बी एस ई / आई सी एस ई / राज्य बोर्ड द्वारा जारी अंक पत्र । जन्मतिथि सत्यापन के लिए कोई अन्य प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(iii) मूल अंक पत्र एवं 10+2,प्रमाण पत्र (संबद्ध बोर्ड द्वारा जारी)।

(iv) विश्वविधालय द्वारा जारी प्रत्येक वर्ष/सेमस्टर की मूल/अंतिम स्नातक डिग्री /स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाणपत्र एवं अंक तालिका - केवल शैक्षणिक योग्यताओं के सत्यापन हेतु ताकि कोर्स की पात्रता की जांच की जा सके। कॉलेज प्रिसिंपल द्वारा जारी अनंतिम प्रमाणपत्र स्वीकार्य नहीं है तथापि विश्वविद्यालय द्वारा जारी अनंतिम डिग्री प्रमाणपत्र स्वीकार्य है।

(v) अंतिम वर्ष /सेमस्टर के विद्यार्थियों के मामले में कॉलेज प्रिसिपल द्वारा जारी प्रमाणपत्र जिसमें निम्नलिखित पहलुओं का स्पष्ट उल्लेख हो, जिस पर संस्थान की उचित स्टाम्प और सील लगी हो, अपेक्षित होगा -

(कक) कॉलेज का नाम

(कख) विश्वविद्यालय का नाम

(कग) संकाय जिसमें स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है।

(कघ) कुल प्रतिशत ।

(कच) अंतिम रिजल्ट घोषित होने की संभावित तिथि (तारीख/माह/वर्ष फॉर्मेट में)

(vi) उपर्युक्त उल्लिखित प्रत्येक प्रमाणपत्रों की दो प्रमाणित फोटो प्रतियां

(vii) मूल एन सी सी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

(viii) केंद्र / राज्य सरकार अथवा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र।

(ix) डी जी सी ए द्वारा जारी मूल वैध कमर्शियल पायलट लाइसेंस, यदि लागू हो।

(x) इनबाउंड रेलटिकट / बस टिकट (यात्रा भत्ता देने के लिए)

(xi) अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि सफेद बैकग्राउंड डाक्यूमेंटेशन के सामने हल्के रंग के वस्त्रो में खींची गई पासपोर्ट साइज की रंगीन 20 फोटो भी साथ में लाएं।

(ठ) **अभ्यर्थी जिनके पास उपर्युक्त उल्लिखित दस्तावेज नहीं होंगे अथवा जो पात्रता शर्तो को पूरा नहीं करते उन्हें ए एफ एस बी में नहीं आना चाहिए चूंकि उन्हें टेस्ट के लिए नहीं लिया जाएगा और उन्हें बिना यात्रा भत्ते के वापस भेजा जाएगा।**

(ड) भा वा से द्वारा वायु सेना चयन बोर्ड (ए एफ एस बी) द्वारा साक्षात्कार के लिए सिफारिश किए गए ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात अपने पते में परिवर्तन किया है उन्हें लिखित भाग की परीक्षा का परिणाम घोषित होने के तत्काल बाद इसकी सूचना देनी चाहिए साथ में बिना स्टांप लगा स्वयं का पता लिखा लिफाफा देना होगा, इसकी सूचना विंग कमांडर पी ओ 3 (ए/बी), वा. से. मु, 'ए' ब्लाक, 8वीं मंजिल, कक्ष सं 838, रक्षा कार्यालय संकुल, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001 को भी दी जाएगी। इस अनुदेश का अनुपालन न करने पर, उसे ए एफ एस बी द्वारा भेजे गए साक्षात्कार के लिए पत्र के प्राप्त न होने की दशा में वह, उस पर विचार करने के दावे से वंचित रह जाएगा।

10. <u>अंतिम मेरिट सूची</u> - इस मेरिट सूची में आने के लिए अभ्यर्थी को भा वा से द्वारा निर्धारित किए अनुसार, लिखित परीक्षा और ए एफ एस बी टेस्ट में अलग-अलग न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने चाहिए। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा

और ए एफ एस बी परीक्षा में प्राप्त किए गए कुल अंको के आधार पर मेरिट क्रम में रखा जाएगा। व्यक्तिगत अभ्यर्थियों को परीक्षा के परिणाम की सूचना देने के स्वरूप और तरीके का निर्धारण भा वा से के निर्णय द्वारा किया जाएगा। ग्राउंड डयूटी (तकनीकी और गैर-तकनीकी)शाखाओं में,10 प्रतिशत रिक्तियां एन सी सी एयर विंग सीनियर डिवीजन 'सी' प्रमाण पत्र धारको के लिए रिजर्व हैं। ग्राउंड डयूटी (तकनीकी एवं गैर तकनीकी) शाखाओं में स्थायी कमीशन / अल्प कालिक सेवा कमीशन (एस एस सी) में आबंटन रिक्तियों की संख्या,चयन प्रक्रिया में निष्पादन और अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर किया जाएगा।

11. **<u>प्रशिक्षण</u>** - ए एफ एस बी द्वारा सिफारिश किए गए और उपयुक्त चिकित्सा स्थापना द्वारा चिकित्सीय रूप से फिट पाये गए अभ्यर्थियों को पूर्णतया मेरिट तथा विभिन्न शाखाओं /उपशाखाओं में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा।

(क) **<u>(प्रशिक्षण की तिथि एवं अवधि</u>** - सभी कोर्सो के लिए प्रशिक्षण **जुलाई 2023** के प्रथम सप्ताह से आरंभ होगा। वायु सेना प्रशिक्षण स्थापनाओं में फ्लाइंग और ग्राउंड डयूटी (तकनीकी) शाखाओं के लिए प्रशिक्षण की अवधि लगभग **74 सप्ताह** है और ग्राउंड डयूटी(गैर-तकनीकी) शाखाओं के लिए यह अवधि लगभग **52 सप्ताह** है।

(ख) **<u>शारीरिक स्थिति</u>** - प्रत्याशित अभ्यर्थियों को हिदायत दी जाती है कि वायु सेना अकादमी में शारीरिक प्रशिक्षण हेतु ढ़ालने के लिए वे स्वयं को अच्छी शारीरिक स्थिति में रखें, जिसमें दौड़ना, तैरना, रस्सा चढ़ना तथा शारीरिक प्रशिक्षण/कंडीशनिंग के अन्य प्रकार शामिल हैं, जिनमें उन्हें प्रशिक्षण के दौरान अनिवार्य टेस्ट (परीक्षण) देने होंगे। अभ्यर्थियों को हिदायत दी जाती है कि वे निम्नलिखित रूटीन अपनाकर,स्वयं को अच्छी शारीरिक स्थिति में रखें :-

(i) दौड़ना - 15 मिनट में 04 किमी.तक।

(ii) स्किपिंग।

(iii) पुश अप एवं सिट अप - अधिकतम, प्रत्येक 20।

(iv) चिन अप - 08।

(v) रोप क्लाइम्बिंग - 3 से 4 मीटर

(vi) तैरना (25 मीटर)

(ग) वायुसेना अकादमी में प्रवेश के पश्चात अभ्यर्थी पर किसी अन्य कमीशन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चयनित हो जाने के पश्चात उन्हें किसी साक्षात्कार अथवा परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात अभ्यर्थी से प्राप्त उम्मीदवारी वापस लेने के किसी भी अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। वायु सेना अकादमी (ए एफ ए) जॉइन करते समय, आधार कार्ड और एस बी आई / अन्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना अनिवार्य है। स्वापक पदार्थों का प्रयोग करने / रखने पर प्रतिबंध है। चिकित्सा जांच के दौरान और इसके पश्चात प्रशिक्षण/अफसर के रूप में सैन्य करियर के दौरान अभ्यर्थियों की बॉडी में मादक पदार्थो की मौजूदगी की जांच की जाएगी। यदि अभ्यर्थी किसी प्रशिक्षण / सैन्य करियर के दौरान कभी भी स्वापक पदार्थ का प्रयोग करते हुए पाया जाता है/उसके पास पाया जाता है तो अभ्यर्थी को भारतीय वायुसेना जॉइन करने से वंचित कर दिया जाएगा।

12. **<u>अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए सुविधा काउंटर</u>** -

(क) ऑनलाइन परीक्षा के आयोजन, पंजीकरण प्रक्रिया, प्रवेश पत्र संबंधी किसी भी पूछताछ के लिए अभ्यर्थी ए एफ सी ए टी सेल में 020-25503105 या 020-25503106 पर संपर्क कर सकते है। ई-मेल पूछताछ afcatcell@cdac.in को भेजी जाएगी।

(ख) पात्रता,AFSB केंद्रों के आबंटन, AFSB साक्षात्कार की तिथि,मेरिट सूची, जॉइनिंग अनुदेश के संबंध में सभी पूछताछ के लिए और चयन प्रक्रिया संबंधी किसी अन्य संगत सूचना के लिए अभ्यर्थी 011-23010231 एक्सटेंशन 7610 पर संपर्क कर सकते हैं अथवा वेबसाइट https://careerindianairforce.cdac.in अथवा https:// afcat.cdac.in देखें अथवा टोल फ्री नम्बर पर 1800-11-2448 पर संपर्क करें।

(ग) **<u>समय निर्धारण</u>** टेलीफोन पर पूछताछ करने का समय 09.30 बजे से 1300 बजे तक तथा 1400 बजे से 1700 बजे तक है (अवकाश के दिनों को छोडकर सोमवार से शुक्रवार)

13. ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई भी सूचना यदि चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी चरण में अथवा प्रशिक्षण संस्थान में जॉइन करने के बाद गलत पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द किए जाने की भागी होगी और इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

14. **<u>परित्याग (अस्वीकार करना)</u>** - अधिसूचना में और वेबसाइट पर दी गई सूचना केवल मार्गदर्शन के लिए है।किसी भी अस्पष्टता (संदेह) की स्थिति में भा वा से/भारत सरकार की मौजूदा नीतियां तथा नियम और विनियम अंतिम होंगे। **चयन के लिए अधिसूचना में दिए गए निबंधन एवं शर्तें केवल मार्गदर्शन के लिए हैं और बिना किसी नोटिस के परिवर्तित की जा सकती हैं।**

15. **<u>वैधानिक चेतावनी</u>** - भारतीय वायुसेना में चयन निष्पक्षता और मेरिट आधार पर होता है। किसी भी अवस्था में चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने के प्रयास से अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी अथवा सर्विस में भर्ती समाप्त कर दी जाएगी और संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी ।

अधिसूचना का परिशिष्ट क

[पैरा 6 देखें]

भारतीय वायु सेना

जनवरी 2023 में आरंभ होने वाले पाठ्यक्रम के लिए फ्लाईंग शाखा और ग्राउंड ड्यूटी (तकनीकी और गैर-तकनीकी) शाखाओं/ एन सी सी विशेष प्रवेश/ मौसमविज्ञान शाखा प्रवेश के लिए वायुसेना सामान्य प्रवेश ऑनलाइन परीक्षा (एएफसीएटी-02/2022)

सामान्य अनुदेश

1. इस खंड में एनडीए के माध्यम से भारतीय वायु सेना की उड़ान और ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं में कमीशन प्रदान किए जाने के लिए अभ्यर्थियों का शारीरिक मूल्यांकन करने के लिए मानकीकृत दिशानिर्देशों का वर्णन किया गया है। इन दिशानिर्देशों का प्रयोजन एक समान शारीरिक मानक स्तर निर्धारित करना और यह सुनिश्चित करना है कि अभ्यर्थी स्वास्थ्य संबंधी वैसी स्थितियों से मुक्त हैं जो संबंधित शाखा में उनके कार्य-प्रदर्शन को बाधित या सीमित कर सकते हैं। इस खण्ड में वर्णित दिशानिर्देश नैदानिक परीक्षण के मानक तौर-तरीकों के साथ लागू किए जाने के लिए निर्धारित किए गए हैं।

2. प्रारंभिक प्रवेश के समय सभी अभ्यर्थियों के मूल शारीरिक फिटनेस मानक के समान होने चाहिए जो उन्हें भिन्न जलवायु तथा विपरीत कार्य माहौल में प्रशिक्षण करने तथा उसके बाद सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। अभ्यर्थी को तब तक फिट नहीं माना जाएगा जब तक संपूर्ण परीक्षणों में दीर्घकालिक समय के लिए कठोर शारीरिक एवं मानसिक सामर्थ्य के साथ डटे रहने में शारीरिक एवं मानसिक दृढ़ता नजर न आती हो। सभी शाखाओं के लिए मेडिकल फिटनेस की मूलभूत आवश्यकताएं अनिवार्य रूप से समान हैं केवल वायुकर्मीदल को छोड़कर जिसमें

दृष्टिगत तीक्ष्णता के लिए मानक, मानवमिति और कुछ अन्य भौतिक मानक अधिक कड़े हैं।

3. आरंभिक परीक्षणों के परिणामों को ए एफ एम एस एफ-2 में दर्ज किए जाते हैं। संपूर्ण चिकित्सा परीक्षणों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(क) अभ्यर्थी को सावधानीपूर्वक तथा सत्यनिष्ठा से प्रश्नावली पूरी करनी है तथा परीक्षण करने वाले चिकित्सा अफसर द्वारा उसे प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा। विधिक पहलू समेत प्रश्नावली के सभी पहलुओं के महत्व पर सभी अभ्यर्थियों को ज़ोर देना है। यदि प्रशिक्षण चरण के दौरान किसी पूर्व गंभीर बीमारी या अशक्तता का पता चलता है जिन्हें पहले घोषित नहीं किया गया हो तो कमीशनिंग से पूर्व किसी भी चरण में अयोग्य घोषित किया जा सकता है। कमीशनिंग से पूर्व सभी अभ्यर्थियों तथा कैडेटों के पेट का यूएसजी कराया जाएगा।

(ख) महिलाओं का दांत परीक्षण तथा स्त्री-रोग समेत संपूर्ण चिकित्सा एवं शल्य परीक्षण।

(ग) आखों का परीक्षण

(घ) कान, नाक तथा गले का परीक्षण।

4. प्रस्तुत चिकित्सा मानक प्रारंभिक प्रवेश के लिए चिकित्सा मानक से संबंधित है। कमीशनिंग से पूर्व वायु सेना अकादमी में समय-समय पर चिकित्सा परीक्षणों के दौरान तथा प्रशिक्षण के दौरान चिकित्सा फिटनेस का मूल्यांकन किया जाता रहेगा।

<u>सामान्य चिकित्सा और शल्य चिकित्सा मूल्यांकन</u>

5. वायु सेना के लिए फिट होने के लिए प्रत्येक आवेदक को परवर्ती अनुच्छेदों में निर्धारित न्यूनतम मानकों को पूरा करना चाहिए। सामान्य संरचना भली प्रकार विकसित और अनुपातिक होनी चाहिए।

6. पुराने फ्रैक्चर/चोटों के बाद के असर का मूल्यांकन किया जाएगा कि वे कार्य प्रदर्शन को किसी प्रकार बाधित तो नहीं करती। यदि कार्य प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ता तो अभ्यर्थी को फिट मूल्यांकित किया जा सकता है। निम्नलिखित श्रेणियों का बारीकी से मूल्यांकन किया जाना चाहिए :-

(क) **<u>रीढ़ की चोट</u>** रीढ़ के पुराने फ्रैक्चर के मामले अनफिट होने का कारण होते हैं। रीढ़ में आई कोई विकृति अथवा किसी कशेरूका (बर्टेब्रा) का दबा होना अभ्यर्थी को खारिज किए जाने का एक कारण होगा।

(ख) **<u>नस की चोट</u>** अधिक बड़ी नसों के स्कंध में आई चोट जिससे कार्य प्रदर्शन में कमी आती हो अथवा न्यूरोमा (गांठ) बनना जिससे दर्द, काफी झुनझुनी होती हो, उड़ान ड्यूटी में नियोजित किए जाने के लिए अनुपयुक्त होने के कारण होंगे।

(ग) **<u>केलॉइड</u>** बड़े या कई केलॉइड होने का मामला अभ्यर्थी को खारिज किए जाने का कारण होगा।

7. **(क)** **<u>शल्य क्रिया के निशान</u>** मामूली और अच्छी तरह भर चुके निशान जैसे कि किसी कृत्रिम शल्य क्रिया से बने निशान नियोजन के लिए अनुपयुक्त होने के कारण नहीं हैं। हाथ-पैर या धड़ पर घाव के बड़े निशान जिससे कार्य प्रदर्शन में बाधा आ सकती हो अथवा जो भद्दे दिखते हों उन्हें अनफिट माने जाने का कारण मानना चाहिए।

(ख) **<u>जन्मजात निशान</u>** हाइपो या हाइपर पिगमेंटेशन के रूप में असामान्य पिगमेंटेशन (झाइयां) स्वीकार्य नहीं है। तथापि स्थानिक जन्मजात तिल / नेवस स्वीकार्य है बशर्ते इसका आकार 10 से.मी. से छोटा हो। जन्मजात एकाधिक तिल (नेवस) या वाहिकीय रसौली (वैस्कुलर ट्यूमर) जिससे काम-काज में बाधा आती हो या जिसमें लगातार जलन होती हो, स्वीकार्य नहीं है।

(ग) **<u>त्वचा के नीचे सूजन</u>** लिपोमा (चर्बी की गांठ) फिट मानी जाएगी जब तक यह आकार/अवस्थिति की वजह से अधिक विरुपण/कार्य संबंधी नुकसान उत्पन्न न कर रही हो। न्यूरोफाइब्रोमा, यदि एक हो, तो फिट मानी जाएगी। बड़े कैफ़े-ऑ-ले धब्बों (1.5 से.मी. आकार से बड़े या संख्या में एक से ज्यादा) से जुड़े एकाधिक न्यूरोफ्राइब्रोमा के मामले में अनफिट माना जाएगा।

8. **<u>ग्रीवा (गर्दन) की पसली (सर्वाइकल रिब)</u>** किसी न्यूरो-वैस्कुलर समस्या से रहित सर्वाइकल रिब स्वीकार्य होगी। ऐसे मामलों में कोई न्यूरो-वैस्कुलर की आशंका न होने के लिए बारीकी से नैदानिक परीक्षण किया जाना चाहिए। इसे चिकित्सा बोर्ड की कार्यवाही में प्रलेखित (दर्ज) किया जाना चाहिए।

9. **<u>खोपड़ी-चेहरे (क्रानियो-फेशियल) की विकृति</u>** चेहरे और सिर का टेढ़ा-मेढ़ा होना अथवा खोपड़ी, चेहरे या जबड़े की ठीक न कराई गई विकृतियां, जिनसे ऑक्सीजन मास्क, हेलमेट या सैन्य हेडगियर सही तरीके से पहन पाने में दिक्कत आएगी, अनफिट होने का कारण मानी जाएंगी। ठीक करने के लिए कराई शल्य-क्रिया (सर्जरी) के बाद भी रह गई बड़ी विकृतियों को अनफिट होने का कारण माना जाएगा।

10. **<u>ऑपरेशनों से संबंधित इतिहास</u>** ऐसा अभ्यर्थी, जिसका उदर (पेट) का ऑपरेशन हुआ हो, जिसमें बड़ी शल्य-क्रिया (सर्जरी) की गई हो अथवा कोई अंग अंशतः / पूरा निकाल दिया गया हो, एक नियम के रूप में, सेवा के लिए अनफिट है। खोपड़ी (क्रानियल वॉल्ड) से जुड़ा ऑपरेशन, जिससे हड्डी का कोई दोष आ गया हो, अनफिट होने का कारण होगा। छाती के बड़े ऑपरेशन हुए होने पर अभ्यर्थी अनफिट होगा।

<u>माप और शारीरिक गठन</u>

11. **<u>छाती की आकृति और परिमाप</u>** छाती की आकृति इसकी वास्तविक माप के जितनी ही महत्वपूर्ण है। छाती भली-भांति विकसित और समानुपातिक होनी चाहिए। छाती की कोई भी विकृति, जिससे प्रशिक्षण और सैन्य ड्यूटी के निष्पादन के दौरान शारीरिक परिश्रम में दिक्कत आने की आशंका हो अथवा जो सैन्य प्रभाव धारण करने में प्रतिकूल असर डालती हो अथवा हृदय-फेफड़ों या पेशी-कंकाल की किसी विसंगति से जुड़ी हो, अनफिट होने का कारण मानी जाएगी। कैडेटों के लिए छाती की सुझाई गई न्यूनतम परिमाप 77 से.मी. है। सभी अभ्यर्थियों के लिए छाती फुलाने पर इसका प्रसार कम से कम 05 से.मी. होना चाहिए। दस्तावेजीकरण के प्रयोजनार्थ 0.5 से.मी. से कम कोई भी दशमलव अंश अनदेखा किया जाएगा, 0.5 को ऐसा ही दर्ज किया जाएगा और 0.6 से.मी. तथा इससे अधिक को 1 से.मी. के रूप में दर्ज किया जाएगा।

<u>लंबाई, बैठे होने पर लंबाई, टांग की लंबाई और जांघ की लंबाई</u>

12. उड़ान शाखा के लिए न्यूनतम लंबाई 162.5 से.मी. होगी। ऐसे वायुकर्मीदल (एयरक्रू) के लिए टांग की लंबाई, जांघ की लंबाई और बैठे होने पर लंबाई इस प्रकार होगी :-

(क)	बैठे होने पर लंबाई	न्यूनतम - 81.5 से.मी. अधिकतम - 96.0 से.मी.
(ख)	टांग की लंबाई	न्यूनतम - 99.0 से.मी. अधिकतम - 120.0 से.मी.
(ग)	जांघ की लंबाई	अधिकतम - 64.0 से.मी.

ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम लंबाई 157.5 से.मी. होगी। गोरखाओं और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम स्वीकार्य लंबाई 5 से.मी. कम (अर्थात् 152.5 से.मी.) होगी। लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के मामले में न्यूनतम स्वीकार्य लंबाई 2 से.मी. घटाई जा सकती है (अर्थात् 155.5 से.मी.)।

13. **<u>शरीर के वजन के पैरामीटर</u>**

(क) पुरुष अभ्यर्थी (एनडीए अभ्यर्थियों को छोडकर)। उम्र के हिसाब से आदर्श लंबाई इस अधिसूचना के **परिशिष्ट 'ख'** में दी गई है। भार के मामले में 0.5 किग्रा को पूरा माना जाएगा। आदर्श शारीरिक भार से ± 1 एसडी का अधिकतम अंतर अनुमेय है।

(ख) सेवाकालीन अभ्यर्थियों के लिए लागू शरीर के भार का मानदंड ही उनके लिए शरीर के भार के मानदंड के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा।

14. निर्धारित सीमा से ज्याद वजन केवल वैसे अभ्यथिर्यों के मामले में अपवादिक परिस्थितियों में स्वीकार्य होगा, जहां बॉडी बिल्डिंग, कुश्ती और मुक्केबाजी के साक्ष्य दस्तावेज के रूप में मौजूद हों। तथापि, ऐसे मामलों में निम्नलिखित मानदंड पूरा करना होगा :

(क) बीएमआई 27 से कम होना चाहिए।

(ख) कमर नितंब अनुपात पुरूषों के लिए 0.9 और महिलाओं के लिए 0.8 से कम होना चाहिए।

(ग) कमर की परिमाप पुरूषों के लिए 94 से.मी. और महिलाओं के लिए 89 से.मी. से कम होना चाहिए।

(घ) सभी जैव-रासायनिक चयापचय (बायोकेमिकल मेटाबोलिक) पैरामीटर सामान्य सीमाओं के भीतर होने चाहिए।

15. **शारीरिक मानक (महिलाओं के लिए)**

(क) **लंबाई** विभिन्न शाखाओं में स्वीकार्य लंबाई सीमा नीचे दी गई है:-

(i) उड़ान शाखा-162.5 सेमी

(ii) अन्य शाखा -152 सेमी

नोट: अन्य शाखाओं के लिए- भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम स्वीकार्य लंबाई 147 से.मी. होगी। लक्षद्वीप के आवेदकों के मामले में न्यूनतम स्वीकार्य लंबाई 150 सेमी होगी।

(ख) **भार** उम्र तथा लंबाई के हिसाब से मानक वजन इस अधिसूचना के **परिशिष्ट 'ख'** में दिया गया है। महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक भार से ± 1 एसडी तक का अंतर अनुमेय है।

16. **कार्डियोवास्कुलर सिस्टम**

(क) छाती दर्द, सांस लेने में कठिनाई, अतिस्पंदन, बेहोशी के दौरे, चक्कर आना संधिवातीय बुखार, टखने की सूजन, कोरिया, बार-बार गले की खराश और गलांकुर के इतिवृत्त पर कार्डियोवास्कुलर प्रणाली की जांच में विचार किया जाएगा।

(ख) **पल्स** पल्स की दर, रिदम, वॉल्यूम, तनाव तथा नियमितता एवं धमनी भित्ति की जांच की जाएगी। सामान्य पल्स दर 60-100 बीपीएम तक होती है। पल्स की जांच पूरे एक मिनट में की जाएगी। रेडियल तथा फेमोरल धमनियों की हमेशा तुलना की जाए तथा यदि कोई अंतर हो तो उसे दर्ज किया जाए। अन्य बाह्य पल्स दर जैसे करोटिड, पॉपलीटियल, पोस्टेरियर

टिबियल धमनी तथा डोरसाइली पेडिस धमनी दोनों ओर धड़कना चाहिए तथा यदि कोई अंतर हो और दर्ज किया जाए तो दस्तावेज़ लगाए जाएं। लगातार साइनस टेकिकार्डिया (>100बीपीएम) तथा लगातार होने वाले साइनस ब्रेडिकार्डिया (<60 बीपीएम) को अनफ़िट माना जाएगा। यदि ब्रेडिकार्डिया शारीरिक मानी जाती है तो अभ्यर्थी को चिकित्सा विशेषज्ञ / हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा जांच के उपरांत फिट घोषित किया जा सकता है।

(ग) **<u>रक्त चाप</u>** आवेदकों में व्हाइट कोट हाइपरटेंशन होने की पूरी संभावना होती है, जो कि रक्त चाप में अनित्य वृद्धि होती है और यह चिकित्सा जांच के तनाव के कारण होती है। सामान्य स्थिति में बेसल परिस्थितियों के अंतर्गत निरंतर रिकॉर्डिंग द्वारा व्हाइट कोट प्रभाव को समाप्त करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाने चाहिए। कोई व्यक्ति जिसका रक्तचाप लगातार 140/90 एमएम या उससे अधिक रहता है, को अस्वीकृत किया जाएगा।

(घ) **<u>हृदय मर्मर</u>** ऑर्गेनिक (जैविक) हृदय रोग के साक्ष्य को अस्वीकार का कारक माना जाएगा। डायस्टोलिक सरसराहट अपरिवर्तनीय रूप से जैविक है। इजेक्शन सिस्टोलिक प्रकृति की छोटी सिस्टोलिक सरसराहट और जो थ्रिल से जुड़ी नहीं है और जो खड़े होने पर समाप्त हो जाती है, विशेषकर यदि वह सामान्य ईसीजी और छाती के रेडियोग्राफ से जुड़ा हो अधिकतर प्रकार्यात्मक होते हैं। किसी संशय की स्थिति में मामले को राय के लिए हृदय रोग विशेषज्ञ के पास भेजा जाएगा।

(च) **<u>ईसीजी</u>** चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा सही प्रकार से दर्ज ईसीजी (रेस्टिंग-12 लीड) की समीक्षा की जाएगी। वेव पैटर्न, एम्प्लिट्यूड, अवधि तथा समय को जोड़कर नोट दर्ज किया जाए। केवल संरचनागत हृदय रोग के बिना अपूर्ण आरबीबीबी को छोड़कर समस्त ईसीजी अनियमितता अनफ़िट का कारण होगा। संरचनागत हृदय रोग का पता लगाने के लिए अपूर्ण आरबीबीबी के मामलों में 2डी ईसीएचओ जांच की जाएगी तथा ऐसे मामलों में वरिष्ठ परामर्शदाता (मेडिसिन) या हृदयरोग विशेषज्ञ की राय ली जाएगी।

(छ) **<u>हृदय की सर्जरी तथा चीर-फाड़</u>** पूर्व में की गई हृदय की सर्जरी तथा चीर-फाड़ वाले अभ्यर्थी को अनफ़िट माना जाएगा।

17. **<u>श्वसन तंत्र</u>**

(क) पल्मनरी ट्यूबरक्यूलोसिस, एफ्यूज़न सहित प्लीयूरीसी , बार-बार कफयुक्त खांसी आना, हिमोप्टीसिस, बार-बार ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, लगातार न्यूमोथोरैक्स तथा छाती की चोट के पूर्ववृत्त का निष्कर्ष निकाला जाए। प्रतिरोधी एयरवे बीमारी के संदेह वाले मामलों में स्पाइरोमेट्री / पीक एक्सपीरेट्री फ्लो रेट किया जाए। यदि लंग पैथोलॉजी का कोई संदेह हो तो संबंधित जांच जिसमें एक्स-रे/सी टी चेस्ट/ इम्यूनोलॉजी टेस्ट शामिल हैं इन्हें करवाकर फिटनेस का निर्णय लिया जा सकता है। संदेह वाले मामलों में अंतिम फिटनेस का निर्णय केवल अपील स्तर पर वरिष्ठ परामर्शदाता (चिकित्सा) / पल्मोनॉलॉजिस्ट के परामर्श के बाद लिया जाएगा।

(ख) **<u>पल्मनरी ट्यूबरक्यूलोसिस</u>** चेस्ट रेडियोग्राम पर किसी प्रदर्शनीय अपारदर्शिता के रूप में पल्मनरी पैरेनकीमा या प्लेयूरा में कोई अवशिष्ट स्कारिंग अस्वीकार किए जाने का आधार होगा। पल्मनरी ट्यूबरक्यूलोसिस के पूर्व में इलाज किए गए मामले जिनमें कोई महत्वपूर्ण अवशिष्ट अपसमान्यता नहीं होती उसे तब स्वीकार किया जा सकता है जब निदान और इलाज दो वर्ष से भी अधिक पहले स्वीकार किया जा चुका हो। इन मामलों में चिकित्सक के निर्णय के अनुसार यू एस जी, ई एस आर, पी सी आर, इम्यूनोलॉजिकल जांच और मैनटॉक्स टेस्ट के साथ चेस्ट का सी टी स्कैन और फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कॉपी ब्रोंकियल लेवेज सहित की जाएगी। यदि सभी जांच सामान्य आती हैं तो अभ्यर्थी को फिट माना जा सकता है। हालांकि इन मामलों में फिटनेस का निर्णय बोर्ड द्वारा ही किया जाएगा।

(ग) **<u>एफ्यूज़न सहित प्लीयूरीसी</u>** महत्वपूर्ण अपशिष्ट प्लीयूरल स्थूलता का कोई साक्ष्य अस्वीकार किए जाने का कारण होगा।

(घ) **<u>ब्रोंकाइटिस -</u>** खांसी /सांस लेने में घरघराहट, ब्रोंकाइटिस के बार-बार हुए रोगाक्रमण का इतिहास श्वसन पथ के दीर्घकालीन ब्रोंकाइटिस या अन्य दीर्घकालिक पैथोलॉजी का परिमाण हो सकता है। ऐसे मामलों को अनफिट

मूल्यांकित किया जाएगा। यदि उपलब्ध हो तो पल्मनरी फंक्शंस जांच की जाएगी। ऐसे मामलों में चिकित्सा विशेषज्ञ/चेस्ट फिज़िशियन से परामर्श लिया जा सकता है।

(च) **ब्रोंकियल अस्थमा-** ब्रोंकियल अस्थमा /सांस लेने में घबराहट /एलर्जिक राइनिटिस के बार-बार हुए रोगाक्रमण का इतिहास अस्वीकार कर दिया जाने का कारण होगा।

(छ) **चेस्ट का रेडियोग्राफ करना-** फेफड़ो, मीडियास्टिनम और प्लूरा संबंधी रोगों के सुस्पष्ट रेडियोलॉजिकल साक्ष्य अभ्यर्थी को अनफिट घोषित करने का मापदंड होगा।यदि अपेक्षित हो तो छाती के चिकित्सक के सुझाव के अंतर्गत उपयुक्र्त पैरा 2 में दिए अनुसार जांच की जाएगी।

(ज) **वक्षीय सर्जरी-** फेफड़ा पेरेनकीमा के किसी ऑपरेशन द्वारा अच्छेदन का इतिहास अभ्यर्थी को अनफिट माना जाएगा। वक्ष के किसी अन्य भाग की प्रमुख सर्जरी पर मामलेवार विचार किया जाएगा।

18. **पाचन तंत्र**

(क) परीक्षक जांच करे कि क्या अभ्यर्थी को मुंह,जीभ,मसूड़ो या गले के फोड़े या संक्रमण का कोई इतिहास है? प्रमुख दांत परिवर्तन /बदलाव का रिकॉर्ड नोट किया जाए। अभ्यर्थी के चिकित्सा इतिहास के बारे में पूछते समय परीक्षक, डिस्पेप्सिया, पेप्टिक अल्सर प्रकार के दर्द, बार-बार डायरिया होने, पीलिया अथवा बिलियरी कॉलिक, अपच, कब्ज, ब्लीडिंग पी आर के तथा अन्य कोई पेट की सर्जरी के इतिहास के बारे में सीधे सवाल कर सकता है।

(ख) **सिर से पांव तक की जांच** लिवर कोशिका के खराबी की किसी संकेत की मौजूदगी (अर्थात बालों का झड़ना, पैरोटिडोमेगली, स्पाइडर नैवी, गाइनोकोमास्टिया,टेस्टीकुलर एट्रॉफी, फ्लैपिंग ट्रेमर आदि) तथा मैलऐबसार्प्शन के साक्ष्य (पैलर, नाखून तथा त्वचा में बदलाव, एंगुलर चेलिटीस, पेडल एडेमा) अस्वीकार करने का आधार होगा। ओरल म्यूकोसा, मसूड़े तथा मुंह खोलने में किसी बाधा की स्थिति को नोट किया जाएगा।

(ग) <u>गैस्ट्रो डुओडेनल अक्षमता-</u> वे अभ्यर्थी जो सिद्ध पेप्टिक अल्सरेशन सहित एसिड-पेप्टिक बीमारी लक्षणों के लक्षणों से पिछले एक वर्ष से गुज़र रहे अथवा गुज़र चुके हैं उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पहले हुई किसी शल्य क्रिया जिसमें किसी अंग (अवशेषांगों/पित्ताशय के अतिरिक्त) की आंशिक या कुल क्षति लोप होने से अस्वीकार कर दिए जाने का मामला बनेगा।

(घ) **<u>यकृत लीवर के रोगः</u>**- यदि पूर्व में पीलिया (जौंडिस) होने का पता चलता है या यकृत (लीवर) के काम करने में किसी प्रकार की असमान्यता का संदेह होता है, तो मूल्यांकन के लिए पूरी जांच करना अपेक्षित है। वायरल यकृत-शोथ (हेपाटाइटिस) या पीलिया के किसी अन्य रूप से ग्रस्त अभ्यर्थियों को खारिज कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को 06 माह की न्यूनतम अवधि बीत जाने के बाद फिट घोषित किया जा सकता है बशर्ते उसकी नैदानिक रिकवरी (स्वास्थ्य लाभ) हो गई हो, एच बी वी और एच सी वी - दोनों स्थिति निगेटिव हो और यकृत (लिवर) सामान्य रूप से काम कर रहा हो। बार-बार पीलिया होने पर अभ्यर्थी को अनफिट माना जाएगा।

(च) **<u>प्लीहा (स्प्लीन) का रोगः</u>**- जिन अभ्यर्थियों का आंशिक/पूर्ण प्लीहोच्छेदन (स्प्लीनेक्टोमी) हुआ हो, वे अनफिट होंगे चाहे ऑपरेशन का कारण कुछ भी हो।

(छ) **<u>हर्नियाः</u>**- वक्षण (इन्गुइनल), एपिगैस्ट्रिक, नाभिका और ऊरु (फेमोरल) हर्निया तो नहीं है, इसके लिए हर्निया से संबंधित स्थानों का परीक्षण किया जाएगा। कोई भी उदरीय भित्ति हर्निया अनफिट होने का कारण होगा। चाहे ओपन अथवा लैप्रोस्कोपिक सुधार के 06 महीने बाद शल्य-क्रिया (सर्जरी) के घाव के निशान जिस अभ्यर्थी में अच्छी तरह भर चुके हों, उसे फिट माना जाएगा बशर्ते इसके दोबारा न होने का साक्ष्य हो और उदरीय भित्ति पेशी-विन्यास ठीक हो।

(ज) **<u>उदरीय शल्य-क्रिया (सर्जरी)</u>**

(i) प्रचलित उदरीय शल्य-क्रिया (सर्जरी) के बाद इसके घाव के निशान जिस अभ्यर्थी में अच्छी तरह भर चुके हों, उसे सफल शल्य-क्रिया (सर्जरी) के एक वर्ष बाद फिट माना जाएगा, बशर्ते किसी छुपी हुई विकृति के दोबारा उभरने की आशंका न हो, हर्निया में कोई चीरा न लगने का साक्ष्य हो और उदरीय भित्ति पेशी-विन्यास ठीक हो।

(ii) लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी करा चुके अभ्यर्थी को शल्य-क्रिया (सर्जरी) के बाद 08 सप्ताह बीत चुकने के बाद फिट माना जाएगा बशर्ते वह संकेतों और लक्षणों से मुक्त हो और उदर (पेट) की यू एस जी जांच सहित उसका मूल्यांकन सामान्य हो और शून्य आंतरिक उदरीय अवशेष सहित पित्ताशय (गॉल ब्लैडर) न हो। अन्य उदरीय लेप्रोस्कोपिक प्रक्रिया से गुजर चुके अभ्यर्थी को भी शल्य-क्रिया (सर्जरी) के 08 सप्ताह बाद फिट माना जा सकता है बशर्ते उसमें कोई लक्षण न दिखते हों, रिकवरी (स्वास्थ्य लाभ) पूरी हो चुकी हो और कोई परेशानी बची न हो अथवा दोबारा परेशानी न होने का साक्ष्य हो।

(झ) **<u>गुद- मलाशय (एनोरेक्टल) स्थितियां</u>**- जांच करने वाले को मलाशय की डिजिटल (अंगुली से) जांच करनी चाहिए और बवासीर, बाहरी अर्श, गुदा के त्वचा टैग, विदर, विवर, नालव्रण, भ्रंश, मलाशय पुंज या पॉलिप के न होने की बात सुनिश्चित करनी चाहिए।

(i) **<u>फिट</u>**

(कक) केवल बाहरी त्वचा टैग।

(कख) पॉलिप, बवासीर, विदर, नालप्रवण या व्रण (अल्सर) के लिए मलाशय की शल्य-क्रिया (सर्जरी) के बाद बशर्ते बीमारी बची न होने/दोबारा न होने का साक्ष्य हो।

(ii) **<u>अनफिट</u>**

(क) सुधार के लिए शल्य-क्रिया (सर्जरी) के बाद भी मलाशय भ्रंश।

(कख) सक्रिय गुद विदर

(कग) बवासीर (बाहरी या भीतरी)

(कघ) गुद विवर

(कच) गुदा या मलाशय का पॉलिप

(कछ) गुदा का निकुंचन

(कज) मल असंयति

(ट) **<u>उदर की अल्ट्रासोनोग्राफी</u>**

(i) **<u>यकृत (लिवर)</u>**

(कक) **<u>फिट</u>**

(ककक) यकृत (लीवर), सी बी डी, आई एच बी आर, प्रवेशद्वार (पोर्टल) तथा शिराओं की सामान्य ईको-एनाटोमी के साथ मध्य-जत्रुकी रेखा में यकृत का विस्तार 15 सेमी से अधिक न हो।

(ककख) 2.5 सेमी व्यास तक की एक अकेली साधारण रसौली (पुतली भित्ति, ऐनईकोइक) बशर्ते एल एफ टी सामान्य और हाइडेटिड सीरम परीक्षण नेगेटिव हो।

(ककग) यकृति कैल्सीकरण को फिट माना जाएगा यदि एक अकेला तथा 1 सेमी से कम आकार का हो और संगत नैदानिक परीक्षणों तथा उपयुक्त जांच के आधार पर तपेदिक, सार्काइडोसित, हाईडेटिड रोग या यकृत फोर्ड के सक्रिय न होने का साक्ष्य हो।

(कख) **<u>अनफिट</u>**

(ककक) मध्य- जत्रुकी रेखा में 15 सेमी से बड़ी यकृतिवृद्धि।

(ककख) वसीय यकृत-ग्रेड 2 और ग्रेड 3, असामान्य एल एफ टी के होने पर ग्रेड 1।

(ककग) एक अकेली रसौली > 2.5 सेमी।

(ककघ) मोटी भित्ति, पटभवन (सेप्टेशन), अंकुरक प्रक्षेप, कैल्सीकरण और कचरे के साथ किसी भी आकार की एक अकेली रसौली।

(ककच) एकाधिक यकृति कैल्सीकरण या गुच्छ > 1 सेमी।

(ककछ) किसी भी आकार की एकाधिक यकृति रसौली।

(ककज) आकार और अवस्थिति से अनपेक्ष कोई भी हीमेंजियोमा (रक्तवाहिकाबुर्द)।

(ककझ) प्रवेशद्वार पर शिरा घनास्रता।

(ककट) प्रवेशद्वार पर अतिरिक्त दाब का साक्ष्य (पी वी > 13 मिमी., समपार्श्वी, जलोदर)।

(ii) **<u>पित्ताशय (गॉल ब्लैडर)</u>**

(कक) **<u>फिट</u>**

(ककक) पित्ताशय (गॉल ब्लैडर) की सामान्य ईको-एनाटोमी।

(ककख) लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी के बाद लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टॉमी कर चुके अभ्यर्थी को फिट माना जा सकता है यदि शल्य-क्रिया (सर्जरी) के बाद 08 सप्ताह बीत चुके हों और शून्य आंतरिक उदरीय अवशेष सहित पित्ताशय (गॉल ब्लैडर) न हो। हर्निया में बगैर किसी चीरे के घाव अच्छी तरह भर चुका होना चाहिए।

(ककग) ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी के बाद। ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी करा चुके अभ्यर्थी को फिट माना जा सकता है यदि शल्य-क्रिया (सर्जरी) के बाद एक वर्ष बीत चुका हो और हर्निया में बगैर किसी चीरे के घाव भर चुका हो तथा शून्य आंतरिक-उदरीय अवशेष के साथ पित्ताशय (गॉल ब्लैडर) न हो।

(कख) **<u>अनफिट</u>**

(ककक) कोलेलिथिआसिस या बिलिअरी स्लज।

(ककख) कोलेडोकोलिथिआसिस।

(ककग) किसी भी आकार की और किसी भी संख्या में पॉलिप।

(ककघ) कोलेडॉकल रसौली।

(ककच) गॉल ब्लैडर (पित्ताशय) पुंज।

(ककछ) पित्ताशय (गॉल ब्लैडर भित्ति की मोटाई > 05 मिमी.

(ककज) सेप्टेट (पटयुक्त) पित्ताशय (गॉल ब्लैडर)।

(ककझ) यू एस जी दोहराने पर लगातार सिकुड़ता पित्ताशय (गॉल ब्लैडर)।

(ककट) अधूरी कोलेसिस्टेक्टोमी।

(iii) **<u>प्लीहा (स्प्लीन)</u>**

(कक) **<u>अनफिट</u>**

(ककक) अनुदैर्घ्य अक्ष में 13 सेमी. से बड़ा प्लीहा (अथवा यदि नैदानिक रूप से स्पृश्य हो।

(ककख) प्लीहा में जगह घेरने वाली कोई विक्षति।

(ककग) प्लीहाभाव

(ककघ) जिन अभ्यर्थियों ने आंशिक/पूर्ण स्प्लीनेक्टोमी कराई है वे अनफिट हैं, चाहें ऑपरेशन का कारण कुछ भी हो।

(iv) **<u>अग्न्याशय</u>**

(कक) **<u>अनफिट</u>**

(ककक) संरचनागत कोई भी असामान्यता।

(ककख) जगह घेरने वाली विक्षति/विक्षति पुंज।

(ककग) चिरकारी (लंबे) अग्न्याशयशोथ के लक्षण (कैल्सीकरण, वाहिनी संबंधी असामान्यता, शोथ)।

(v) **<u>पर्युदर्या गुहिका</u>**

(कक) **<u>अनफिट</u>**

(ककक) जलोदर

(ककख) एक अकेली आन्त्रयोजनी अथवा प्रत्यक-पर्युदर्या लसीका पर्वसंधि (नोड) > 1 सेमी. (एक अकेली प्रत्यक-पर्युदर्या लसीका पर्वसंधि (नोड) < 1 सेमी और विन्यास में सामान्य के मामले में फिट माना जा सकता है)।

(ककग) किसी भी आकार की दो या अधिक लसीका पर्वसंधि (लिम्फ नोड)।

(ककघ) कोई भी पुंज या पुटी (सिस्ट)।

(vi) प्रमुख एबडोमिनल वेस्कुलेचर(महाधमनी/आई वी सी)। कोई भी ढांचागत असामान्यता,फोकस एक्टेसिया, एन्यूरिज़्म और केल्सिफिकेशन को अनफिट समझा जाएगा।

19. **<u>यूरोजेनिटल प्रणाली</u>**

(क) मिक्टूरिशन या यूरिनरी सिस्टम में किसी बदलाव के बारे में जांच की जानी चाहिए जैसे डिस्यूनिया, फ्रिक्वेंसी, खराब धारा आदि। सिस्टाइसिस पाइलोनेफ्राइटिस और हिमट्यूरिया के आवर्ती दौरों को इतिहास में नहीं गिना जाना चाहिए। रीनल कोलिक, एक्यूट नेफ्राइटिस, रीनल ट्रैक्ट का कोई ऑपरेशन जिसमें गुरदे का निकाला जाना, पथरी निकालना या पेशाब के रास्ते स्राव शामिल है , के पिछले इतिहास के बारे में विस्तृत जांच की जानी चाहिए। यदि एन्यूरेसिस का भूतकाल या वर्तमान का कोई इतिहास पाया

जाता है, तब विवरण प्राप्त किया जाना चाहिए। यूरेथ्रल डिस्चार्ज और यौन संचारित रोग (एस टी डी) का उल्लेख किया जाना चाहिए।

(ख) कॉन्जेनिटल कमियों जैसे हाइपोस्पाडियास, एपिस्पाडियास, अस्पष्ट जेनिटालिया, छोटे टेस्टिस(यू डी टी) या एक्टोपिक टेस्टिस आदि के होने से बचने के लिए बाहरी जेनिटालिया की निरंतर जांच की जानी चाहिए। परिस्थितियां जैसे हाइड्रोसिल, वेरिकोसिल, एपिडिडाइमल सिस्ट, फिमोसिस, यूरेथ्रल ढांचा, मीटल स्टीनोसिस आदि पर भी विचार नहीं किया जाना चाहिए। पालन किया जाने वाला मापदंड निम्नलिखित है:-

(i) **<u>छोटे टेस्टिस (यू डी टी)</u>**

(कक) <u>अनफिट</u>- टेस्टिस की कोई असामान्य स्थिति (एक-पार्श्वी या द्विपार्श्वी) अनफिट है। ट्रामा, टॉर्सन या संक्रमण जैसे किसी भी कारण से हुई द्विपार्श्वी ऑर्किडोक्टोमी अनफिट है।

(कख) <u>फिट</u>- ऑपरेशन से ठीक की गई यू डी टी को शल्य चिकित्सा के कम से कम 4 सप्ताह बाद फिट समझा जाए बशर्ते सर्जिकल तरीके से ठीक होने के बाद टेस्टिस की स्थिति सामान्य है और घाव भली-भांति भर गया है। हल्के लक्षण के लिए एक पार्श्वी एट्राफिक टेस्टिस/ एक-पार्श्वी ऑर्किडेक्टॉमी को फिट समझा जाए, बशर्ते दूसरी टेस्टिस का आकार, फिक्सेशन और स्थान सामान्य है।

(ii) **<u>वेरिकोसील</u>**

(कक) <u>अनफिट</u>- वर्तमान वेरिकोसील के सभी ग्रेड।

(कख) <u>फिट</u>- वेरिकोसील के ऑपरेशन के बाद मामले जिनमें कोई शेष वेरिकोसील नहीं है और ऑपरेशन पश्चात की कोई समस्याएं या टेस्टिकुलर एट्राफी नहीं है को सर्जरी के 4 सप्ताह बाद सब-इन्जुइनल वेरिको को इलैक्टॉमी के लिए फिट किया जा सकता है।

(iii) **<u>हाइड्रॉसिल</u>**

(कक)<u>अनफिट</u>- किसी भी तरफ मौजूद हाइड्रोसिल।

(कख)<u>फिट</u>- हाइड्रोलिस के ऑपरेशन वाले मामलों को सर्जरी होने के 4 सप्ताह बाद फिट समझा जा सकता है यदि इसमें कोई ऑपरेशन पश्च जटिलताएं नहीं है और घाव ठीक से भर गया है।

(iv) **<u>एपिडिडाइमल सिस्ट/ मास, स्पर्मेटोसील</u>**

(कक) <u>अनफिट</u>- सिस्ट मास की मौजूदा उपस्थिति।

(कख) <u>फिट</u>- ऑपरेशन के बाद के मामले जहां घाव ठीक तरह से भर गया है, जहां पुनरावृत्ति नहीं है और हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट में केवल हल्का है।

(v) **<u>एपिडिडाइमाइटिस/ऑरकाइटिस</u>**

(कक) <u>अनफिट</u> मौजूदा ऑरकाइटिस या एपिडिडाइमाइटिस / क्षय रोग की उपस्थिति।

(कख) <u>फिट-</u> उपचार के बाद, बशर्ते स्थिति पूरी तरह सुधर चुकी है।

(vi) **<u>एपिस्पाडियास/हाइपोस्पाडियास</u>**

(कक) <u>अनफिट-</u> हाइपोस्पाडियास और एपिस्पाडियास के ग्रेन्यूलर प्रकार को छोड़कर सभी अनफिट हैं, जो स्वीकार्य है।

(कख) <u>फिट-</u> सफल सर्जरी के कम से कम 08 सप्ताह बाद ऑपरेशन बाद के मामले, बशर्ते पूरी तरह ठीक हो गए हैं और अधिक जटिलता नहीं है।

(vii) **<u>पेनाइल एम्प्यूटेशन</u>**

(कक) <u>अनफिट-</u> कोई भी एम्प्यूटेशन आवेदक को अनफिट बनाएगी।

(viii) **<u>फिमोसिस</u>**

(कक) <u>अनफिट-</u> मौजूदा फिमोसिस, यदि स्थानीय स्वच्छता के साथ हस्तक्षेप के लिए पर्याप्त तनाव में हैं और बैलानाइटिस जिरोटिका ऑब्लिटरेंस के साथ जुड़े या बचे हुए हैं।

(कख) <u>फिट-</u> ऑपरेशन किए गए मामलों को सर्जरी के 04 सप्ताह बाद फिट समझा जाएगा बशर्ते घाव पूरी तरह भर गया है और ऑपरेशन के बाद की कोई समस्या सामने नहीं आई है।

(ix) **<u>मीटल स्टीनोइसिस</u>**

(कक) <u>अनफिट</u>- मौजूदा रोग यदि वॉइडिंग के साथ हस्तक्षेप के लिए पर्याप्त छोटा हो।

(कख) <u>फिट-</u> हल्का रोग जो वॉइडिंग और ऑपरेशन- पश्च मामलों के साथ सर्जरी किए जाने के 4 सप्ताह बाद हस्तक्षेप नहीं करते जिसमें पर्याप्त रूप से भरे गए घाव और ऑपरेशन के बाद की जटिलताएं नहीं है।

(x) **<u>स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा, यूरेथ्रल फिस्चुला</u>** वर्तमान मामलों या ऑपरेशन पश्च मामलों के किसी इतिहास वाले अनफिट हैं।

(xi) **<u>सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी/इंटरसेक्स परिस्थिति</u>** अनफिट

(xii) **<u>नेफ्रेक्टॉमी</u>** सर्जरी के प्रकार से निरपेक्ष सभी मामले (सरल/रेडिकल/डोनर/आंशिक/आर एफ ए/क्रेयो- एब्लेशन) अनफिट हैं।

(xiii) **<u>रेनल ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट</u>** अनफिट ।

(ग) <u>पेशाब की जांच</u>

(i) **<u>प्रोटीन्यूरिया</u>** प्रोटीन्यूरिया अस्वीकृति का एक कारण होगा, जब तक कि यह ऑर्थोस्टेटिक प्रमाणित न हो जाए।

(ii) **<u>ग्लाइकोस्यूरिया</u>** जब ग्लाइकोस्यूरिया का पता चलता है, एक ब्लड शुगर जांच(खाली पेट और 75 ग्राम ग्लूकोस के बाद) और ग्लाइको साइलेटिड हीमोग्लोबीन किया जाना है और परिणामों के आधार पर फिटनेस का निर्धारण होता है। अस्वीकृति के लिए रीनल ग्लाइकोस्यूरिया एक कारण नहीं है।

(iii) **<u>यूरीनरी संक्रमण</u>** जब आवेदक का यूरिनरी संक्रमण का इतिहास है या कोई साक्ष्य है तब उसकी पूर्ण रीनल जांच की जाएगी। यूरिनरी संक्रमण का सतत प्रमाण अस्वीकृति का कारण होगा।

(iv) **<u>हेमेट्यूरिया</u>** हेमेट्यूरिया के इतिहास वाले आवेदकों की पूर्ण रीनल जांच की जाएगी।

(घ) **<u>ग्लोमेरूलोनेफ्राइटिस</u>**

(i) **<u>एक्यूट</u>** - इस परिस्थिति में एक्यूट चरण में ठीक होने की उच्च दर होती है विशेषकर बचपन में एक अभ्यर्थी जो पूरी तरह ठीक हो चुका है और जिसके प्रोटीन्यूरिया नहीं है, को पूरी तरह ठीक होने के न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के बाद फिट माना जाए।

(ii) **<u>क्रोनिक</u>** क्रोनिक ग्लोमेरूलोनेफ्राइटिस वाले आवेदकों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(च) **<u>रेनल कॉलिक और रेनल कैल्कुली</u>** पूर्ण रेनल और मेटाबॉलिक मूल्यांकन की आवश्यकता है। यूरोलीथियासिस, पुनरावृत्ति वाला केल्कुलस, द्विपक्षीय रेनल केल्कुलस नेफ्रोकेल्सिनोसिस वाले मौजूदा या इतिहास वाले अनफिट हैं। सर्जरी के बाद अथवा यूरोलीथियासिस के उपचार की किसी भी प्रक्रिया के बाद आवेदक अनफिट रहता है।

(छ) **<u>यौन संचारित रोग और ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस (एच आई वी)</u>** सीटोपॉजिटिव एच आई वी स्थिति और/या एस टी डी के लक्षणों वालों को अस्वीकार किया जाएगा।

<u>पेट - यूरोजेनिटल प्रणाली की अल्ट्रासोनोग्राफी</u>

(ज) **<u>गुर्दा, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर</u>**

(i) **<u>अनफिट</u>**

(कक) गुर्दों या यूरिनरी ट्रैकर की कॉनजेनिटल ढांचागत असामान्यताएं

(ककक) यूनिरल रीनल एमनेसिस

(ककख) 08 से.मी. से कम के आकार के यूनिलेटरल या बाइलेटरल हाइपोप्लास्टिक कॉट्रैक्टिड गुर्दा।

(ककग) गुरदे का मालरोटेशन

(ककघ) हॉर्सशू गुर्दा

(ककच) टोस्ड गुर्दा

(ककछ) क्रॉस्ड फ्यूज्ड/एक्टोपिक गुर्दा।

(कख) एक गुर्दे में 1.5 से.मी. से अधिक आकार का सिम्पल सिंगल रीनल सिस्ट।

(कग) कॉम्प्लेक्स सिस्ट/पॉलीसिस्टिक रोग/बहु या द्विपार्श्विक सिस्ट।

(कघ) रीनल/यूरेटेरिक/वेसिकल मास।

(कच) हाइड्रोनेफ्रोसिस या हाईड्रोयूरिटेरोनेफ्रोसिस।

(कछ) कैलकुलाई- रीनल/यूरेट्रिक/वेसिकल।

(ii) **<u>फिट</u>** सॉलिटरी, एकपार्श्विक सामान्य रीनल सिस्ट1.5 से.मी. बशर्ते सिस्ट बाहर स्थित है गोल/अंडाकार है जिसकी पतली चिकनी सतह है और कोई ठोस घटक नहीं है।

(iii) अपील के दौरान मेडिकल बोर्ड/समीक्षा मेडिकल बोर्ड द्वारा अनफिट घोषित आवेदकों को विशिष्ट जांच और विस्तृत क्लिनिकल जांच करवानी होगी। गुर्दे के ईको टेक्सचर की आईसोलेटिड असमानता वाले आवेदकों को फिट समझा जाए। यदि रीनल कार्य/डी पी टी ए स्कैन और सी ई सी टी गुर्दा सामान्य है।

(झ) **<u>स्क्रॉटम और टेस्टिस</u>** निम्नलिखित मामलों को अनफिट घोषित किया जाएगा:-

(i) द्विपार्श्व एट्रोफाइड टेस्टिस।

(ii) वेरिकोसील (एक पार्श्व या द्विपार्श्व)

(iii) टेस्टिस की कोई असामान्य अवस्थिति (एक पार्श्व या द्विपार्श्व)

(iv) हाइड्रोसिल

(v) एपिडिडाइमल निशान जैसे सिस्ट।

20. **<u>एंडोक्राइन प्रणाली</u>**

(क) किन्हीं एंडोक्राइन परिस्थितियों विशेषकर डायबिटिज मेलिटस, थायरॉइड और एड्रिनल ग्लैण्ड, गोनाड्स आदि की कमियों के लिए इतिहास का सावधानीपूर्वक उल्लेख किया जाना चाहिए। एंडोक्राइन कमियों का किसी भी प्रकार का सुझाया गया इतिहास अस्वीकृति का एक कारण होगा। किसी भी संदेह के मामले में चिकित्सा विशेषज्ञ एंडोक्राइनोलोजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए।

(ख) एंडोक्राइन प्रणाली के किसी भी संभावित रोग का पता लगाने के लिए एक विस्तृत क्लिनिकल जांच की जानी चाहिए। एंडोक्राइन रोग के किसी भी प्रमाण वाला व्यक्ति अनफिट होगा।

(ग) असामान्य आयोडीन लेना और असामान्य थायरॉइड हार्मोन स्तरों वाले व्यक्ति सूजन के सभी मामले अस्वीकार्य होंगे। थायरॉइड सूजन वाले सभी मामले अनफिट हैं।

(घ) मधुमेह वाले आवेदकों को अस्वीकार्य कर दिया जाएगा। मधुमेह के पारिवारिक इतिहास वाले आवेदक का ब्लड शुगर (खाली पेट और ग्लूकोज़ ग्रहण के बाद) की जांच की जाएगी, जिसका रिकॉर्ड रखा जाएगा।

21. **<u>डर्मेटोलॉजिकल प्रणाली</u>**

(क) किसी त्वचा स्थिति के दावे या पाए जाने की प्रकृति या घातकता की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने के लिए आवेदक कि त्वचा की जांच के बाद सावधानीपूर्वक छानबीन करना आवश्यक है। बॉर्डरलाइन त्वचा परिस्थितियों वाले आवेदकों को डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भेजना चाहिए। वैसे आवेदक जिनमें व्यावसायिक यौन कर्मी(सी एच डब्ल्यू) के साथ यौन संपर्क का इतिहास पता चलता है या एक निशान के रूप में लिंग पर चोट, जो भर गई है, का प्रमाण होता है, को स्थायी अनफिट घोषित किया जाए चाहे प्रत्यक्ष यौन संबंध नहीं हुए हों, क्योंकि ये आवेदक समान इनडलजेंट प्रोमिस्कस व्यवहार के साथ संभावित 'आवृति' वाले हैं।

(ख) **<u>त्वचा के रोगों का मूल्यांकन</u>** घोर नॉन-एक्जैनथिमेटस और विसंक्रामक रोग जो आमतौर पर अस्थायी समय तक रहते हैं को अस्वीकृति का कारण होना चाहिए। मामूली प्रकृति के रोग और जो सामान्य स्वास्थ्य के साथ हस्तक्षेप नहीं करते या अक्षमता पैदा नहीं करते, को अस्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ग) कुछ त्वचा परिस्थितियों के ट्रॉपिकल परिस्थितियों में सक्रिय और अक्षमता वाले बनने की संभावना है। एक व्यक्ति सेवा के लिए अनुपयुक्त है यदि उसमें क्रॉनिक या बार-बार होने वाले त्वचा रोग का इतिहास या लक्षण हैं। ऐसी कुछ परिस्थितियां नीचे परिभाषित की गई हैं:-

(i) पल्मोप्लांटर हाइपरहाइड्रोसिस की कुछ मात्रा शारीरिक है जिसमें इस परिस्थिति पर विचार किया जाता है जिसका सामना चिकित्सा जांच के दौरान रंगरूट करता है। हालांकि विशिष्ट पल्मोप्लाटर हाइपरहाइड्रोसिस वाले आवेदकों को अनफिट समझा जाएगा।

(ii) हल्के (ग्रेड-I) मुहांसे जिसमें कुछ कोमिडोन या पाप्यूल जो केवल चेहरे तक सीमित होते हैं, स्वीकार्य होने चाहिए। हालांकि सामान्य से गंभीर डिग्री के मुहांसे (नोड्यूलोसिस्टिक या केलोइडल स्कारिंग के बिना) या जिसमें पृष्ठ भाग शामिल हो, अनफिट समझा जाएगा।

(iii) हाइपरकेराटोटिक हथेलियों, तलवों और एड़ियों पर फटी त्वचा के साथ जुड़ी पल्मोप्लांटर केराटोडर्मा की किसी डिग्री वाले को अनफिट समझा जाएगा।

(iv) प्रमाणित सूखी, धारीदार, फटी त्वचा वाले हाथों और पैरों वाले इक्थियोसिस को अनफिट समझा जाएगा। हल्के जेरोसिस (सूखी त्वचा) वालों को फिट समझा जा सकता है।

(v) केलोइड वाले आवेदकों को अनफिट समझा जाना चाहिए।

(vi) उंगलियों और पैरों के नाखूनों की क्लिनिकल प्रमाणित ओनिकोमाइकोसिस वालों को अनफिट घोषित किया जाएगा, विशेषकर यदि वे नाखून डिस्ट्रॉफी से जुड़े हैं। डिस्टल रंगहीनता वाले हल्के डिग्री वाले एक नाखून जिसमें कोई डिस्ट्रॉफी नही है, को स्वीकार किया जा सकता है।

(vii) विशाल कॉनजेनिटल मेलानोसाइटिक नेवी, जो 10 से.मी. से बड़े हैं को अनफिट समझा जाए क्योंकि ऐसे विशाल आकार के नेवी में मेलिग्नेंट क्षमता है।

(viii) एकल कॉर्न /वार्ट /कैलोसिटी वालो को फिट समझा जाएगा जो सफल उपचार के तीन माह बाद और पुनरावृत्ति न होने पर होगा। हालांकि हथेलियों के और तलवों के दबाव वाले क्षेत्रों पर या डिफ्यूज पल्मोप्लांटर मोजैक वार्ट, विशाल कैलोसिटी अनेक वार्ट/कॉर्न/ कैलोसिटी वालों को अस्वीकार करना चाहिए।

(ix) सोरियासिस एक क्रॉनिक त्वचा स्थिति है जिसके दोबारा होने की संभावना है, और इसे अनफिट समझना चाहिए।

(x) ढंके भागों को प्रभावित करने वाले ल्यूकोडर्मा की हल्की डिग्री से प्रभावित आवेदक स्वीकार्य हैं। केवल ग्लांस लिंग तक और प्रीप्यूस तक सीमित विटिलिगो को फिट समझा जाए। वे जिनमें त्वचा पर अत्यधिक असर है और विशेषकर जब बाहरी भाग प्रभावित होते हैं चाहे वे हल्के डिग्री वाले हों, को अनफिट घोषित किया जाए।

(घ) त्वचा संक्रमणों की क्रॉनिक या आवृत्ति वाले इतिहास अस्वीकार्यता का कारण होंगे। फोलिकुलाइटिस या साइकोसिस बार्बे जिसमें पूरा ठीक हो गया है, को फिट समझा जाए।

(च) वे व्यक्ति जिनमें क्रॉनिक या बार-बार होने वाले त्वचा रोग के उदाहरण हैं जो गंभीर या अक्षमता प्रकृति के हैं जैसे एक्जीमा, उनका मूल्यांकन स्थायी अनफिट के तौर पर किया जाए और अस्वीकार किया जाए।

(छ) कुष्ठ रोग का किसी भी प्रकार का लक्षण अस्वीकृति का कारण होगा। नसों के मोटा होने के किसी भी कारण के लिए सभी पेरिफेरल नसों की जांच की जानी चाहिए और कुष्ठ रोग को दर्शाने वाला कोई भी क्लिनिकल प्रमाण अस्वीकृति का कारण है।

(ज) नेवस डिपिगमेंटोसस और बेकर्स नेवस वाले को फिट समझा जाए। इंट्राडर्मल नेवस, वेस्कुलर नेवी को अनफिट घोषित किया जाए।

(झ) पिटिरियासिस वर्सिकोलर को अनफिट घोषित किया जाए।

(ट) शरीर के किसी भी भाग पर किसी प्रकार का फंगल संक्रमण(जैसे टिनिया क्रूरिस और टिनिया कॉर्पोरिस) अनफिट होगा।

(ठ) स्क्रोटल एक्जीमा को ठीक होने पर फिट समझा जाए।

(ड) कैनिटी (बालों का समयपूर्ण सफेद होना) को फिट समझा जाए।

(ढ) इंटरट्रिगो को ठीक होने पर फिट समझा जाए।

(त) जेनिटल अल्सर को अनफिट समझा जाए। एस टी डी न होना सुनिश्चित करने के लिए एनल और पेरियानल क्षेत्र को भी जेनिटल जांच के भाग के तौर पर शामिल किया जाना चाहिए।

(थ) स्केबीज को ठीक होने पर फिट समझा जाए।

(द) त्वचा पर एलोपीशिया एरेटा एकल और छोटा(2 सेमी से छोटे व्यास वाला) को स्वीकार किया जा सकता है। हालांकि यदि बहुल है जिसमें अन्य क्षेत्र शामिल हैं या स्कारिंग है तो आवेदक को अस्वीकार किया जाए।

22. **<u>मस्कुलोस्केलेटल प्रणाली और शारीरिक क्षमता</u>**

(क) आवेदक के शरीर का मूल्यांकन सामान्य मानकों के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन पर आधारित होता है जैसे कि शरीर का विकास, आयु, कद, वजन और इससे संबंधित यानी प्रशिक्षण सहित शारीरिक स्टैमिना प्राप्त करने की शारीरिक क्षमता। आवेदक की शारीरिक क्षमता सामान्य शारीरिक विकास या किसी संगठनात्मक या पैथोलॉजिकल परिस्थिति द्वारा प्रभावित होती है।

(ख) **<u>स्पाइनल स्थितियां</u>** रोग या स्पाइनल या सैक्रोईलियाक जोड़ों की चोट का कोई पुराना इतिहास या तो वस्तुगत लक्षणों सहित या उनके बिना, जिससे अभ्यर्थी को शारीरिक तौर पर सक्रिय जीवन जीने में बाधा आती है, कमीशन प्रदान किए जाने के लिए अस्वीकृति का एक कारण है। इन परिस्थितियों के लिए बार- बार होने वाला लुम्बागो/ स्पाइनल फ्रैक्चर/ प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क और सर्जिकल उपचार का इतिहास होने पर अस्वीकार किया जाएगा।

(ग) <u>स्पाइन का मूल्यांकन</u>

(i) **<u>क्लीनिकल जांच</u>** सामान्य थोरेसिक काइफोसिस और सर्वाइकल/ लम्बर लोर्डोसिस बमुश्किल दिखते हैं और दर्द या चलने में परेशानी से संबंधित नहीं होते।

(कक) यदि क्लीनिकल जांच पर स्पाइन की हरकत में परेशानी, विकृति, स्पाइन की कमजोरी या कोई चाल-ढाल में कोई असामान्यता पाई जाती है तो वह अनफिट समझा जाएगा।

(कख) पूरा काइफोसिस, जो मिलिट्री बियरिंग को प्रभावित करता है/ हर प्रकार की स्पाइनल हरकत को बाधित करता है और/या छाती के फुलाव को रोकता है, अनफिट है।

(कग) स्कोलियोसिस वाला अनफिट है यदि विकृति पूरे स्पाइन पर है जब इसे स्पाइन की हरकत सीमित हो जाती हो या जब इससे एक पैथालॉजिकल कारण जुड़ा हो। जब स्कोलियोसिस दिखता हो या स्पाइन की किसी नैदानिक स्थिति का आशंका हो तो स्पाइन उपयुक्त भाग की रेडियोग्राफी जांच किए जाने की आवश्यकता है।

(ii) **स्पाइना बिफिडा**- क्लीनिकल जांच करने के दौरान निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करना चाहिए और रेडियोलॉजिकल मूल्यांकन से जोड़ना चाहिएः-

(कक) स्पाइन के ऊपर कॉनजेनिटल कमियां जैसे हाइपरट्राइकोसिस, त्वचा के रंग में हल्केपन, हिमेनजिओमा, पिग्मेन्टिड नेवस या डर्मल साइनस।

(कख) स्पाइन पर लिपोमा की मौजूदगी।

(कग) पैलपेबल स्पाइना बिफिडा।

(कघ) न्यूरोलौजिकल जांच पर असामान्य नतीजे।

(घ) **<u>रेडियोग्राफ स्पाइन</u>**- फ्लाइंग ड्यूटीज़ के लिए सर्वाइकल थोरेसिस और लम्बोसैक्रल स्पाइन की रेडियोग्राफी (ए पी और लेटरल पक्ष) की जाएगी। ग्राउंड ड्यूटीज़ के लिए स्पाइन की रेडियोग्राफिक जांच की जाए यदि चिकित्सा अधिकारी/ विशेषज्ञ ऐसा आवश्यक समझें।

(च) **<u>एयर फोर्स ड्यूटीज़ (फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी दोनों) के लिए अनफ़िट बनाने वाली स्पाइन स्थितियां</u>** -

(i) **कॉनजेनिटल/विकासात्मक कमियां**

(कक) वेज वर्टिब्रा

(कख) हेमिवर्टिब्रा

(कग) एन्टीरीयर सेंट्रल कमी

(कघ) सर्वाइकल रिब्स (एकपार्श्वी/द्विपार्श्वी) स्पष्ट न्यूरोलॉजिकल या सर्कुलेटरी कमी सहित

(कच) स्पाइनाबिफिडा:- सेक्रम और एल वी 5 को छोड़कर (यदि पूर्णत: सैक्रेलाइज़्ड है)सभी अनफिट हैं।

(कछ) सर्वाइकल लोर्डोसिस की कमी जब सर्वाइकल स्पाइन की हरकत नैदानिक तौर पर सीमित की गई है ।

(कज) स्कोलियोसिस:-

(ककक) 15 डिग्री से अधिक लंबर स्कोलियोसिस

(ककख) 20 डिग्री से अधिक थोरेसिक स्कोलियोसिस

(ककग) 20 डिग्री से अधिक थोरेसो-लंबर स्कोलियोसिस

(कझ) एटलांटो ओसीपिटल और एटलांटो एक्शियल विसंगतियां।

(कट) ग्रीवा, पृष्ठीय या लंबर स्पाइन मे किसी भी स्तर पर अपूर्ण ब्लॉक (जुड़े) कशेरूक।

(कठ) ग्रीवा, पृष्ठीय या लंबर स्पाइन मे किसी भी स्तर पर पूर्ण ब्लॉक (जुड़े) कशेरूक।(एकल स्तर स्वीकार्य है। ए एफ एम एस एफ-2 में इंदराज की जाएगी)।

(कड) एकतरफा सैक्रलाइजेशन या लम्बराइजेशन (पूर्ण या अपूर्ण) और द्विपार्श्विक अधूरा सैक्रलाइजेशन या लम्बराइजेशन(एल एस टी वी- कास्टेलवी टाइप ॥(ए) और (बी), ॥। ए और ।V)(एल वी 5 का द्विपार्श्विक पूर्ण सैक्रलाइजेशन और एसवी1 का द्विपार्श्विक पूर्ण लम्बराइजेशन अर्थात एल एस टी वी कास्टेलवी टाइप ॥। बी और टाइप ए और बी स्वीकार्य है (ए एफ एम एस एफ-2 में इंदराज की जाएगी)।

(ii) **<u>चोट संबंधी स्थितियां</u>**

(कक) स्पॉन्डिलोलिसिस/ स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस

(कख) कशेरूकाओं का संपीडित होकर टूटना

(कग) कशेरूकाओं की भीतरी डिस्क का आगे खिसकना

(कघ) श्मोरल नोड्स एक से एधिक स्तर पर

(iii) **<u>संक्रामक</u>**

(कक) तपेदिक और रीढ़ की अन्य ग्रेनुलोमेटस बीमारी(पुरानी या सक्रिय)

(कख) संक्रामक स्पॉन्डिलाइटिस

(iv) **<u>स्व प्रतिरक्षक</u>**

(कक) संधिशोथ और संबद्ध विकार

(कख) ऑक्यलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस

(कग) रीढ़ की अन्य संधिशोथ संबंधी विकार जैसे पॉलीमायोसिटिस,एसएलई और वास्कुलिटिस।

(v) **<u>अपक्षीय</u>**

(कक) स्पोंडिलोसिस

(कख) अपक्षीय जोड़ के विकार

(कग) अपकर्षक कुंडल (डिस्क) रोग

(कघ) ऑस्टियोआर्थोसिस/ ऑस्टियोआर्थराइटिस

(कच) श्यूरमान रोग (किशोरावस्था काइफोसिस)

(vi) **अन्य कोई रीढ़ की हड्डी की असामान्यता. यदि विशेषज्ञ द्वारा ऐसा माना जाता है।**

(छ) **<u>ऊपरी अंगो के आकलन को प्रभावित करने वाली शर्ते</u>**

(i) ऊपरी अंगो या उनके हिस्सो की विकृति अस्वीकृति का कारण होगी। जिन उम्मीदवारों के अंगों में विच्छेदन होगा उनको प्रवेश के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि दोनों उंगली के टर्मिनल फलांक्स का विच्छेदन स्वीकार्य है।

(ज) **<u>ठीक हुए फ्रैक्चर</u>**

(i) निम्नलिखित स्थितियों में, ऊपरी अंग के ठीक किए गए फ्रैक्चर स्वीकार्य नहीं हैः-

(कक) आर्टिकुलर सतहों से जुड़े फ्रैक्चर

(कख) न्यूरोवैस्कुलर कमी से जुड़े फ्रैक्चर

(कग) मालयूनाइटेड फ्रैक्चर

(कघ) फ्रैक्चर के कारण कार्य क्षमता में कमी

(कच) स्वस्थाने प्रत्यारोपण वाले फ्रैक्चर

(ii) ऊपरी अंग का फ्रैक्चर, चोट के 06 महीने बाद दिखाना, जसमें ऊपर उल्लेख किए अनुसार कोई उल्लेख नहीं है ऑर्थोपेडिक सर्जन द्वारा मूल्यांकन के बाद स्वीकार्य है।

(झ) **<u>उंगलियां और हाथ</u>** - सिंडैक्टली और पॉलिडेक्टली को अनफिट के रूप में मूल्यांकित किया जाएगा, सिवाय इसके कि जब पॉलिडेक्टली को काट कर अलग कर दिया गया है। विकृतियों और मूवमेंट की कमी को अनुपयुक्त माना जाएगा।

(ट) **<u>कलाई</u>** - कलाई को हिलाने की डिग्री की कठोरता के अनुसार उसकी दर्द रहित सीमा का आकलन किया जाएगा। पालमर फ्लेक्सन के नुकसान की तुलना मे डोर्सीफ्लेक्सन का नुकसान अधिक गंभीर है।

(ठ) **<u>कोहनी</u>** - गति/चालन में थोड़ी सी कमी स्वीकृति को नहीं रोकती है बशर्ते कार्यात्मक क्षमता पर्याप्त हो, एंकिलोसिस अस्वीकृति की आवश्यकता होगी। क्यूबिटस वाल्गस तब मौजूद कहा जाता है जब वहन कोण (शारीरिक मुद्रा में हाथ और अग्रभाग के बीच का कोण) अतिरंजित होता है। कार्यात्मक अक्षमता के अभाव में और स्पष्ट कारण जैसे फ्रैक्चर मलयूनियन, फाइब्रोसिस या इसी तरह पुरुष उम्मीदवारों मे 15 डिग्री और महिला उम्मीदवारों में 18 डिग्री तक का वहन कोण फिट माना जाएगा।

(ड) 5 डिग्री, कम का क्यूबिटस वाल्गस अनफिट माना जाएगा।

(ढ) **<u>कंधे की पर्याणिका</u>**- कंधे का बार-बार खिसक जाना, भले ही सुधारात्मक सर्जरी की गई हो या नहीं, अनफिट माना जाएगा।

(त) **<u>क्लैविकल</u>** - किसी पुराने फ्रैक्चर क्लैविकल का न जुड़ना अस्वीकार का कारण होगा। कार्यक्षमता के नुकसान के बिना और स्पष्ट विकृति के बिना मूल संयुक्त क्लैविकल फ्रैक्चर स्वीकार्य हैं।

(थ) **<u>ऊपरी अंगो के आकलन को प्रभावित करने वाली शर्तें</u>**

(i) 20^0 से कम कोण वाला हॉलक्स वाल्गस और 10^0 से कम का पहला सेकण्ड मेटाटार्सल कोण अनुपयुक्त है। गोखरु, कॉर्न्स या कॉलोसिटी के साथ किसी भी डिग्री का हॉलक्स वाल्गस अनुपयुक्त है।

(ii) हॉलक्स रिजिडस सेवा के लिए अनुपयुक्त है।

(iii) बिना लक्षण वाले एकल लचीले हल्के पैर के अंगूठे को स्वीकार किया जा सकता है। मेटा-टार्सो फैलेंजियल जोड़ (पंजे की विकृति) पर कॉर्न्स, कैलोसिटी मैलेट-रो या हाइपरटेंशन से जुड़ी फिक्स्ड (कठोर) विकृति या हथौड़ा पैर की अंगुली को खारिज कर दिया जाएगा।

(iv) पैरों के अंगुलियों /अंगूठे का न होना अस्वीकृति का कारण होगा।

(v) अतिरिक्त अंगुलियों के होने पर अस्वीकार कर दिया जाएगा अगर उनके बगल की हड्डी बढ़ी हुई हो ।

(vi) **<u>पेस प्लेनस (फ्लैट फीट)</u>**

(कक) यदि पैर की उंगलियों पर खड़े होने पर पैरों में कमान फिर से दिखाई देते हैं, यदि अभ्यर्थी के पैर की उंगलियों पर अच्छी तरह से दौड़-फांद सकता है और यदि पैर कोमल, गतिमान और दर्द रहित है, तो अभ्यर्थी स्वीकार्य है।

(कख) कठोर या नियत सपाट पैर, प्लेनोवाल्गस के साथ, एड़ी का उल्टा होना, पैर की उंगलियों पर खुद को संतुलित नहीं कर सकता, पैर के अगले भाग के बल पर फांद नहीं सकता, जोड़ो में लगातार दर्द, तलवे के शिर का दिखना अयोग्य/अनफिट माना जाएगा। पैर की गतिविधियों का सीमित होना भी अस्वीकृति का कारण होगा। पैर की कठोरता, चाहे पैर का आकार कुछ भी हो अस्वीकार का कारण होगा।

(vii) **<u>पेस कैवस और टैलिप्स (क्लब फुट)</u>** - काम में बिना किसी बाधा के मामूली कोटि का इडियोपैथिक पेस कैवस स्वीकार्य है, मध्यम पेस कैवस और जैविक रोग के कारण गंभीर पेस कैवस को अस्वीकार कर दिया जाएगा। टैलिप्स (क्लब फुट) के सभी मामलों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(viii) <u>टखने के जोड़</u> - पिछली चोटों के बाद गतिविधि में कोई महत्वपूर्ण बाधा होने पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। जहां भी आवश्यकता हो इमेजिंग के साथ कार्यात्मक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

(ix) <u>घुटने का जोड़</u> - किसी भी लिगामेंट शिथिलता को स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिन अभ्यार्थियों की ए सी एल पुननिर्माण सर्जरी हुई है उन्हें अनफिट माना जाएगा।

(x) जेनु वल्गम (आपस में टकराते घुटने) के बीच की दूरी पुरूषों में 5 से.मी. से अधिक होने पर और महिलाओं में 8 से.मी. से अधिक होने पर अनुपयुक्त होगी।

(xi) जेनु वरम (धनुषाकार टांगें) इंटरकॉन्डाइलर दूरी 7 से.मी. से अधिक होने पर अनुपयुक्त माना जाएगा।

(xii) **<u>जेनु रिकर्वेटम</u>** - यदि घुटने का हाइपरएक्सटेंशन 10 डिग्री के भीतर है और कोई अन्य विकृति नहीं है तो अभ्यर्थी को फिट के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

(xiii) कूल्हे के जोड़ की यथार्थ विक्षति या गठिया के शुरूआती लक्षण को अस्वीकृत माना जाएगा।

(xiv) <u>बाह्य संवहन प्रणाली</u>

(कक) <u>वेरिकोज़ शिरा</u> सक्रिय वेरिकोज़ शिराओं वाले सभी मामलों को अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा। ऑपरेशन के पश्चात् वेरिकोज शिराओं के मामले भी अनुपयुक्त रहेंगे।

(कख) <u>धमनीय प्रणाली</u> धमनियों और रक्तवाहिकाओं जैसे ऐन्युरिज्म, धमनी-शोथ और बाह्य धमनीय रोग की वर्तमान या प्राचीन अपसामान्यताओं को अनुप्रयुक्त माना जाएगा।

(कग) <u>लिम्फोडेमा</u> पुरानी/वर्तमान बीमारी का इतिहास प्रवेशार्थी को अनुपयुक्त बनाता है।

23. **<u>केंद्रीय स्नायु तंत्र</u>**

(क) मानसिक बीमारी/मनोवैज्ञानिक रूप से पीड़ित इतिहास वाले अभ्यर्थी को विस्तृत जांच और मनोविकार संबंधी अभिनिर्देश की आवश्यकता होती

है। ऐसे मामलों को आमतौर पर रद्द कर देना चाहिए। प्रायः ज़्यादातर इतिहास की जानकारी स्वतः नहीं दी जाती। परीक्षक सीधे प्रश्न करके इतिहास जानने का प्रयास कर सकता है, जो उपयोगी हो भी सकता है और नहीं भी। हर परीक्षक को मोटे तौर पर अभ्यर्थी के व्यक्तित्व का सामान्य अनुमान करना चाहिए और हो सके तो कठिन और तनावपूर्ण परिस्थितियों में उस व्यक्ति की स्थिरता और सामान्य प्रतिक्रियाओं का पता करना चाहिए। पारिवारिक इतिहास और औषधि के इस्तेमाल का पूर्व इतिहास भी प्रासंगिक होता है।

(ख) अनिद्रा, भय, दुःस्वप्नों का इतिहास या बार-बार नींद में चलना या बिस्तर गीला करना, जब इनकी पुनरावृत्ति होती है या ये बने रहते हैं तो ये अस्वीकरण का कारण होंगे।

(ग) बार-बार सिरदर्द के सामान्य प्रकार वे हैं जिनका कारण सिर की पुरानी चोट या माइग्रेन होता है। कभी-कभी सिरदर्द के अन्य रूपों को उनके संभावित कारणों से संबंधित माना जा सकता है। माइग्रेन वाले अभ्यर्थी जिसे इतना गंभीर माइग्रेन हो कि उसे डॉक्टर से परामर्श लेना पड़े, तो सामान्यतः यह उसके अस्वीकरण का कारण हो सकता है। यहां तक कि दृश्यात्मक असंतुलन वाले माइग्रेन का एक आघात या अधकपारी या मिरगी अनुपयुक्त बना देती है।

(घ) अभ्यर्थी को मिरगी आने का इतिहास अस्वीकरण का एक कारण है। पांच वर्ष की उम्र के बाद मरोड़/दौरा भी अस्वीकरण का कारण है। बचपन में आनेवाले मरोड़ अनिष्टकारक नहीं हो सकते बशर्ते ऐसा प्रतीत हो कि वे ज्वर वाले मरोड़ थे और किसी खुली तंत्रिकीय कमी से संबंधित नहीं थे। मिरगी के कारणों में आनुवांशिक कारक, अभिघातज मस्तिष्क चोट, आघात, संक्रमण, डिमाइलिनेटिंग और डिजेनरेटिव बीमारियां, जन्म से ही मिली कमियां, उपादान दुरूपयोग और प्रत्याहार अभिग्रहण शामिल हैं। पूछताछ केवल मुख्य रूप से होने वाले आघातों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। अभिग्रहण इन रूपों में आ सकते हैं - "बेहोशी" और इस तरह "बेहोशी" की आवृत्ति और उसकी आनेवाली परिस्थितियों का पता चल जाता है। ऐसे आघात अस्वस्थ बना देंगे, चाहे उनकी प्रकृति कैसी भी लगे। एक वियुक्त बेहोशी का आघात होने

पर मूर्च्छा (बेहोशी) और अभिग्रहण के बीच के अंतर को जानने के लिए सभी विद्यमान कारकों का पता करना होता है, उदाहरण के लिए स्कूल में बेहोश होना आम घटना है और इसका महत्व कम होता है। जटिल आंगिक अभिग्रहण जो काथिक गतिविधि के रूप में दिखते हैं जैसे होंठ चुंबन, चबाना, घूरना, स्तब्ध दिखना और अनुक्रियाहीन अवधि अभ्यर्थी को अनुपयुक्त बनाने वाले मानदंड हैं।

(च) बार-बार ऊष्मघात, अतिज्वर या ऊष्मा रेजन का इतिहास वायु सेना ड्यूटियों की नियुक्ति का रोध करती है, चूंकि इसमें त्रुटिपूर्ण ऊष्म विनियमन तंत्र के लक्षण होते हैं। ऊष्मा प्रभावों का एक गंभीर आघात, बशर्ते उसके दिखने का इतिहास गंभीर था और कोई स्थायी रोगोत्तर लक्ष्य थे, अपने आप में अभ्यर्थी को निष्कासित करने का कारण नहीं है।

(छ) सिर की गंभीर चोट का इतिहास निष्कासन का एक कारण है। सिर की चोट के अन्य रोगोत्तर लक्षण जैसे पश्च-कोनकसन सिंड्रोम, फोकल न्यूरोलॉजिकल कमी और पश्च ट्रैमैटिक मिरगी पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो सिरदर्द, चक्कर आना, अनिद्रा, बेचैनी, उत्तेजना, एकाग्रता की कमी और ध्यान में कमी जैसे व्यक्तिपरक लक्षणों से संबंधित हो सते हैं। पश्च ट्रैमैटिक न्यूरो साइकोलॉजिकल रोग भी हो सकता है जिसमें एकाग्रता की कमी, सूचना प्रोसेसिंग गति, मानसिक लचीलापन और फ्रंटल लोब एग्जिमक्यूटिव क्रियाएं और मनोसामाजिक क्रियाएं शामिल है। साइकोमैट्री सहित, न्यूरोसाइकोलॉजिकल जांच में इन पहलुओं का आकलन किया जा सकता है। यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि रोगोत्तर लक्षण काफी समय के लिए रह सकते हैं और स्थायी भी हो सकते हैं। खोपड़ी का टूटना निष्कासन का एक कारण होने के लिए आवश्यक नहीं जब तक उससे संबंधित इंट्राक्रेनियल क्षति या किसी रेसिडुयल बोनी कमी का इतिहास न हो। जब गंभीर चोट या संबंधित आक्षेपी आघात का इतिहास होता है, एक इलैक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निकाला जाए जो सामान्य होना चाहिए। बर छिद्रों की मौजूदगी उड़ान ड्यूटियों के लिए अनुपयुक्तता का कारण होगी, परंतु ग्राउंड ड्यूटियों के लिए नहीं। हर मामले को व्यक्ति की योग्यता के अनुसार निर्णय

किया जाता है। स्वीकृति से पहले न्युरोसर्जन और मनोचिकित्सक का विचार (सलाह) अवश्य लिया जाए।

(ज) जब नर्वस ब्रेकडाउन, मानसिक विकार या किसी निकट संबंधी की आत्महत्या का इतिहास मिलता है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तिगत पिछले इतिहास से एक ध्यानपूर्वक जांच प्राप्त करनी होती है। व्यक्तिगत इतिहास में न्यूनतम मनोवैज्ञानिक स्थिरता का कोई भी साक्ष्य या मौजूदा स्थिति से निष्कासन हो जाएगा और अभ्यर्थी को आगे के मूल्यांकन के लिए मनोचिकित्सक के पास भेज दिया जाए।

(झ) यदि मिरगी के पारिवारिक इतिहास वाले को भर्ती किया जाता है, उसके प्रकार को जानने का प्रयास किया जाए, जब किसी निकट (प्रथम श्रेणी) संबंधी के साथ घटना हुई हो, अभ्यर्थी को लिया जा सकता है, यदि उसके साथ ध्यानभंग, न्यूरोलॉजिकल कमी या उच्चतर मानसिक क्रियाओं का कोई इतिहास न हो और उसका इलैक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम पूर्णतः सामान्य है।

(ट) भावात्मक स्थिरता के मूल्यांकन में परिवार और व्यक्ति का इतिहास, बच्चे के रूप में बेकार की भावप्रणवता होने के कारण तनाव के अन्तगर्त भावनात्मक अस्थिरता का कोई चिह्न या कोई पिछली तंत्रिकीय बीमारी या ब्रेकडाउन शामिल है। परीक्षा के दौरान हकलाना, टिक, नाखून काटना, अत्यधिक हाइपर हाइड्रोसिस या बेचैनी भावनात्मक अस्थिरता की सूचक हो सकती है और अयोग्य बना सकती है।

(ठ) साइकोसिस के गुजर रहे सभी अभ्यर्थियों को निष्कासित किया जाएगा। ड्रग निर्भरता किसी भी रूप में निष्कासन का कारण होगी।

(ड) **<u>साइको न्यूरोसिस</u>** मानसिक रूप से अस्थिर और न्यूरोटिक व्यक्ति कमीशनींग के लिए अयोग्य होते हैं। किशोर और वयस्क अपराध, नर्वस ब्रेक डाउन या क्रोनिक इल-हेल्थ का इतिहास निष्कासन का कारण है। उदास बचपन, गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि, ड्रूएंसी, किशोर और वयस्क अपराध, गरीब रोजगार और सामाजिक कुव्यवस्था रिकॉर्ड, नर्वस ब्रेकडाउन या क्रोनिक इल-हेल्थ का इतिहास विशेषतः यदि भूत काल में इनमें हस्तक्षेप हुआ हो।

(ढ) कोई प्रत्यक्ष न्यूरोलॉजिकल कमी निष्कासन का कारण होगी।

(त) ट्रेमर्स इनरवेटेड मांसपेशी समूहों के आदान-प्रदान की आवर्ती ऑसिलेटरी गतिविधियां हैं। दो श्रेणियां मान्य हैं : सामान्य या फिजियोलॉजिक और अपसामान्य या पैथोलॉजिक। सभी संकुचित मांस पेशी समूहों में हलका कंपन होता है। जागृत दशा में यह होता है। 8 से 13 हर्टस के बीच में गतिविधि सही है। रोगजनक कंपन (पैथोलॉजिक) स्थूल रूप से (कोर्स) 4 से 7 हर्टस् के बीच में होता है एवं सामान्य रूप से अवयव (अंगों) के दूरस्थ (दूरवर्ती) भागों को प्रभावित करता है। समग्र रूप से कंपन सामान्य से ज्यादा सक्रिय शारीरिक कारणों की वजह से होता हैं जहाँ, उसी बारंबारता में, कंपन की तीव्रता विस्तृत रूप से बढ़ती है एवं हाथों एवं उंगलियों के फैलाने के द्वारा दिखती जाती है। अत्यधिक डर, क्रोध, चिंता, अत्यधिक शारीरिक थकान, मटोबालिक परेशानी जिसमें हाइपरथाइराइडिज्म शामिल हैं, शराब का प्रत्याहार और लीथियम के जहरीले प्रभाव, धूम्रपान (निकोटिन) एवं चाय, काफी का अत्याधिक उपभोग का अवस्था में ट्रेमर (कंपकंपी) होते हैं। कोअर्स ट्रेमर्स के अन्य कारक पार्किसनिज्म, सेरेबेलर (इंटेंशन) ट्रेमर, अपरिहार्य (पारिवारिक) ट्रेमर, न्यूरोपैथी के ट्रेमर्स एवं मुद्रा विषयक (पास्च्यूरल) या ऐक्शन ट्रेमर्स हैं।

(थ) हकलाने वाले अभ्यर्थी वायुसेना ड्यूटीज में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। संदेहास्पद मामलों में ईएनटी विशेषज्ञ, स्पीच थेरेपिस्ट, मनोविज्ञानी/मनोरोग विज्ञानी द्वारा सावधानीपूर्वक किया गया मूल्यांकन प्राप्त किया जा सकता है।

(द) **<u>बेसल इलेक्ट्रोइनसि फैलोग्राम (ईईजी)</u>** केवल वे अभ्यर्थी जो एयर क्रू ड्यूटीज के लिए हैं उनका ही ईईजी रिकॉर्ड किया जाएगा यदि परिवास में एपिलेप्सी हो, विगत में सर पर चोट लगा हो एवं / या कोई भी अन्य शारीरिक या तंत्रिक संबंधी (न्यूरोलॉजिकल) असामानायता (अब्नॉरमॉलिटी) पाई जाती है। इन मामलों पर ध्यानपूर्वक जांच पड़ताल की जाती है। अन्य अभ्यर्थियों के मामले में भी, ईईजी करवाया जा सकता है यदि चिकिसा परीक्षक द्वारा यह सूचित या आवश्यक बताया जाता है। जिन अभ्यर्थियों के विश्राम अवस्था में किए गए ईईजी या चुनौतिपूर्ण अवस्था में किए गए

ईईजी में असामान्यता पाई जाएगी, वे एयर क्रू ड्युटीज के लिए अस्वीकार माने जाएंगे :-

(i) **<u>बैकग्राउंड ऐक्टिविटी</u>** ऐम्प्लीट्यूड में बैक ग्राउंड ऐक्टिविटी की तरफ बढ़ती स्लो वेव्स का फोकल रन एवं 2.3 Hz/सामान्य से अधिक की फोकल, अत्याधिक एवं उच्च ऐम्पलीट्यूड बीटी ऐक्टिविटी/हेमीस्फेरिकल एसेमेट्री

(ii) **<u>हाइपरवेंटिलेशन</u>** पैराक्जमल स्पाइस एवं स्लो वेव्स/स्पाइक्स फोकल स्पाइक्स पैटर्न

(iii) **<u>फोटो उद्दीपन</u>** बाय लेटरली साइनेक्रोनस या फोकल पेरोक्जाइमल स्पाइक्स और पोस्ट फोटिक उद्दीपन अवधि/निरूद्ध में निरंतर धीमी गति से तरंगों का प्रवाह या हेमिस्फेयर के ऊपर तेज प्रतिक्रिया

(ध) अविशिष्ट ईईजी अपसामान्यता को न्यूरोसाइक्यारिस्ट /न्यूरोफीजिसीयन से प्राप्त सुझाव के आधार पर स्वीकार किया जाएगा। ईईजी के निष्कर्षों को एएफएमएसएफ-2 में प्रविष्ट किया जाएगा।

24. **<u>कान, नाक तथा गला</u>**

(क) **<u>इतिहास (पृष्ठभूमि)</u>** - ओटोरिया, श्रवण शक्ति में कमी (हियरिंग लॉस), मोशन सिकनेस सहित वर्टिगो (चक्कर आना), टिनिटस इत्यादि से संबंधित कोई भी इतिहास होना पता किया जाएगा।

(ख) **<u>नाक तथा पैरा-नेजल साइनस</u>** - निम्नलिखित अस्वीकार किए जाने के कारण हैं:-

(i) नाक की बाह्य विकृति के कारण होने वाली कास्मेटिक विकृति को अस्वीकार किया जा सकता है यदि यह मिलिट्री बियरिंग पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तथापि, डोरसम तथा नाक के नोक की मामूली विकृति के कारण अस्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ii) स्पष्ट सेपटल डेविएशन के कारण मुक्त रूप से श्वास लेने में आने वाली परेशानी अस्वीकार किए जाने का कारण है। पर्याप्त रूप से श्वास लेने के लिए शेष बचे हुए मध्यम विसामान्यता को ठीक करने वाली सर्जरी को स्वीकार किया जाएगा।

(iii) नाक के पर्दे में छिद्र (सेप्टल परफोरेशन) स्वीकार्य नहीं है। तथापि, ईएनटी विशेषज्ञ द्वारा पूर्वकालीन बिना किसी लक्षण वाला नाक के पर्दे में छिद्र (सेप्टल परफोरेशन) स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते पुरानी ग्रैनुलोमेटस बीमारियों को ठीक किया गया हो तथा नाक का चिपचिपा तरल (म्यूकोसा) स्वस्थ हो।

(iv) एट्रोफिक राइनिटिस ।

(v) एलर्जिक राइनिटिस/वैसोमोटर राइनिटिस दर्शाने वाला कोई इतिहास/चिकित्सीय प्रमाण अस्वीकृति का कारण होगा।

(vi) पैरा-नेजल साइनस का कोई भी संक्रमण अयोग्य (अनफिट) घोषित किया जाएगा। ऐसे मामलों को सफल इलाज के बाद अपील चिकित्सा बोर्ड में स्वीकार किया जा सकता है।

(vii) वर्तमान नेजल पोलीपोसिस अस्वीकृति का एक कारण होगा। तथापि, ऐसे मामलों को एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के बाद स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते बीमारी पूर्णतया ठीक हो गई हो, चिपचिपा तरल (म्यूकोसा) स्वस्थ हो तथा हिस्टोपैथोलॉजी ठीक तथा कवक रहित हो। इसकी समीक्षा सर्जरी के कम से कम 4 सप्ताह बाद की जाएगी।

(ग) **<u>ओरल कैविटी</u>**

(i) <u>अयोग्य (अनफिट)</u>

(कक) ल्यूकोप्लेकिया, इरिथ्रोप्लेकिया, सबम्यूकस फाइब्रोसिस, अंकिलोग्लोसिया तथा ओरल कार्सीनोमा के वर्तमान/ऑपरेटिड मामले।

(कख) वर्तमान मुंह के छाले (ओरल अल्सर)/ग्रोथ तथा म्यूकस रिटेंशन सिस्ट।

(कग) किसी भी कारण से ट्रिसमस।

(कघ) क्लेफ्ट पैलेट, सुधारात्मक सर्जरी होने के बाद भी अस्वीकृति का कारण होगा।

(ii) <u>योग्य (फिट)</u>

(कक) पूरी तरह से ठीक हो चुके मुंह के छाले (ओरल अल्सर)।
(कख) बिना किसी पुनरावृति तथा अच्छी प्रकार से प्रमाणित हल्के हिस्टोलॉजी के साथ म्यूकस रिटेंशन सिस्ट के सर्जरी के मामले।
(कग) यूस्टेशियन ट्यूब को क्षति न पहुंचाने वाले पैलेट के सब-म्यूकस क्लेफ्ट अथवा बिना बिफिड युवुला के मामले एन टी विशेषज्ञ स्वीकार कर सकते हैं बशर्ते पीटीए, टिम्पेनोमेट्री और वाक् सामान्य हो।

(घ) **<u>फैरिंक्स और लैरिंक्सः</u>**- निम्नलिखित शर्तें अस्वीकृति का कारण होंगीः

(i) फैरिंक्स में कोई अल्सरेटिव ⁄ बड़ी क्षति

(ii) जिन अभ्यर्थियों में टॉन्सिलेक्टोमी दिखाई देता है, इस तरह के अभ्यर्थियों को सफल सर्जरी के न्यूनतम 02 सप्ताह बाद स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते कि कोई जटिलता न हो तथा हिस्टोलॉजी सुसाध्य हो।

(iii) क्लेफ्ट पैलट

(iv) फैरिंक्स और लैरिंक्स में किसी प्रकार की खराब स्थिति होने पर स्थायी स्वर-भंग या दुःस्वरता हो जाती है।

(v) क्रोनिक लैरिन्जाइटिस, वोकल कॉर्ड पाल्सी, लैरिंजियल पोलिप्स और ग्रोथ।

(च) यूस्टेशियन ट्यूब फंक्शन की रूकावट या अपर्याप्तता अस्वीकृति का कारण होगी। सेवाकालीन अभ्यर्थियों को स्वीकृति देने से पहले एल्टीट्यूड चैंबर इयर क्लियरेंस टेस्ट किया जाएगा।

(छ) टिनिटस की उपस्थिति होने पर इसकी अवधि, स्थानीयकरण गंभीरता और संभावित कारण की जांच की आवश्यकता होती है। लगातार टिनिटस अस्वीकृति का एक कारण है, क्योंकि यह शोर के संपर्क में आने से बदतर

हो जाता है और ऑटोस्क्लेरोसिस और मेनियर की बीमारी का प्रारंभिक लक्षण हो सकता है।

(ज) मोशन सिकनेस के लिए किसी भी संवेदनशीलता के लिए विशिष्ट जांच की जानी चाहिए। इस आशय की पुष्टि ए एफ एम एस एफ-2 में की जानी चाहिए। ऐसे मामलों का पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा और अगर मोशन सिकनेस के लिए अतिसंवेदनशील पाए जाते हैं, तो उन्हें उड़ान ड्यूटी के लिए अस्वीकार कर दिया जाएगा। किसी भी कारण से परिधीय वेस्टिबुलर शिथिलता का कोई भी प्रमाण अस्वीकृति का कारण होगा।

(झ) जिस अभ्यर्थी को पूर्व में चक्कर आते रहे हैं, उसकी पूरी जांच की जानी चाहिए।

(ट) **<u>कम सुनाई देना</u>**- निम्नलिखित स्वीकार्य नहीं हैं -

(i) सी वी/एफ डब्ल्यू में 600 सेमी से कम किसी प्रकार की कमी।

(ii) जहां भी पीटीए सूचित की जाती है और थ्रेसहोल्ड प्राप्त की जाती है, 250 से 8000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्तियों में 20 डीबी से अधिक ऑडियोमेट्रिक की कमी ।

(iii) फ्री फील्ड हियरिंग में कमी अस्वीकृति का एक कारण है।

<u>नोट</u>- ऑडियोग्राम का मूल्यांकन करने में, ऑडियोमीटर की बेसलाइन शून्य और पर्यावरणीय शोर की स्थिति जिसके तहत ऑडियोग्राम प्राप्त किया गया है, को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक ई एन टी विशेषज्ञ की सिफारिश पर, 30 डी बी तक एक पृथक हियरिंग लॉस को माफ किया जा सकता है, बशर्ते ईएनटी की जांच अन्यथा सामान्य हो।

(ठ) **<u>कान</u>** - एक रेडिकल/संशोधित रेडिकल मास्टोइडेक्टोमी अस्वीकृति में शामिल है, भले ही यह पूरी तरह से एपीथेलिएलाइज हो और अच्छी हियरिंग (श्रवण क्षमता) बनी हुई हो। पूर्व में टिम्पैनिक झिल्ली बनाए रखने के साथ कोर्टिकल मास्टोइडेक्टोमी के मामले में, सामान्य श्रवण और बीमारी नहीं होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत किए जाने पर उसे स्वीकृत किया जाएगा।

(ड) **<u>बाहरी कान</u>**- बाह्य कान के निम्नलिखित दोषों को अयोग्य (अनफिट) घोषित किया जाना चाहिएः-

(i) पिन्ना की सकल विकृति जो वर्दी/व्यक्तिगत किट/सुरक्षात्मक उपकरण पहनने में बाधा उत्पन्न कर सकती है, अथवा जो सैन्य आचरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

(ii) क्रॉनिक ओटिटिस एक्सटर्ना के मामले।

(iii) ईयर ड्रम की उचित जांच को रोकने वाला एक्सोस्टोस, एट्रीसा/ई ए एम या नियोप्लाज्म का संकुचन।

(iv) कैनाल में बहुत अधिक पीड़ा, टैम्पेनिक झिल्ली के एन्टीरियर दृश्य को हटाना अस्वीकृति का कारण होगा।

(v) बाहरी ऑडिटरी कैनाल में ग्रेनुलेशन या पोलिप।

(ढ) **<u>मध्य कानः</u>**- मध्य कान की निम्नलिखित स्थितियों को अस्वीकृति का कारण माना जाएगाः-

(i) किसी भी प्रकार का वर्तमान ओटिटिस मीडिया।

(ii) ऐटिक, सेंट्रल या मार्जिनल छिद्र

(iii) टिम्पेनोस्क्लेरोसिस या स्कारिंग वाला टी एम के पार्स टेन्सा के >50% हिस्से को प्रभावित करने पर अनफिट होता है, भले ही पी टी ए और टिम्पेनोमेट्री सामान्य हो। टी एम के टिम्पेनोस्क्लेरोसिस के रूप में हील्ड क्रोनिक ओटिसिस मीडिया के साक्ष्य अथवा स्कारिंग वाला टी एम के पार्स टेंसा के < 50% को प्रभावित करने पर ई एन टी विशेषज्ञ द्वारा जांच की जाएगी और पी टी ए और टिम्पेनोमेट्री सामान्य होने पर स्वीकार्य होगा। वायुकर्मी, ए टी सी/एफ सी, पनडुब्बी/गोताखोरों के लिए, संकेत दिए जाने पर, डिकम्प्रेशन चैम्बर का परीक्षण किया जा सकता है।

(iv) पुराने ओटिटिस मीडिया के मामले में कोई रेसीड्यूल छिद्रण।

(v) न्यूमैटिक ऑटोस्कोपी पर टी एम गतिशीलता में स्पष्ट रिट्रैक्शन या बाधा।

(vi) फोर्स्ड व्हिस्पर जांच में किसी प्रकार का हियरिंग इम्पेयरमेंट।

(vii) डिरेंज्ड प्योर टोन (विक्षिप्त शुद्ध स्वर) ऑडियोमेट्री थ्रेसहोल्ड।

(viii) टाइप ए टिम्पेनोग्राम के अलावा अन्य पैटर्न दिखाने वाली टिम्पेनोमेट्री।

(ix) कोई भी प्रत्यारोपित किया गया हियरिंग डिवाइस, जैसे- कॉक्लियर इम्प्लांट, बोन एंकर्ड हियरिंग ऐड आदि।

(x) मध्य कान की सर्जरी के बाद जैसे- स्टेपेडेक्टोमी, ऑसिकुलोप्लास्टी, किसी भी प्रकार की (के) कैनाल-वॉल डाउन मास्टोइडेक्टोमी।

<u>नोटः</u>- क्रोनिक ओटिटिस मीडिया (म्यूकोसल टाइप) और मायरिंगोटॉमी (इफ्यूजन के साथ ओटिटिस मीडिया के लिए) के लिए टाइप 1 टिम्पेनोप्लास्टी (कार्टिकल मास्टोइडेक्टोमी के साथ या बिना) के कारण नियो-टिम्पैनिक झिल्ली के < 50% से जुड़े स्वस्थ निशान (हील्ड हेल्दी स्कार्स) को स्वीकार किया जा सकता है, यदि पी टी ए, टिम्पेनोप्लास्टी सामान्य है। ऑपरेट किए गए मामलों का मूल्यांकन न्यूनतम 12 सप्ताह के बाद ही किया जाएगा। एयरक्रू, ए टी सी/एफ सी, सब- मरीनर/गोताखोरों के लिए, संकेत किए जाने पर डिकंप्रेशन चैंबर में एक परीक्षण किया जा सकता है।

(त) **<u>कान की विभिन्न स्थितियां</u>**- कान की निम्नलिखित स्थितियों के होने पर अस्वीकृत किया जाएगाः-

(i) ऑटोस्क्लेरोसिस

(ii) मेनियर की बीमारी

(iii) वेस्टिबुलर रोग जिसमें वेस्टिबुलर मूल का निस्टागमस शामिल है।

(iv) कान के संक्रमण के बाद बेल पक्षाघात।

25. **<u>नेत्र प्रणाली</u>**

(क) दृष्टि दोष, और चिकित्सा नेत्र संबंधी स्थितियां उड़ान ड्यूटी के लिए अस्वीकार किए जाने के प्रमुख कारणों में से है। इसलिए, विशेष रूप से उड़ान ड्यूटी वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए एक संपूर्ण और सटीक नेत्र परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है।

(ख) **<u>व्यक्तिगत और पारिवारिक इतिहास तथा बाहरी जांच</u>**

(i) भेंगापन और अन्य कारणों से चश्मे की आवश्यकता अक्सर वंशानुगत होती है और पारिवारिक इतिहास से अपेक्षित कमी की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। जो अभ्यर्थी चश्मा पहनते हैं या जिनकी दृष्टि दोषपूर्ण पाई गई है, उनकी उचित जांच की जानी चाहिए। भेंगेपन के सभी मामलों को एम ओ की भर्ती करने वाले विशेषज्ञों द्वारा जांच कर अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। दिखाई देने/नज़र आने वाले भेंगापन वाले व्यक्ति कमीशन के लिए स्वीकार्य नहीं होते हैं। फिर भी, छोटे क्षैतिज गुप्त भेंगापन/फोरिया जैसे एक्सोफोरिया/ एसोफोरिया को विशेषज्ञ द्वारा ग्रेड III बी एस वी के साथ फिट माना जा सकता है। हाइपरफोरिया या हाइपोफोरिया या साइक्लोफोरिया को अनफिट माना जाएगा।

(ii) छह महीने की अवधि के लिए सर्जिकल सुधार सफल रहने तक दृष्टि या दृश्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने वाला पीटोसिस अस्वीकृत किए जाने का एक कारण है। कम वर्त्मपात (पलकों का पक्षाघात) को जो दिन या रात में दृष्टि/दृश्य क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता, उसे फिट माना जा सकता है। ऐसी स्थितियों में, विजुअल फील्ड की सेंट्रल 30 डिग्री की जांच उचित रूप से की जानी चाहिए।

(iii) अनियंत्रित ब्लेफारिटिस वाले अभ्यर्थी विशेष रुप से जिनकी पलके गिर गई हो, वे सामान्य रुप से अनुपयुक्त होते हैं और उन्हें अस्वीकृत कर देना चाहिए। ब्लेफारिटिस और क्रॉनिक कंजंक्टिवाइटिस के गंभीर मामलों को अस्थायी रुप से अनफिट माना जाना चाहिए जब तक कि उपचार की प्रतिक्रिया का आकलन नहीं किया जा सकता।

(iv) एक्ट्रोपियन/एन्ट्रोपियन के ये मामले अनुपयुक्त माने जाएंगे। हल्का एक्ट्रोपियन और एन्ट्रोपियन जो कि नेत्र विशेषज्ञ की राय में दिन-प्रतिदिन के कार्यों में किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न नहीं करेगा, उसे फिट माना जा सकता है।

(v) एम ओ और विशेषज्ञ की भर्ती कर प्रोग्रेसिव पेट्रिजियम के सभी मामले अनफिट माने जाएंगे। रिग्रेसिव नॉन वस्क्यूलेराइज्ड पेट्रिजियम जिसके स्थायी होने की संभावना होती है, पेरिफेरल कॉर्निया का 1.5 मिमी से कम या बराबर स्थान ग्रहण करता है, उसे नेत्र विशेषज्ञ द्वारा स्लिट लैंप पर माप करने के बाद फिट बनाया जा सकता है।

(vi) शारीरिक निस्टाग्मस को छोड़कर निस्टाग्मस के सभी मामलों में अनुपयुक्त ठहराया जाएगा।

(vii) एपिफोरा या म्यूकोसील उत्पन्न करने वाले नैजो-लेक्रिमल ऑक्लुजन अस्वीकृति का कारण होता है , जब तक कि सर्जरी के बाद कम से कम छः माह की राहत नहीं मिल जाती और ऑपरेशन के बाद सीरिंजिंग बनी हुई है।

(viii) यूवेइटिस (इरिटिस, साइक्लाइटिस और कोरॉइडाइटिस) प्रायः बार-बार होता है और इस प्रकार की स्थिति के इतिहास वाले अभ्यर्थियों का मूल्यांकन सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। जब इन उम्मीदवारों के घाव स्थायी रुप में होने का प्रमाण हो तो उन्हें अस्वीकृत किया जाना चाहिए।

(ix) कॉर्नियल निशान, अस्पष्टता अस्वीकृति का कारण होगी जब तक कि यह देखने में बाधा न डाले। स्वीकृत करने से पहले ऐसे मामलों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए क्योंकि अनेक स्थितियां बार-बार आ जाती हैं।

(x) लेंटिकुलर अस्पष्टता वाले मामलों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। एक दिशानिर्देश के रुप में किसी भी अस्पष्टता के कारण दृश्य बिगड़ना, या दृश्य अक्ष में है या पुतली के चारों ओर 7 मिमी के क्षेत्र में मौजूद है, जिससे चौंधने की घटना हो सकती है, इसे उपयुक्त (फिट) नहीं माना जाना चाहिए। संख्या या आकार में वृद्धि न करने की अस्पष्टता की प्रवृत्ति को फिटनेस का निर्णय लेते समय भी विचार किया जाना चाहिए। परिधि में छोटी स्थिर लेंटिकुलर अस्पष्टता जैसे जन्मजात ब्लू डॉट मोतियाबिंद जो दृश्य अक्ष/दृश्य क्षेत्र को प्रभावित नहीं करते हैं, उन्हें विशेषज्ञ द्वारा फिट माना जा

सकता है। (यह संख्या में 10 से कम होना चाहिए और 4 मिमी का केंद्रीय क्षेत्र स्पष्ट होना चाहिए)

(xi) एक माइग्रेनस प्रकार के सिरदर्द से जुड़ी दृश्य गड़बड़ी पूरी तरह से नेत्र समस्या नहीं है और ऊपर उल्लिखित केंद्रीय तंत्रिका तंत्र खंड के पैरा 3 के अनुसार मूल्यांकन किया जाना चाहिए। डिप्लोपिया की उपस्थिति या निस्टाग्मस का पता लगाने के लिए उचित जांच की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे शारीरिक कारणों से हो सकते हैं।

(xii) रतौंधी काफी हद तक जन्मजात होती हे लेकिन आंख के कुछ रोग रतौंधी को प्रारंभिक लक्षण के रुप में प्रदर्शित करते हैं और इसलिए अंतिम मूल्यांकन से पहले उचित जांच आवश्यक है। चूंकि रतौंधी की जांच नियमित रुप से नहीं की जाती इसलिए प्रत्येक मामले में व्यक्ति को रतौंधी से ग्रसित नहीं होने का प्रमाणपत्र लिया जाएगा। प्रमाणपत्र इस अधिसूचना के **परिशिष्ट 'घ'** के अनुसार होना चाहिए। रतौंधी होने का प्रमाण सर्विस करने के लिए अनफिट माना जाता है।

(xiii) किसी भी दिशा में नेत्रगोलक की गति में बाधा और नेत्रगोलक के अनुचित दबाव/प्रक्षेप के लिए उचित जांच की आवश्यकता होती है।

(xiv) **<u>रेटिनल घाव</u>** रेटिनल परिधि में एक छोटा हील्ड कोरियोरेटिनल निशान जो दृष्टि को प्रभावित नहीं करता है ओर किसी भी अन्य जटिलताओं से जुड़ा हुआ नहीं है, विशेषज्ञ द्वारा फिट किया जा सकता है। इसी तरह परिधि में एक छोटी जाली को बिना किसी अन्य जटिलता के फिट माना जा सकता है। सेंट्रल फंडस में किसी प्रकार के घाव को विशेषज्ञ द्वारा अनफिट माना जाएगा।

(ग) **<u>दृश्य तीक्ष्णता/रंगबोधक दृष्टि</u>** इस अधिसूचना के **परिशिष्ट 'ग'** में दृश्य तीक्ष्णता और रंग दृष्टि आवश्यकताओं का विवरण दिया गया है जो इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए।

(घ) **<u>मायोपिया</u>** यदि मायोपिया का मजबूत पारिवारिक इतिहास है, विशेष रुप से यदि यह दृष्टि दोष हाल में ही हुआ है, यदि शारीरिक विकास अभी भी प्रत्याशित है, अथवा यदि फंडस की उपस्थिति प्रोग्रेसिव मायोपिया का

सूचक है, भले ही दृश्य तीक्ष्णता निर्धारित सीमा के भीतर हो, अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।

(च) <u>रिफ्रैक्टिव सर्जरी</u> वे आवेदक जिनकी केराटोरिफ्रैक्टिव सर्जरी (फोटो रिफ्रेक्टिव केराटोटॉमी (पी आर के), लेज़र इन-सिटु केराटोमाइल्यूसिस (लेसिक), फेम्टो लेसिक, स्माइल या समकक्ष क्रियाविधि) हुई है, को वायुसेना की सभी शाखाओं में कमिशनिंग के लिए फिट समझा जाए। ऐसी क्रियाविधि के बाद शेष रिफ्रैक्शन ऐसी शाखाओं के लिए +/- 1.0 D Sph या Cyl से अधिक नहीं होना चाहिए जहां शुद्धि योग्य रिफ्रैक्टरी कमियों की अनुमति है। ऐसे आवेदको के चयन से पहले निम्नलिखित मापदंड पूरा करना अनिवार्य है :-

(i) केराटोरिफ्रैक्टिव सर्जरी से पहले उच्च रिफ्रैक्टिव कमियों ($\geq$ 6D) वाले व्यक्तियों को शामिल नहीं करना है।

(ii) केराटोरिफ्रैक्टिव सर्जरी 20 वर्ष की आयु से पहले नहीं की गई होनी चाहिए।

(iii) सरल स्थिर केराटोरिफ्रैक्टिव सर्जरी के बाद कम से कम 12 महीने बीत गए हों जिसमें किसी परेशानी का कोई इतिहास या प्रमाण न हो।

(iv) आंख की अक्षीय लंबाई IOL मास्टर द्वारा मापे जाने पर 26 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(v) एक कॉर्नियल पैकिमीटर द्वारा केराटोरिफ्रैक्टिव सर्जरी के बाद मापी गई कॉर्निया की मोटाई 450 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए।

(छ) वायु सेना की किसी भी ड्यूटी के लिए रिफ्रेक्टिव त्रुटि को ठीक करने के लिए रेडियल केराटोटोमी (आर के) सर्जरी की अनुमति नहीं है। आई ओ एल इम्प्लांट के साथ अथवा इसके बिना मोतियाबिंद की सर्जरी करवाने वाले अभ्यर्थी को अनफिट माना जाएगा।

(ज) **<u>नेत्रीय (ऑक्यूलर) मांसपेशी संतुलन</u>**

(i) भेंगे व्यक्ति को कमीशन प्रदान नहीं किया जाएगा। वायुकर्मी के मामले में छुपे हुए भेंगेपन अथवा हेटरोफोरिया का मूल्यांकन मुख्य रुप से फ्यूजन क्षमता के मूल्यांकन पर आधारित होगा। अच्छे फ्यूजन संवेदन से तनाव और थकान में भी दोनों आंखों की दृष्टि सुनिश्चित होती है।

(कक) कन्वर्जेंस (जैसा कि आर ए एफ नियम पर मूल्यांकन किया जाता है)

(ककक) <u>ऑब्जेक्टिव कन्वर्जेंस</u> औसतन 6.5 से 8 सेमी होता है। 10 सेमी और इससे ऊपर खराब माना जाता है।

(ककख) <u>सब्जेक्टिव कन्वर्जेंस</u> यह कन्वर्जेंस के दाब में द्विनेत्री विजन के अंतिम सिरों को दर्शाता है। यदि सब्जेक्टिव कन्वर्जेंस, ऑब्जेक्टिव कन्वर्जेंस की सीमा से अधिक 10 सेमी से ज्यादा होता है तो फ्यूज़न क्षमता खराब होती है। यह विशेषतः तब होता है जब ऑब्जेक्टिव कन्वर्जेंस 10 सेमी और इससे ऊपर होता है।

(कख) **<u>समंजन (अकॉमडेशन)</u>** मायोप के मामले में करैक्टिव चश्मा ठीक से लगा कर ही समंजन (अकॉमडेशन) का मूल्यांकन किया जाएगा। विभिन्न आयु वर्गो में समंजन (अकॉमडेशन) के स्वीकार्य मान सारणी 1 में दिए गए हैं।

सारणी 1- समंजन (अकॉमडेशन) मान- आयुवार

आयु (वर्षों में)	**17-20**	**21-25**	**26-30**	**31-35**	**36-40**	**41-45**
समंजन (सेमी में)	10-11	11-12	12.5-13.5	14-16	16-18.5	18.5-27

(झ) नेत्र (ऑक्यूलर) मांसपेशी संतुलन गत्यात्मक होता है और एकाग्रता, चिंता, थकान, हाइपोक्सिया, ड्रग और मदिरा के कारण बदलता रहता है। उपर्युक्त जांच को अंतिम मूल्यांकन के लिए साथ में देखा जाएगा। उदाहरण के लिए, मेडॉक्स रॉड जांच की अधिकतम सीमाओं के आगे वाले, लेकिन अच्छी द्विनेत्री प्रतिक्रिया, सब्जेक्टिव कनवर्जेंस से थोड़ा अलग अच्छे ऑब्जेक्टिव कन्वर्जेंस, और कवर जांच पर तीव्र रिकवरी वाले मामलों को स्वीकार किया जा सकता है। दूसरी ओर, मेडॉक्स रॉड जांच सीमा के भीतर वाले मामले, लेकिन जिनमें कम अथवा कोई फ्यूजन क्षमता दिखाई नहीं देती, कवर जांच की अधूरी या कोई रिकवरी न हो और खराब सब्जेक्टिव कन्वर्जेंस हो, उनको अस्वीकार किया जाएगा। नेत्र (ऑक्यूलर) मांसपेशी संतुलन के मूल्यांकन के मानक इस अधिसूचना के **परिशिष्ट 'ग'** में दिए गए हैं।

(ट) मीडिया (कॉर्निया, लेंस, विट्रियस) अथवा फंडस में पाई गई कोई क्लिनिकल जांच परिणाम जो कि पैथोलॉजिकल प्रवृत्ति की हो और जिसके बढ़ने की संभावना हो, वह अस्वीकार का कारण होगा। यह जांच स्लिट लैंप और माइड्रियासिस के तहत ऑप्थेल्मोस्कोपी द्वारा की जाएगी।

26. **<u>हिमोपोएटिक सिस्टम</u>**

(क) जल्दी थकावट न होने,सामान्य कमजोरी, रूधिर चिह्न (पेचि)/ नीललांछन मसूड़ो और एलीमेंट्री टेक्ट से रक्तस्राव, हल्के अभिघात के बाद लगातार रक्त प्रवाह और महिलाओं के मामले में मेनोरागिया के इतिहास को सावधानीपूर्वक उजागर किया जाना चाहिए। पालर (एनिमिया) कुपोषण, पीलिया, पेरीफेरल लिंफाडेनोपैथी, परप्यूरा, रुधिर चिह्न (पेचि)/ नीललांछन और हेप्टास्प्लिनोमेगाली के क्लीनिकल साक्ष्यों हेतु सभी अभ्यर्थियों की जांच की जानी चाहिए।

(ख) एनिमिया(पुरुषों में <13g/dl और महिला में <11.5g/dl) के प्रयोगशाला में पुष्टि के मामले में एनिमिया की किस्म और इटोलॉजी का निर्धारण करने के लिए आगे मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें पूर्ण हेमोग्राम

(पी सी वी एम सी वी, एम सी एच, एम सी एच सी, टी आर बी सी, टी डब्ल्यू बी सी, डी एल सी, प्लेटलेट काउंट, रेटिक्यूलोसाइट काउंट एवं ई एस आर शामिल किया जाए) और पेरिफेरल ब्लड स्मियर शामिल किया जाना चाहिए। एटियोलॉजी के निर्धारण के लिए आवश्यकतानुसार अन्य सभी जांच की जाएंगी। गॉलस्टोन (पित्ताश्मरी) के लिए पेट की अल्ट्रासोनोग्राफी, अपर जी आई इंडोस्कोपी/ प्रोक्टोस्कोपी और हिमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस इत्यादि बताए अनुसार की जाएंगी और प्रत्येक मामले की मेरिट के आधार पर अभ्यर्थी की फिटनेस निर्धारित की जाएगी।

(ग) प्रथम दृष्टया हल्के माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक (आयरन की कमी एनीमिया) की हल्की कमी वाले अथवा डिमोरफिक एनीमिया(महिलाओ में Hb<10.5g/dl और पुरुषों में Hb<11.5g/dl) वाले अभ्यार्थियों को 04 से 06 सप्ताह की अवधि के लिए अस्थाई रूप से अनफिट घोषित किया जाएगा और इसके पश्चात् रिव्यू किया जाएगा। इन अभ्यार्थियों को स्वीकार किया जा सकता है, यदि पूर्ण हेमोग्राम और पी सी वी,पेरिफेरल स्मियर परिणाम सामान्य रेंज के अंदर हो। मेक्रोसाइटिक/मेगालोब्लास्टिक एनिमिया वाले अभ्यार्थियों को अनफिट घोषित किया जाएगा।

(घ) ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्हें अनुवांशिक हेमोलाइटिक एनिमिया (लाल रक्त कणिकाओं का झिल्लियों में दोष अथवा रेड सेल एन्जाइम की कमियों के कारण) और हिमोग्लोबिनोपैथीय़(सिकल सेल रोग, बीटा थैलिसिमियाः मेजर इंटरमीडिया, माइनर ट्रेट और अल्फा थैलेसिमिया इत्यादि) है उन्हें सर्विस के लिए अनफिट माना जाएगा।

(च) त्वचा में हेमोरेज के इतिहास की मौजूदगी में जैसे इसाइमोसिस/ पेचि, इपिसटैक्सी, मसूड़ों और एलीमेंट्री ट्रेक्ट से रक्त प्रवाह, हल्के अभिघात के बाद लगातार रक्तस्राव अथवा लासरेसन/ टूथ एक्सट्रैक्शन अथवा महिलाओं में मेनोरागिया और हिमोफिलिया अथवा अन्य रक्तस्राव डिसऑर्डर के किसी

अन्य फैमिली हिस्ट्री के मामले में पूर्ण मूल्यांकन किया जाएगा। इन मामलों को सर्विस में एंट्री के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। परप्यूरा (रक्तचित्तता) के क्लीनिकल साक्ष्य वाले अथवा थंब्रोसाइटोपिनिया साक्ष्य वाले सभी अभ्यर्थियों को सर्विस के लिए अनफिट माना जाएगा। परप्यूरा सिम्प्लेक्स (सिंपल इजी ब्रुज़िंग) के मामले में, स्वस्थ महिला में सुसाध्य डिसऑर्डर दिखने पर इसे स्वीकार्य किया जा सकता है।

(छ) हिमोफिलिया, वान बिलेब्रैंड रोग की हिस्ट्री वाले अभ्यार्थियों का मूल्यांकन करने पर उन्हें एंट्री लेवल पर सर्विस के लिए, अनफिट घोषित किया जाएगा।

27. **<u>महिला अभ्यर्थियों का मूल्यांकनः</u>**-

<u>इतिहास</u> सामान्य चिकित्सा पूर्ववृत के अतिरिक्त विस्तृत मासिक धर्म तथा प्रसूति के पूर्ववृत्त को भी शामिल किया जाए तथा दर्ज किया जाए। यदि पूर्ववृत में मासिक धर्म, प्रसूति अथवा श्रोणीय असामान्यता दी गई हो तो स्त्री-रोग विशेषज्ञ की सलाह ली जाए।

(क) **<u>नैदानिक परीक्षण</u>**

(i) **<u>सामान्य चिकित्सा एवं सर्जिकल मानक</u>**

(कक) वक्ष में कोई भी सूजन अस्वीकृति का कारण होगा। फाइब्रोएडेनोमा वक्ष के मामले सफल शल्य-क्रिया से हटाने के बाद किसी शल्य विशेषज्ञ और किसी सामान्य ऊतकीय रिपोर्ट के विचार से फिट माने जाएंगे।

(कख) गैलैक्टोरिया अस्थायी अनफ़िट का कारण होगा। जांच/इलाज के बाद स्वस्थता मामले की मेरिट और संबंधित विशेषज्ञ की राय के आधार पर मानी जा सकती है।

(कग) अमेजिया,पोलीमैजिया तथा पोलिथेलिया(अतिरिक्त निप्पल) को अनफ़िट माना जाएगा।

(ख) **<u>स्त्री-रोग परीक्षण</u>** इस जांच में बाह्य जननांग, हर्निया का द्वार तथा मूलाधार, संकुचित मूत्रीय असंयत अथवा बाहरी योनिद्वार जननांग भंग के किसी साक्ष्य को कवर किया जाएगा। सभी विवाहित अभ्यर्थी सर्विक्स अथवा योनि पर किसी भंग अथवा बढ़ोतरी स्पेकुलम की जांच की जाएगी। अविवाहित अभ्यर्थियों में स्पेकुलम अथवा योनि संबंधी जांच नहीं की जाएगी। आरंभिक चिकित्सा जांच के दौरान सभी महिला अभ्यर्थियों का अधः उदर तथा श्रोणी का अल्ट्रासाउंड स्कैन अनिवार्य है। बाह्य जेनेटेलिया की किसी अपसामान्यता पर हर केस का मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा।

(i) निम्नलिखित स्थितियाँ स्वीकार्य हैं:-

(कक) सर्विक्स की सहज बढ़ोत्तरी जो योनिद्वार तक पहुँचती है।

(कख) सहज गर्भाशय असंगती का आर्कुएट प्रकार।

(ii) महिला अभ्यर्थियों की निम्नलिखित स्थितियां अस्वीकृति का कारण होंगीः

(कक) प्राथमिक अथवा द्वितीयक एमनेरिया। बिना गर्भाधान के एमनेरिया की जांच की जाएगी तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ के द्वारा जांच एवं परीक्षण के बाद मेरिट के आधार पर फिटनेस पर विचार किया जाएगा।

(कख) गंभीर मेनरहेगिया अथवा/ तथा गंभीर डिस्मेनोरिया।

(कग) संकुचित मूत्रीय असंयत।

(कघ) सर्विक्स की सहज बढ़ोत्तरी अथवापूर्ण विक्षति जो सुधारात्मक सर्जरी के बाद भी योनिद्वार से बाहर आती हो।(गर्भाशय का पूर्ण भ्रंश अस्वीकृति का एक कारण होगा। शल्य-क्रिया सुधार के बाद न्यून श्रेणी मेरिट के आधार पर फिट माना जा सकता है।)

(कच) तेज या दीर्घकालिक श्रोणि संक्रमण, इंडोमेट्रिओसिस एवं अडीनोमायोसिस।

(कछ) यौनेच्छा दोष।

(कज) अत्यधिक हिरसुटिज्म विशेषतः पुरुष पैटर्न का केश विकास।

(iii) उपर्युक्त में सम्मिलित न की गई किसी अन्य स्त्री रोग स्थितियों का मेरिट आधार पर स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा विचारा किया जाएगा।

(ग) **<u>सगर्भता</u>** सगर्भता अस्थाई अस्वीकृत का कारण होगा। व्यक्ति को समान्य प्रसव के 24 सप्ताह बाद अस्पताल में पुनः रिपोस्ट करने की सलाह दी जाती है। एमटीपी/ गर्भपात के मामले में कम से कम चार सप्ताह से 12 सप्ताह के बाद समीक्षा की जाएगी। तथापि सीजरी प्रसव के मामले में अभ्यर्थी 52 सप्ताह तक अनफ़िट रहेगी। उसके बाद स्त्री रोग विशेषज्ञ के द्वारा जांच करने के बाद उसके फिटनेस पर विचार किया जाएगा। उन मामलों में जिनमें आरंभिक चिकित्सा जांच से छः माह से ज्यादा का समय गुजर जाएगा तो विद्यमान विनियमों के अधीन उसकी समस्त चिकित्सा जांच पुनः की जाएगी।

(घ) **<u>महिला अभ्यर्थियों की अधः उदर तथा श्रोणी की अल्ट्रासोनोग्राफी</u>** यह विद्यमान आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

(i) **फिट**

(कक) बिना लक्षणों के गर्भाशय का लघु फेब्राइडयूटेरस (3 से. मी. या कम का व्यास)।

(कख) 6 से.मी. या कम व्यास की लघु अंडाशय रसौली

(कग) सर्विक्स की सहज बढ़ोत्तरी जो योनिद्वार तक पहुँचती है।

(कघ) आर्कुएट गर्भाशय प्रकार की सहज गर्भाशय असंगतियाँ ।

(कच) डगलस पाउच में न्यूनतम तरल।

(ii) **अनफिट**

(कक) अभ्यर्थी के डगलस पाउच में आंतरिक अनुनाद।

(कख) गर्भाशय। गर्भाशय का न होना या आर्कुएट गर्भाशय के अतिरिक्त जननांग की संरचनात्मक असंगति।

(कग) फायब्रोइड

(ककक) 02 से अधिक कई फायब्रोइड जिसमें एक का आकार >15 मिमी से अधिक हो।

(ककख) 3 सेमी से अधिक आकार की एकल फायब्रोइड।

(ककग) अंतर्गर्भाशय गुहा को विरूपित करने वाली कोई फायब्रोइड।

(कघ) एडिनोमायोसिस।

(कच) एडनेक्सा।

(ककक) 6 से.मी. अथवा उससे अधिक अकार की सामान्य अंडाशय रसौली।

(ककख) किसी भी आकार की जटिल अंडाशय रसौली।

(ककग) इंडोमेट्रियोसिस

(ककघ) जलडिंबवाहिनी

(iii) अपील चिकित्सा बोर्ड/ पुनरीक्षण चिकित्सा बोर्ड के दौर अनफ़िट अभ्यर्थियों को विशेष अन्वेषण तथा विस्तृत नैदानिक जांच से गुजरना होगा। विशेष परिस्थितियों में फिटनेस का निर्णय निम्नानुसार लिया जाएगा:-

(कक) आंतरिक अनुनाद के साथ पीओडी में तरल का मूल्यांकन टीएलसी, डीएलसी तथा सी रिएक्टिव प्रोटीन से की जाएगी। फिटनेस पर वरिष्ठ सलाहकार (ओब्स तथा गायनो) की राय ली जाएगी।

(कख) अंतरगर्भाशयकला मोटाई > 15 मिमी अथवा अंतरगर्भाशयकला गुहा में रेसिडुअलएकोजेनिक शैडो। फिटनेस पर वरिष्ठ सलाहकार (ओब्स तथा गायनो) की राय ली जाएगी।

(च) **<u>लैप्रोस्कोपिक सर्जरी अथवा लाइप्रोटोमी के बाद चिकित्सा फिटनेस</u>**

सिस्टेक्टोमी अथवा म्योमेक्टोमी कराने के बाद रिपोर्ट करने वाले अभ्यर्थियों फिट माना जाएगा यदि वह अलक्षणी है और अल्ट्रासाउंड श्रोणी सामान्य है, हटाए गए ऊतक की हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट में सुदम पैथोलॉजी तथा ऑपरेशन के बाद के निष्कर्ष में अंतर्गर्भाशयकला के कोई लक्षण नजर नहीं आए हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद पूर्ण रूप से घाव ठीक होने के बाद ही

फिट माना जाएगा। सिजेरियन सेक्शन तथा लाइप्रोटोमी की सर्जिकल प्रक्रिया होने के एक वर्ष के बाद अभ्यर्थी को फिट माना जाएगा।

28 **<u>डेंटल फिटनेस स्टैंडर्ड</u>**

(क) जांचकर्ता को यह जांच अवश्य करनी चाहिए कि क्या अभ्यर्थी की कोई पहले की दांत संबंधी प्रक्रिया की कोई बड़ी ऑल्ट्रेशन की कोई पूर्व हिस्ट्री है। जीभ, मसूड़े, अथवा गले के संक्रमण अथवा अल्सरेशन (व्रण) की किसी बड़ी पूर्व हिस्ट्री को प्रलेखित किया जाना चाहिए। हिस्ट्री जिसमें प्रिमेलिगनेंट लीजन का संकेत हो अथवा पैथोलॉजी (विकृतिविज्ञान) जिनकी पुनरावृति होती हो उन्हें उजागर किया जाना चाहिए।

(ख) **<u>दांत संबंधी मानक (डेंटल स्टैंडर्ड)</u>** निम्नलिखित दांत संबंधी मानकों का अनुपालन किया जाएगा और अभ्यर्थी जिसका दांत संबंधी मानक निर्धारित मानकों की पुष्टि नहीं करता है उसे अस्वीकृत किया जाएगाः-

(i) अभ्यर्थी के न्यूनतम 14 डेंटल पॉइंट होने चाहिए और ऊपरी जबड़े में मौजूद निम्नलिखित दांत निचले जबड़े के परस्पर दांत के साथ अच्छी तरह से कार्य करने की स्थिति में होने चाहिए।

(कक) छह एंटीरियर के कोई चार

(कख) दस पोस्टीरियर के कोई छह

(ii) प्रत्येक इनसीजर, कैनाइन 1 और 2 प्रीमोलर की एक पॉइंट वैल्यू होगी बशर्ते कि इनके सदृश्य सामने के दांत मौजूद हो।

(iii) प्रत्येक प्रथम और दूसरे मोलर और भलीभाँति विकसित तीसरे मोलर की वैल्यू दो पॉइंट होगी बशर्ते ये सामने के जबड़े में सदृश्य दांत से अच्छी स्थिति में हो।

(iv) तीसरे मोलर के मामले में यदि यह पूर्ण रूप से विकसित हुआ न हो तो इसका केवल एक पॉइंट होगा।

(v) जब ऊपरी जबड़े में मौजूद सभी 16 दांत हों और ये निचले जबड़े के सदृश्य सामने के दंतों के समान अच्छे कार्य करने की स्थिति में हो तो कुल वैल्यू 20 अथवा 22 पॉइंट होगी, भले ही तीसरा मोलर भली भांति विकसित है अथवा नहीं।

(vi) मुख संबंधी जांच के दौरान सभी रिमूवेबल डेंटल प्रोस्थेसिस को रिमूव कर दिया जाएगा और कोई भी डेंटल पॉइंट नही दिया जाएगा, केवल उन भूतपूर्व सैनिकों के मामलों को छोड़कर जो पुनः एनरोलमेंट के लिए आवेदन कर रहे है और उन्हें अच्छी फिटिंग रिमूवेबल प्रोस्थेसिस के लिए डेंटल पॉइंट दिए जाएंगे।

(ग) **<u>अतिरिक्त मौखिक जांच</u>**

(i) **<u>चेहरे की पूरी जांच</u>** - किसी असिमेट्री अथवा सॉफ्ट/ हार्ड टिशू डिफेक्ट/ स्कार्स अथवा जबड़े की कोई इनसिपिएंट पैथोलॉजिकल स्थिति संदिग्ध है, तो यह अस्वीकृति का कारण होगी।

(ii) **<u>क्रियात्मक जांच</u>**

(कक) **<u>टेम्पोरोमानडिब्यूलर जॉइंट (टी एम जे)</u>** टेंडरनेस और/अथवा क्लिकिंग के लिए टी एम जे को दुतरफा रूप से स्पर्श करके देखा जाएगा। अभ्यर्थी जिनमें रोग सूचक क्लिकिंग और/अथवा टेंडरनेस है अथवा ज्यादा खोलने पर टी एम एल हटा हुआ हो तो है उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(कख) **<u>मुख खोलनाः</u>**- इन्सिसल किनारों पर 30 एम एम से कम मुख खुलना, यह अस्वीकृति का कारण होगा।

(घ) **<u>विशेष परिस्थितियों में दांत पॉइंट्स (बिंदुओं) के निर्धारण हेतु दिशा-निर्देश</u>**

(i) **<u>दांत केरिस (क्षरण)</u>**- दांत केरिस (क्षरण) वाले दांत जिन्हें रोका न जा सका हो अथवा दांत शिखर से टूटे हुए दांत, जिनकी पल्प (मज्जा) दिखायी देती हो, रेसिड्युअल रूट स्टम्पस हो, एसेंसिस (विदधि्र) वाले दांत और/अथवा केविटी दांत को दांत बिंदुओं के निर्धारण (अवार्ड) हेतु नहीं गिना जाएगा।

(ii) **<u>जीर्णोद्धार</u>**:- ऐसे दांत जिनका जीर्णोद्धार हुआ हो, जो टेढ़े-मेढ़े/टूटे हुए/बदरंग दिखायी देते हों, उनका दांत बिंदु निर्धारण नहीं किया जाएगा। दांत जिनका जीर्णोद्धार अनुपयुक्त सामग्री से किया गया हो, अस्थायी अथवा टूटा-फूटा जीर्णोद्धार हो और जिनकी न्यूनतम सुस्वस्थता संदिग्ध हो अथवा पेरि-ऐपिकल पैथोलॉजी वाले दांत पॉइंट्स निर्धारण हेतु नहीं गिने जाएंगे।

(iii) **<u>लूज टीथ (ढीले दांत)</u>**-लूज/मोबाइल दांत जिनमें नैदानिक (रोग विषयक) रूप से मोबिलिटी दिखाई देती हो, उन्हें दांत बिंदु निर्धारण के लिए नहीं गिना जाएगा। पीरियोडोंटली स्पिलिंटिड दांत को डेंटल पॉइंट्स प्रदान करने हेतु नहीं गिना जाएगा।

(iv) **<u>रिटेंड डेसिड्युअस दांत</u>**-रिटेंड डेसिड्युअस दांत को डेंटल पॉइंट्स निर्धारण हेतु नहीं गिना जाएगा।

(v) **<u>आकृतिमूलक त्रुटियां</u>**- आकृतिमूलक त्रुटियों वाले दांत जिनमें पर्याप्त रूप से मेस्टिकेशन (चवर्ण) जोखिम हो, उन्हें दांत पॉइंट्स प्रदान नहीं किए जाएंगे।

(vi) **<u>परिदंत (पीरियोडोंटियम)</u>**

(कक) दांतों के मसूड़ों की स्थिति, डेंटल पॉइंट्स काउंटिंग हेतु शामिल होगी, ये स्वस्थ होने चाहिए अर्थात् जैसे- गुलाबी रंग हो, सुसंगत रुप से हों और दांत की ग्रीवा से मजबूती से लगे हों, दिखायी देने वाली अश्मरि (कैलकुलस) विद्यमान नहीं होनी चाहिए।

(कख) व्यक्ति जिनके दांत सूजे हुए हों, लाल अथवा संदूषित हों अथवा जिनके दांत में अश्मरी (कैलकुलस) दिखायी देती हो उन्हें दांत पॉइंट्स प्रदान नहीं किए जाएंगे।

(कग) सामान्य अश्मरी (कैलकुलस) वाले अभ्यर्थी बहुत अधिक सूजन एवं लाल मसूड़े वाले तथा जिनमें रिसाव हो अथवा नहीं हो, उन्हें अस्वीकृत किया जाएगा।

(vii) **<u>कुअदिधारण(मैलऑक्लूज़न)</u>**- मैलऑक्लूज़न वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनकी मेस्टिकेटरी दक्षता एवं फोनेटिक्स प्रभावित हो, उन्हें भर्ती नहीं किया जाएगा। ओपन बाइट टीथ (दांत) को डेंटल पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे, चूंकि उन्हें कार्यात्मक स्थिति में नहीं माना जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनमें ओपन बाइट है, रिवर्स ओवरजेट हैं अथवा कोई अन्य दृश्य मैलऑक्लूज़न हो, उन्हें अस्वीकृत किया जाएगा। तथापि, यदि डेंटल अफसर की यह राय है कि यदि मैलऑक्लूज़न दक्ष रूप से दांत के मेलोक्लू चवर्णता फोनेटिक्स, ओरल हायजीन की मेन्टेनेन्स करने अथवा सामान्य पोषण अथवा ड्यूटी को भली-भांति निष्पादित करने में कोई बाधा नहीं डालती हो तो अभ्यर्थी को फिट घोषित किया जाएगा। मैलऑक्लूज़न का निर्धारण करने मे निम्नलिखित मानदंडों पर विचार किया जाएगा :

(कक) ऐज टू ऐज बाइट- ऐज टू ऐज बाइट को फंक्शनल स्थिति में माना जाएगा।

(कख) एंटीरियर ओपन बाइट- एंटीरियर ओपन बाइट को शामिल दांतो में फंक्शनल स्थिति की कमी के रूप में लिया जाएगा।

(कग) क्रॉस बाइट- क्रॉस बाइट दांत जो अभी भी फंक्शनल ऑक्लूज़न के रूप में हो, और यदि ऐसा है, पॉइंट्स दिया जाएगा।

(कघ) ट्रॉमेटिक बाइट- एंटीरियर टीथ जो गहरे इंपिंजिंग बाइट में शामिल हों जो प्लेट पर ट्रोमेटिक इंडेंटेशन उत्पन्न करता हो, उसे पॉइंट देने हेतु नहीं गिना जाएगा।

(viii) **हार्ड एवं सॉफ्ट टिश्यू**- गाल, ओठ, पैलेट (तालु), जीभ और सबलिंगुअल भाग और मैक्सिला/मेन्डिबुलर बोनी अपरेटस की जांच किसी भी सूजन, बदरंग होने, अल्सर, स्कार्स, सफेद दाग-धब्बों, सब म्यूकस फाइब्रोसिस इत्यादि की जांच अवश्य की जाएगी। सभी संभावित दुर्दम्य विक्षति अस्वीकृत होने का कारण हो सकते हैं। मुख खुलने पर प्रतिबंध हो या नहीं हो सब म्यूकस फाइब्रोसिस हेतु चिकित्सीय डासग्नॉसिस (निदान) अस्वीकृति का कारण होगा। बोनी लेज़ियन विक्षति (विक्षतियों) का उनकी पैथोलॉजिकल/फिजियोलॉजिकल प्रकृति जानने हेतु निर्धारण किया जाएगा और तदनुसार टिप्पणी की जाएगी। कोई भी हार्ड अथवा सॉफ्ट टिश्यू विक्षति अस्वीकृति का कारण होगी।

(ix) **<u>ऑर्थोटिक उपकरण</u>** फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक्स लिंगुअल रिटेनर्स को पिरियोडेंटल स्प्लिंट नहीं माना जाएगा और इन रिटेनरों में शामिल

दांत को डेंटल फिटनेस हेतु पॉइंट दिए जाएंगे। अभ्यर्थी जो फिक्स्ड अथवा रिमूवेबल ऑर्थोडोंटिक उपकरण पहने हों, उन्हें अनफिट घोषित किया जाएगा।

(x) **<u>डेंटल इम्प्लांटस</u>** जब एक सिंगल मिसिंग दांत (टूथ) के प्रतिस्थापन में क्राउन लगा (दांत) इम्प्लांट किया गया हो तो उस कृत्रिम अंग को नैसर्गिक दांत के समान डेंटल पॉइंट्स दिए जा सकते हैं बशर्ते नेचुरल टीथ(दांत) फंक्शनल स्थिति में हो और इम्प्लांट की इंटीग्रिटी (सुस्वस्थता) की पुष्टि होती हो।

(xi) **<u>फिक्स्ड पॉजिशन डेंचर्स (एफ पी डी)/ इम्प्लांट सर्पोटिड एफ पी डी</u>** मजबूती ओपोजिंग दांत के लिए फंक्शनल स्थिति और अबटमेंट्स के पीरियोडोन्टल स्वास्थ्य के लिए एफ पी डी का क्लिनिकली एवं रेडियोलॉजिकली निर्धारण किया जाएगा। यदि सभी पैरामीटर संतोषजनक पाए जाते हैं तो निम्नलिखित अनुसार डेंटल पॉइंट्स प्रदान किए जाएंगेः-

(कक) <u>टूथ सपोर्टिड एफ पी डी</u>

(ककक) **<u>प्रोस्थेसिस 3 यूनिट्स</u>** एबटमेंट्स(संसक्ति) और पोंटिक के लिए डेंटल पॉइंट्स प्रदान किए जाएंगे।

(ककख) **<u>3 यूनिट से अधिक प्रोस्थेसिस</u>** केवल एबटमेंट्स (संसक्ति) हेतु डेंटल पॉइंट्स प्रदान किए जाएंगे। पोंटिक हेतु कोई पॉइन्ट नहीं दिया जाएगा।

(ककग) **<u>केन्टिलीवर एफ डी पी</u>** डेंटल पॉइंट्स केवल एबटमेंट्स (संशक्ति) हेतु प्रदान किए जाएंगे।

(कख) **<u>इम्प्लांट सपोर्टिड एफ पी डी</u>**

(ककक) प्रोस्थेसिस, 3 यूनिट। नेचुरल टीथ, इम्प्लांट एवं पोन्टिक हेतु डेंटल पॉइंट प्रदान किए जाएंगे।

(ककख) 3 यूनिटों से अधिक प्रोस्थेसिस केवल नेचुरल टीथ हेतु डेंटल पॉइंट्स प्रदान किए जाएंगे। पोंटिक एवं इम्प्लांट हेतु कोई पॉइंट नहीं दिया जाएगा।

(ककग) **<u>दो यूनिट केन्टिलीवर एफ पी डी</u>** केवल इम्प्लांट हेतु डेंटल पॉइंटस प्रदान किए जाएंगे।

(xii) एक अभ्यर्थी में अधिकतम दो बार इम्प्लांट्स की अनुमति होगी। 02 अनुमेय इम्प्लांट्स से अधिक होने पर इम्प्लांट्स से अधिक होने पर इम्प्लांट/इम्प्लांट सपोर्टिड प्रोस्थेसिस हेतु कोई पॉइंट नहीं दिया जाएगा। ऐसे मामले में जिसमें एक अभ्यर्थी में 03 और इम्प्लांट्स/इम्प्लांट सपोर्टिड प्रोस्थेसिस हैं, उनमें से किन 02 को पॉइंट्स प्रदान किए जाएंगे, यह डेंटल अफसर के क्लिनिकल निर्णय पर आधारित होगा।

(च) **<u>अभ्यर्थी को अनफिट घोषित करने के मानदंड निम्नलिखित होंगे</u>**

(i) **<u>ओरल हायजीन (मुख स्वास्थ्य)</u>** ग्रॉस विजिबल कैलकुलस, पीरियोडोंटल पॉकेट और/अथवा मसूड़ों से रक्तस्राव के रूप में घटिया ओरल हेल्थ स्थिति वाले अभ्यर्थी अनफिट घोषित किए जाएंगे।

(ii) **<u>पोस्ट मैक्सिलो-फेसियल सर्जरी/मैक्सिलो- फेसियल ट्रॉमा वाले अभ्यर्थी</u>** जिन अभ्यर्थियों की कॉस्मेटिक अथवा पोस्ट ट्रॉमेटिक मैक्सिलोफेसियल सर्जरी/ट्रॉमा हुई है वे सर्जरी/इंजरी की तिथि से कम से कम 24 हफ्तों, जो भी बाद हो, के लिए अनफ़िट घोषित किए

जाएंगे। इस अवधि के बाद यदि कोई रेसिडुअल डिफॉर्मिटी (विरूपता) अथवा फंक्शनल कमी न हो तो उनका निर्धारण (मूल्यांकन) निर्धारित मानदंडो के अनुसार किया जाएगा।

(iii) पायरिया के सामान्य एक्टिव घाव (विक्षति) की एडवांस स्टेज से तथा एक्यूट अल्सरेटिव जिंजिवायटिस से ग्रसित डेंटल आर्च वाले तथा दांत और जबड़ों की भारी अपसामान्यता वाले अभ्यर्थी अथवा जिनमें असंख्य कैरिस (दांत क्षय) हो अथवा जो सेप्टिक टीथ से प्रभावित हों, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

परिशिष्ट ख

(पैरा 13 (क) देखें)

उड़ान शाखा और ग्राउंड-ड्यूटी (तकनीकी तथा गैर तकनीकी)/ एन सी सी विशेष प्रवेश/ मौसमविज्ञान शाखा प्रवेश अभ्यर्थियों के प्रवेश के लिए जुलाई 2023 में शुरु होने वाले कोर्स के लिए वायुसेना सामान्य प्रवेश ऑनलाइन टेस्ट (एएफकैट-02/2022) के लिए लंबाई और वजन के मानदंड

महिलाओं की मानक लंबाई एवं वजन

लंबाई से. मी में	किलोग्राम वजन में	
	20-25 वर्ष	**26-30 वर्ष**
148	43	46
149	44	47
150	45	48
151	45	48
152	46	49
153	47	50
154	47	50
155	48	51
156	49	52
157	49	53
158	50	53
159	51	54
160	51	55
161	52	55
162	52	56
163	53	57
164	54	57
165	54	58

166	55	59
167	56	60
168	56	60
169	57	61
170	58	62
171	58	62
172	59	63
173	59	64
174	60	64
175	61	65
176	61	66
177	62	67
178	63	67
SD	5	5

पुरुषो के लिए मानक लंबाई एवं वजन

लंबाई सेमी में	आयु वर्ग (वर्ष)				
	15-17	**18-22**	**23-27**	**28-32**	**33-37**
152	46	47	50	54	54
153	47	47	51	55	55
154	47	48	51	56	56
155	48	49	52	56	56
156	48	49	53	57	57
157	49	50	54	58	58
158	49	50	54	58	58
159	50	51	55	59	59
160	51	52	56	59	60
161	51	52	56	60	60
162	52	53	57	61	61
163	52	54	58	61	62
164	53	54	59	62	63
165	53	55	59	63	63
166	54	56	60	63	64
167	54	56	61	64	65
168	55	57	61	65	65
169	55	57	62	65	66
170	56	58	63	66	67
171	56	59	64	66	68
172	57	59	64	67	68

173	58	60	65	68	69
174	58	61	66	68	70
175	59	61	66	69	71
176	59	62	67	70	71
177	60	62	68	70	72
178	60	63	69	71	73
179	61	64	69	72	73
180	61	64	70	72	74
181	62	65	71	73	75
182	62	66	72	74	76
183	63	66	72	74	76
184	64	67	73	75	77
185	64	68	74	75	78
186	65	68	74	76	78
187	65	69	75	77	79
188	66	69	76	77	80
189	66	70	77	78	81
190	67	71	77	79	81
191	67	71	78	79	82
192	68	72	79	80	82
193	68	73	79	81	83
SD	6.0	6.3	7.1	6.6	6.9

परिशिष्ट 'ग'

(पैरा 25 (ग)देखें)

उड़ान शाखा और ग्राउंड-ड्यूटी (तकनीकी तथा गैर-तकनीकी)/ एनसीसी विशेष प्रवेश/ मौसमविज्ञान शाखा प्रवेश के लिए जुलाई 2023 में शुरु होने वाले कोर्स के लिए वायुसेना सामान्य ऑनलाइन टेस्ट (एएफकैट-02/2022) के लिए दृष्टि संबंधी मानक

क्रम सं0	चिकित्सा श्रेणी	शाखा	रिफ्रेक्टिव त्रुटि की अधिकतम सीमाएं	दृष्टि तीक्ष्णता त्रुटि	कलर विजन
1	ए1 जी1	डब्ल्यू एस ओ सहित एफ (पी), एन डी ए और ए एफ ए में उड़ान शाखा कैडेट	**हाइपरमेट्रोपियाः** +1.5 डी स्फेरिकल **मेनिफेस्ट मायोपियाः** शून्य **रेटिनोस्कोपिक मायोपिया** : शून्य **ऐस्टिगमेटिज़्म** +0.75 डी सिलिंड्रीकल (+ 1.5 डी अधिकतम के भीतर)	एक आंख में 6/6 और दूसरी में 6/9, हाइपरमेट्रोपिया के लिए केवल 6/6 तक सुधारयोग्य	सी पी-I
2.	ए4जी1	प्रशासन: एटीसी/ एफ़सी	**हाइपरमेट्रोपियाः** +3.5 डी स्फेरिकल **मायोपियाः** -3.50डी स्फेरिकल	प्रत्येक आँख में 6/6 तक सुधार योग्य ।	सी पी- II

			ऐस्टिगमेटिज़्मः +/- 2.50 डी सिलिंड्रीकल	दृष्टि तीक्ष्णता 6/6 से कम होने पर चश्मा लगाना अनिवार्य है।	
3	ए4जी1	ए ई (एम) ए ई (एल)	**हाइपरमेट्रोपियाः** +3.5 डी स्फेरिकल **मायोपियाः** -3.50डी स्फेरिकल **एस्टिगमेटिज़्मः** +/- 2.50 डी सिलिंड्रीकल	सुधार योग्य दृष्टि तीक्ष्णता प्रत्येक आँख में 6/9 होनी चाहिए, परामर्श दिए जाने पर चश्मा लगाना अनिवार्य है।	सी पी II
4	ए4जी1	मौसम विज्ञान	**हाइपरमेट्रोपियाः** +3.5 डी स्फेरिकल **मायोपियाः** -3.5डी स्फेरिकल **ऐस्टिगमेटिज़्मः** +/- 2.50 डी सिलिंड्रीकल	सुधारी गई दृष्टि तीक्ष्णता बेहतर आँख में 6/6 तथा खराब आंख में 6/18 हो। चश्मा लगाना अनिवार्य है।	सी पी II
5	ए4जी1	लेखा/ संभारिकी/ शिक्षा	हाइपरमेट्रोपियाः +3.5 डी स्फेरिकल **मायोपियाः** -3.5डी स्फेरिकल **ऐस्टिगमेटिज़्मः** +/- 2.50 डी सिलिंड्रीकल	सुधारी गई दृष्टि तीक्ष्णता बेहतर आँख में 6/6 तथा खराब आंख में 6/18 हो। चश्मा लगाना अनिवार्य है।	सी पी III

<u>नोट 1</u>: क्रम सं0 1 और 2 के मानक में आने वाले कार्मिकों के लिए नेत्र (ऑक्युलर) मांसपेशी संतुलन इस अध्याय के परिशिष्ट 'ग' के अनुरुप होना चाहिए।

<u>नोट 2</u>: एएफ़ए में एफ़ (पी) के फ्लाइट कैडेटों तथा एनडीए के एयर विंग कैडेटों के दृष्टि मानक ए1जी1 एफ(पी) मानक (परिशिष्ट ख के क्रम संख्या1) के अनुरुप होने चाहिए।

<u>नोट 3</u> : उपर्युक्त स्फेरिकल सुधार कारक विनिर्दिष्ट ऐस्टिगमेटिक सुधार कारक में शामिल होंगे। विनिर्दिष्ट दृष्टि तीक्ष्णता मानक तक न्यूनतम सुधार कारक स्वीकार किए जा सकते हैं।

फ्लाइंग ड्यूटी के लिए ऑक्युलर मसल बैलेंस के मानक

क्रम सं	जांच	फिट	अस्थायी रूप से अनफिट	स्थायी रूप से अनफिट
1.	6 मीटर पर मैडॉक्स रॉड टेस्ट	एक्सो-6 प्रिज्म डी एसो-6 प्रिज्म डी हाइपर-1 प्रिज्म डी हाइपो-1 प्रिज्म डी	एक्सो-6 प्रिज्म डी से अधिक एसो-6 प्रिज्म डी से अधिक हाइपर-1 प्रिज्म डी से अधिक हाइपो-1 प्रिज्म डी से अधिक	यूनिआक्युलर सप्रेशन हाइपर/हाइपो 2 प्रिज्म डी से अधिक
2.	33 सेमी. पर मैडॉक्स रॉड टेस्ट	एक्सो-16 प्रिज्म डी एसो-6 प्रिज्म डी हाइपर-1 प्रिज्म डी हाइपो-1 प्रिज्म डी	एक्सो-16 प्रिज्म डी से अधिक एसो-6 प्रिज्म डी से अधिक हाइपर-1 प्रिज्म डी से अधिक हाइपो-1 प्रोज्म डी से अधिक	यूनिआक्युलर सप्रेशन हाइपर/हाइपो 2 प्रिज्म डी से अधिक

3.	हैंड हेल्ड स्टिरियोस्कोप	सभी बीएसवी ग्रेड के	खराब फ्यूज़नल रिज़र्व	एसएमपी की कमी, फ्यूज़न स्टिरियोप्सिस
4.	कनवर्जेंस	10 सेमी तक	आयास से 15 सेमी तक	आयास से 15 सेमी. से अधिक
5.	दूर और निकट के लिए कवर टेस्ट	लेटेंट डाइवर्जेंस/कनवर्जेंस रिकवरी रैपिड एवं पूर्ण	कंपनसेटेड हेटेरोफोरिया/ट्रोफिया जिसके उपचार से ठीक होने की संभावना हो/ उपचार के बाद भी बना रहे।	कंपनसेटेड हेटेरोफोरिया

परिशिष्ट 'घ'

{पैरा 25 (ख)(xii) देखें}

रतौंधी से संबंधित प्रमाणपत्र

आद्याक्षर सहित नाम .....बैच सं0 .....
चेस्ट सं0 .....

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ मेरी जानकारी में मेरे परिवार में रतौंधी का कोई मामला नहीं है, और मुझे भी रतौंधी नहीं है।

दिनांकः (अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

प्रतिहस्ताक्षरित

(चिकित्सा अफसर का नाम)